लोक-सभा वाद-विवाद

सोमवार,
२१ नवंबर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ . . ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५ . . . . ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६] . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३--मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ . ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४--बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५--गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. . . ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

सदस्यों की वार्णनुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदासपुर)

अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली–पूर्व)

अग्रवाल, श्री होती लाल (ज़िला जालौन व जिला इटावा–(पश्चिम) व जिला झांसी (उत्तर)

अचल सिंह, सेठ (ज़िला आगरा–पश्चिम)

अचलू, श्री सुंकम (नलगोंडा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजित सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा–रक्षित अनुसूचित जातियां)

अजित सिंहजी, जनरल (सिरोही-पाली)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (दरभंगा पूर्व)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्लाभाई, मुल्ला ताहिरअली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस सत्तार, श्री (कलना-कटवा)

अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ौदा—पश्चिम)

अमृत कौर, राजकुमारी (मण्डी-महासु)

अय्यंगार, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अय्युण्णि, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

अलगेशन, श्री ओ० वी० (चिंगलपट)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आजमगढ़ पश्चिम)

आ

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर, व जिला बरेली-पश्चिम)

आज़ाद, श्री भागवत झा (पूर्णिया व संथाल परगना)

आनन्दचन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर-सतांदा)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फ़ाज़िल्का-सिरसा)

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इलयापेरुमाल, श्री एल० (कुडलूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्निया–उत्तर–पूर्व)

ईयाचरण, श्री आई० (पोन्नानी-रक्षित–अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला–जबलपुर दक्षिण–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़-पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फतहपुर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित आंग्ल–भारतीय)

एबनजिर, डा० एस० ए० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री एस० के० बेबी (तिरुचेंगोड)

कक्कन, श्री पी० (मदुरई–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

कजरोल्कर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर–उत्तर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

कथम, श्री वीरेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल–रक्षित –अनुसूचित आदिम जातियां)

कमल सिंह, (शाहबाद उत्तर–पश्चिम)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़–उत्तर)

कर्णी सिंहजी, हिज हाइनैस महाराजा श्री बहादुर आफ बीकानेर (बीकानेर चूरू)

कासलीवाल, श्री नेमि चन्द्र (कोटा–झालावाड़)

काचिरायर, श्री एन० डी० गोविन्दस्वामी (कुडलूर)

काजमी, श्री सैयद मुहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर–उत्तर व ज़िला फैजाबाद दक्षिण–पश्चिम)

काटजू, डा० कैलाश नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केंन्द्रपाड़ा)

कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)

कामले, डा० देवराव नामदेवराव पाथीकर (नान्देड़–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)

किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री बैजनाथ (ज़िला प्रतापगढ़–पश्चिम व ज़िला राय बरेली–पूर्व–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री प्यारेलाल (ज़िला बांदा व ज़िला फतहपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

कृपलानी, श्री जे० बी० (भागलपुर व पूर्णिया)

कृपलानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा–पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलर)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम्)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर–उत्तर)

केसकर, डा० बी० वी० (जिला सुल्तानपुर–दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुरा)

कौट्टुकप्पली, श्री जार्ज टामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० एन० बी० (ग्वालियर)

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खां, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम)

खुदा बख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेडकर श्री गोपालराव बाजीराव (बुलडाना–अकोला)

खोंगमेन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपति राम, श्री (ज़िला जौनपुर–पूर्व रक्षित–अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फिरोज (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला राय बरेली–पूर्व)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंचमहाल व बड़ौदा पूर्व)

गांधी श्री वी० बी० (बम्बई नगर–उत्तर)
गाडगील, श्री नरहरि विष्णु (पूना मध्य)
गाडिलिंगन गौड़, श्री (कुरनूल)
गाम मल्लूदोरा, श्री (विशाखापटनम्–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
गिडवानी, श्री चोइथराम प्रताबराय (थाना)
गिरधारी भोई, श्री (कालाहांडी–डोलनरि–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
गिरि, श्री वी० वी० (पातपटनम्)
गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी–पूर्व)
गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)
गुप्त, श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व)
गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)
गुलाम कादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
गुह, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)
गोपालन, श्री ए० के० (कन्ननूर)
गोपीराम, श्री (मंडी महासु–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
गोविन्द दास, सेठ (मंडला-जबलपुर दक्षिण)
गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित–आसाम आदिम जाति क्षेत्र)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)
गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (ईरोड)
गौडर, श्री के० शक्ति वाडिवेल (पैरियाकुलम)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)
घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (मालदा)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)
चटर्जी, श्री एन० सी० (हुगली)
चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)
चटर्जी, डा० सुशीलरंजन (पश्चिम दीनाजपुर)
चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा–मध्य)
चन्दा, श्री अनिल कुमार (वीरभूम)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
चांडक, श्री बी० एल० (बेतूल)
चाड़क, ठाकुर लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)
चालिहा, श्री विमलाप्रसाद (शिव सागर–उत्तर लखिमपुर)
चावदा, श्री अकबर (बनस्कंठा)
चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)
चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)
चौधरी, श्री गणेशी लाल (ज़िला शाहजहांपुर–उत्तर व खेरी–पूर्व–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)
चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)
चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)
चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बहरमपुर)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद–दक्षिण–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
जजवाड़े, श्री राम राज (संथाल परगना व हजारीबाग)
जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
जयरामन, श्री ए० (तिंडीवनम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
जयश्री रायजी, श्रीमती (बम्बई–उपनगर)
जयसूर्य, डा० एन० एम० (मेदक)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

जाटववीर, डा० माणिक चन्द (भरतपुर–सवाई माधोपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

बेठन, श्री खेरवार (पालामउ व हज़ारी बाग व रांची–रक्षित–अनुसूचित–आदिम जातियां)

जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (ढेंकानाल–पश्चिम कटक रक्षित–अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर–क्योंझर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० ए० (ज़िला हरदोई–उत्तर पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद–पूर्व व जिला शाहजहांपुर–दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (जिला सहारनपुर–पश्चिम व जिला मुजफ्फरनगर उत्तर)

जैन, श्री नेमी शरण (जिला बिजनौर–दक्षिण)

जोगेंद्र सिंह, सरदार (जिलो बहराइच–पश्चिम)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री नन्द लाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि–दक्षिण)

जोशी, श्री लीलाधर (शाहजापुर–राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर-उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर–मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (जिला इलाहाबाद पश्चिम)

टेक चन्द, श्री (अम्बाला–शिमला)

ड

डाभी, श्री फूलसिंहजी बी० (कैरा उत्तर)

डामर, श्री अमर सिंह साबजी (झाबुआ—रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित–अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, श्री राम सहाय (छतरपुर–दतिया–टीकमगढ़)

तिवारी, श्री वेंमटेश नारायण (ज़िला कानपुर–उत्तर व ज़िला फर्रुखाबाद–दक्षिण)

तीर्थ, स्वामी रामानन्द (गुलबर्गा)

तुलसीदास किला चन्द, श्री (मेहसाना पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर--उत्तर-पश्चिम व ज़िला सहारनपुर–पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री कामख्या प्रसाद (दरांग)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली–पश्चिम व ज़िला हरदोई–दक्षिण पूर्व)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (जिला मुजफ्फरनगर–दक्षिण)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूल जीभाई (चित्तौड़),

थ

थामस, श्री एम० (एरणाकुलम्)
थामस, श्री ए० वी० (श्री बैकुंटम्)
थिरानी, श्री जी० डी० (बारगढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम)
दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा–पूर्व)
दामोदरन्, श्री जी० आर० (पोल्लाची)
दामोदरन्, श्री नेत्तूर पी० (टेल्लिचेरी)
दातार, श्री बलवंत नागेश (बुलगांव उत्तर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई––रक्षित –अनुसूचित जातियां)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, श्री बी० (जाजपुर–क्योंझर)
दास, श्री बेली राम (बारपेटा)
दास, डा० मन मोहन (बर्दवान–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
दास, श्री राम धनी (गया–पूर्व–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)
दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)
दास, श्री सारंगधर (ढेंकानाल–पश्चिम कटक)
दास, श्री श्री नारायण (दरभंगा मध्य)
दिगम्बर सिंह, श्री (जिला एटा–पश्चिम व जिला मैनपुरी-पश्चिम व जिला मथुरा–पूर्व)
दीवान, श्री राघवेन्द्र राव श्री निवास राव (उस्मानाबाद)
दुबे, श्री उदय शंकर (जिला बस्ती-उत्तर)
दुबे, श्री मूलचन्द (जिला फ़र्रुखाबाद–उत्तर)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)
देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार लुशाई पहाड़ियां)
देव, हिज हाइनैस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडी–बोलनगिर)
देवगम, श्री कान्हू राम (चैबस्सा–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक–मध्य)
देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती-पश्चिम)
देशमुख, श्री चिन्तामण द्वारकानाथ (कोलाबा)
देशमुख, डा० पंजाबराव एस० (अमरावती–पूर्व)
देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)
देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)
द्विवेदी, श्री एम० एल० (जिला हमीरपुर)
द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोरखपुर–मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (जिला झांसी–दक्षिण)
धुसिया, श्री सोहन लाल (जिला बस्ती–मध्य पूर्व व जिला गोरखपुर–पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
धोलकिया, श्री गुलाबशंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकांठा)
नटराजन, श्री एस० एस० (श्रीविल्लीपुत्तूर)
नटवाडकर, श्री जयन्तराव गणपत (पश्चिम खानदेश–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)
नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)
नरसिंहन्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)
नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)
नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नानादास, श्री मंगलगिरि (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
नायडू, श्री नल्ला रेड्डी (राजमुंद्री)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन व मावेलिक्कारा)
नायर, श्री वी० पी० (चिरयिन्कील)
नायर, श्री सी० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)
निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रग)
नेवटिया, श्री आर० पी० (जिला शाहजहांपुर-उत्तर व खेरी—पूर्व)
नेसवी, श्री टी० आर० (धारवाड़—दक्षिण)
नेसामनी, श्री ए० (नागरकोइल)
नेहरू, श्रीमती उमा (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम)
नेहरू, श्री जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद—पूर्व व जिला जौनपुर—पश्चिम)
नेहरू, श्रीमती शिवराजवती (जिला लखनऊ मध्य)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)
पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर—उत्तर)
पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभभाई (कैरा—दक्षिण)
पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा)
पन्नालाल, श्री (जिला फैजाबाद—उत्तर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ौदा पूर्व-रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां)
परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)
परागी लाल, चौधरी (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित जातियां)
पवार, श्री वेंकटाराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)
पांडे, डा० नटवर (सम्बलपुर)
पांडे, श्री बदरी दत्त (जिला अल्मोड़ा उत्तर—पूर्व)
पांडे, श्री सी० डी० (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर)
पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)
पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर—दक्षिण)
पाटिल, श्री पी० आर० कानावडे (अहमद-नगर—उत्तर)
पाटिल, श्री शंकरगौड़ बीरनगौड़ (बेलगांव—दक्षिण)
पारिख, डा० जयंतीलाल नरभरी (झालावाड़)
पारिख, श्री शान्तिलाल गिरधारीलाल (मेहसाना—पूर्व)
पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)
पिल्ले, श्री पी० टी० थानु (तिरुनेलवेली)
पुन्नूस, श्री पी० टी० (आल्लप्पि)
पोकर साहब, श्री बी० (मलप्पुरम्)
प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पंडित शिव नारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमंडी लाल (झज्जर-रेवाड़ी)

बँसीलाल, श्री (जयपुर)

बदनसिंह, चौधरी (जिला बदायूं पश्चिम)

बमन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

बरुआ, श्री देवकान्त (नौगांव)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)

बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)

बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हार्बर)

बहादुर सिंह, श्री (फिरोजपुर–लुधियाना–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

बागड़ी, श्री मगन लाल (महासमुंद)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा-रायगढ़–रक्षित अनुसूचित जातियां)

बारूपाल, श्री पन्ना लाल (गंगानगर–झुंझुनूं–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री एस० सी० (ईरोड–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

बालसुब्रह्मण्यम्, श्री एस० (मदुरै)

बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (जिला बुलन्दशहर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री सी० आर० (तमकुर)

बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर–दक्षिण)

बीरबल सिंह, श्री (जिला जौनपुर–पूर्व)

बीरेनदत्त, श्री (त्रिपुरा–पश्चिम)

बुचिकोटैय्या, श्री सनक (मुसलीपटनम्)

बुबराघस्वामी, श्री वी० (पैरम्बलुर)

बैनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर–झाड़ग्राम)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित–आंग्ल–भारतीय)

बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर–दक्षिण)

बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई (भंडारा–रक्षित अनुसूचित जातियां)

बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया पूर्व)

ब्रह्म चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा–गारो पहाड़ियां–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भक्त दर्शन, श्री (जिला गढ़वाल–पूर्व व जिला मुरादाबाद–उत्तर–पूर्व)

भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहबाद)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना–अकोला–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

भट्ट, श्री चन्द्र शंकर (भड़ौच)

भवनजी, ए० खीमजी, श्री (कच्छ पश्चिम)

भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़–जालौर)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (गुड़गांव)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)

भारती, श्री गोस्वामीराज सहदेव (मथुरा–माल)

भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)

भीखा भाई, श्री (बासवाड़ा–डूंगरपुर–रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

भोंसले, श्री जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरि–उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मथुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)

मल्लय्या, श्री यू० श्रीनिवास (दक्षिण-कन्नड़–उत्तर)

मसुरिया दीन, श्री [जिला इलाहाबाद–(पूर्व) व जिला जौनपुर–(पश्चिम)–रक्षित–अनुसूचित जातियां]

मसुदी, मौलाना मुहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)

महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)

महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)

महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

महोदय, श्री बैजनाथ (नीमाड़)

माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

माझी, श्री चेतन (मानभूम–दक्षिण व धालभूम–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

मात्तन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मादिया गौडा, श्री (बंगलौर–दक्षिण)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना–दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा–पूर्व व ज़िला बस्ती–पश्चिम)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मालवीय, श्री भगनन्दु (शाजपुर–राजगढ़–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

मालवीय श्री मोती लाल (छतरपुर–दतिया टीकमगढ़–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिनीमाता, श्रीमती (बिलासपुर–दुर्ग–रायपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर–दुर्ग–रायपुर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर–उत्तर–पश्चिम)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विज्ञेश्वर (गया–उत्तर)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन सहाय (दरभंगा–उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया–दक्षिण)

मिश्र, पंडित सुरेश चन्द्र (मुंगेर-उत्तर-पूर्व)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता-उत्तर–पूर्व)

मुकण, श्री वाई, एम० (थाना–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

मचाकी कोसा, श्री (बस्तर–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

कृष्णन्, श्री एम० (वैल्लोर-रक्षित–अनुसूचित जातियां)

मुदलियार, श्री सी० रामस्वामी (कुम्बकोणम्)

मुनिस्वामी, श्री एन० आर० (वान्दिवाश)

मुनिस्वामी अवर्गल, थिरुकुरलार, श्री वी० (तिंडीवनम्)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया–पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगानगर झुंझूनूं)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पूर्णिया रक्षित–अनुसूचित जातियां)

मुसाफिर, ज्ञानी गुरुमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर, सूफी (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहम्मद शफी, चौधरी (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलुरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोजिकोडे)

मेहता, श्री अशोक (भंडारा)

मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहलवाड़)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मैथ्यू, श्री सी० पी० (कोट्टयम्)
मैस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम)
मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा–रक्षित–अनसूचित जातियां)
मोरे, श्री शंकर शान्ताराम (शोलापुर)

र

रघुरामैया, श्री कोटा (तेनाली)
रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस—मध्य)
रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा–उत्तर–पूर्व व ज़िला बदायूं–पूर्व)
रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा—पूर्व)
रजमी, श्री सैयदुल्ला ख़ां (सिहोर)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रनदमन सिंह, श्री (शाहडोल–सिद्धि–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान, श्री एम० हिफ्ज़ुर (ज़िला मुरादाबाद–मध्य)
राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राघवाचारी, श्री के० एस० (पुनुकोंडा)
राघवैया, श्री पिशुपति वेंकट (ओंगोल)
राचय्या, श्री एन० (मैसूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राज बहादुर, श्री (जयपुर–सवाई–माधोपुर)
राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राधा रमण, श्री (दिल्ली नगर)
राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)
रामचन्द्र, डा० डी० (वेल्लोर)
राम दास, श्री (होशियारपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)
रामनारायण सिंह, बाबू (हज़ारीबाग–पश्चिम)
राम शंकर लाल, श्री (ज़िला बस्ती–मध्य पूर्व व ज़िला गोरखपुर–पश्चिम)
राम शरण, श्री (ज़िला मुरादाबाद–पश्चिम)
रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)
राम सुभग सिंह, डा० (शाहाबाद–दक्षिण)
रामस्वामी, श्री एम० डी० (अरुपक्कोटायी)
रामस्वामी, श्री एस० वी० (सैलम)
रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्ग)
रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली–पश्चिम व ज़िला हरदोई–दक्षिण–पूर्व रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राय, श्री विश्वनाथ (ज़िला देवरिया–पश्चिम)
राय, डा० सत्यवान (उलबेरिया)
राय, श्री काडयाला गोपाल (गुड़िवाड़ा)
राव, श्री कनेटी मोहन (राजामंद्री—रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राव, श्री कोंडू सुब्बा (एलूरु–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
राव, श्री टी० बी० विट्ठल (खम्मम)
राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)
राव, श्री पेंड्याल राघव (वारंगल)
राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)
राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाड़ा–दक्षिण)
राव, श्री रायसम शेषगिरि (नन्दयाल)
राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)
रिचर्डसन, बिशप जान (नाम निर्देशित–अण्डमान तथा निकोबार द्वीप)
रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मनीपुर–रक्षित–अनुसूचित–आदिम जातियां)
रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्ज़ापुर व ज़िला बनारस–पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

रे, श्री वीर किशोर (कटक)
रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)
रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)
रेड्डी, श्री बद्दमयेल्ला (करीमनगर)
रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नल्लोर)
रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री वाई, ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

ल

लंका सुन्दरम्, डॉ० (विशाखापटनम्)
लल्लनजी, श्री (ज़िला फ़ेजाबाद–उत्तर पश्चिम)
लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)
लालसिंह, सरदार (फिरोजपुर–लुधियाना)
लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार–लुशाई पहाड़ियां–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
लिंगम, श्री एन० एम० (कोयम्बटूर)
लोटन राम, श्री (जिला जालौन व जिला इटावा–पश्चिम व जिला झांसी–उत्तर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन–उत्तर)
वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई–उत्तर–पश्चिम व ज़िला फर्रुखाबाद–पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर दक्षिण–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वर्मा, श्री मानिक लाल (टोंक)
वर्मा, श्री रामजी (ज़िला देवरिया–पूर्व)
वल्लाथरास, श्री के० एम० (पुदुकोटे)
वाघमारे, श्री नारायण राव (परभणी)
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (जालंधर)
विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्जापुर व ज़िला बनारस–पश्चिम)
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आजमगढ़ पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वेंकटरामन्, श्री आर० (तंजोर)
वैलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्कारा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैश्य, श्री मूलदास भूरदास (अहमदाबाद–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)
वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)
व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शकुन्तला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा–पश्चिम)
शंकरपांडियन्, श्री एम० (शंकरनायिनार–कोविल)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द (ज़िला मेरठ–दक्षिण)
शर्मा, श्री खुशीराम ज़िला (मेरठ-पश्चिम)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर)
शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)
शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर–दक्षिण व ज़िला इटावा–पूर्व)
शर्मा, श्री राधा चरण (मुरैना-भिंड)
शास्त्री, श्री अलगू राय (जिला आजमगढ़ पूर्व व जिला बलिया–पश्चिम)
शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शहडोल-सिद्धि)
शास्त्री, श्री राजाराम (ज़िला कानपुर–मध्य)
शाह, हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दु मति (ज़िला गढ़वाल पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर–उत्तर)
शाह, श्री चिमन लाल चाकू भाई (गोहलवाड़ सोरठ)

शाह, श्री रायचन्दभाई एन० (छिंदवाड़ा)
शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ–उत्तर-पूर्व)
शिव, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)
शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग-बस्तर)
शोभा राम, श्री (अलवर)
श्रीमन, नारायण, श्री (वर्धा)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़-फुलवनी–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)
सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी)
सक्सेना, श्री शिब्बनलाल (जिला गोरखपुर—उत्तर)
सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली–दक्षिण)
सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट–जोरहाट)
सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)
सहाय, श्री श्यामनन्दन (मुजफ्फरपुर–मध्य)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता–उत्तर-पश्चिम)
साहू, श्री भागवत (बालासोर)
साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)
सिंह, श्री गिरिराज शरण (भरतपुर–सवाई माधोपुर)
सिंह, श्री चंडीकेश्वर शरण (सरगुजा–रायगढ़)
सिंह, श्री झूलन (सारन–उत्तर)
सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस–पूर्व)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर–उत्तर-पूर्व)
सिंह, श्री दिनेश प्रताप (जिला बहराइच–पूर्व)
सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)
सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (सारन–मध्य)
सिंह, ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरपुर–उत्तर–पश्चिम)
सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला गाज़ीपुर–पूर्व व जिला बलिया–दक्षिण–पश्चिम)
सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आंतरिक मनीपुर)
सिंह, डा० सत्य नारायण (सारन–पूर्व)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर–पूर्व)
सिंह, श्री सत्येन्द्रनारायण (गया–पश्चिम)
सिंह, श्री हर प्रसाद (ज़िला गाजीपुर–पश्चिम)
सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर–दक्षिण)
सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हसन-चिकमगलूर)
सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुजफ्फरपुर–पूर्व)
सिन्हा, श्री एस० (पाटलिपुत्र)
सिन्हा, श्री कैलाश पति (पटना–मध्य)
सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हजारीबाग व रांची)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना–पूर्व)
सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हजारीबाग–पूर्व)
सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर–पश्चिम व ज़िला मुजफ्फरपुर–उत्तर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)
सुब्रह्मण्यम् चेट्टियार, श्री टी० ए० एम० (धर्मपुरी)
सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडला (विजयनगरम्)
सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (वेल्लारी)

सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)

सूर्य्य प्रसाद, श्री (मुरैना–भिंड रक्षित–अनुसूचित जातियां)

सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्णिया–मध्य)

सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा–बूंदी)

सेन, श्रीमती सुषमा (भागलपुर–दक्षिण)

सेवल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमूर)

सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन–पूर्व)

सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)

सोमना, श्री एन० (कुर्ग)

सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर-पाली)

स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)

स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिंडीगल)

ह

हंसदा, श्री बेंजिमिन (पूर्णिया व संथाल परगना–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरि मोहन, डा० (मानभूम उत्तर-रक्षित–अनुसूचित जातियां)

हासदा, श्री सुबोध (मिदनापुर–झाड़ग्राम रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला भटिंडा)

हेडा, श्री एच० सी० (निजामाबाद)

हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हजारीबाग–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गौंडा–उत्तर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलेंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुरदास भार्गव
सरदार हुक्म सिंह
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर–एट–ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री जी० वी० मावलेंकर (सभापति)
श्री एम० अनन्तशयनम अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री ए० एम० थामस
श्री नरहरि विष्णु गाडगील
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्री रघुबीर सहाय
श्री अशोक मेहता
श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमाचरण पटनायक
श्री जयपाल सिंह

विशेषाधिकार समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्री हरि विनायक पाटस्कर
श्री सत्य नारायण सिंह
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री देवकान्त बरुआ
श्री आर० वेंकटरमन्
श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम्
श्री नेमि चन्द्र कासलीवाल
श्री ए० के० गोपालन
श्री जे० बी० कृपालानी
श्री एस० एस० मोरे
श्री फ्रैंक ऐन्थनी
श्री नेमि शरण जैन
श्री राम सहाय तिवारी
श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर (सभापति)
श्री गणेशी लाल चौधरी
श्री रामशंकर लाल
श्री बी० एल० चांडक
श्री पैडी लक्ष्मय्या
श्री महेन्द्र नाथ सिंह
श्री शिवराम रांगो राने
श्री फूलसिंहजी बी० डाभी
श्री भागवत झा आजाद
श्री राम दास
श्री यू० एम० त्रिवेदी
हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दु मति शाह
श्री सी० आर० चौधरी
श्री के० एम० वल्लाथरास
श्री विज्ञेश्वर मिश्र

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

श्रीमती सुचेता कृपालानी (सभापति)
श्री जसवन्तराज मेहता
श्री टी० बी० विट्ठल राव
श्री के० ए० दामोदर मेनन

श्री ए० ई० टी० बैरी
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री सी० पी० मात्तन
सरदार इकबाल सिंह
श्री वसन्त कुमार दास
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री आर० वेंकटरामन्
पंडित लिंगराज मिश्र

लाभ-पदों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव (सभापति)
श्री वी० बी० गांधी
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री के रघुरामया
श्री विश्म्भर दयाल त्रिपाठी
श्री आर० वी० धुलेकर
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री एस० एस० मोरे
श्री कमल कुमार बसु
श्री एन० रामशेषय्या
श्री एम० गोविन्द रेडी
काजी करीमुद्दीन
श्री अमोलक चन्द
प्रो० जी० रंगा
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

याचिका समिति

श्री कोता रघुरामैया (सभापति)
श्री शिवदत्त उपाध्याय
श्री के० टी० अच्युतन
श्री सोहन लाल धुसिया
श्री एस० सी० देव
श्री लीलाधर जोशी
श्री यू० आर बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी

श्री राम राज जजवाड़े
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री पी० एन० राजभोज
श्री पी० सुब्बा राव
श्री आनन्द चन्द
डा० सी० एच० बी० रामा राव
श्री रामजी वर्मा

गैर-सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्री पी० नटेशन
श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री एन० राचय्या
डा० नटवर पांडे
श्री भवानी सिंह
श्री टी० वी० विट्ठल राव
श्री सी० माधव रेड्डी
श्री एन० श्रीकान्तन नायर

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

श्री एन० सी० चटर्जी (सभापति)
श्री एस० बी० रामस्वामी
श्री एन० एम० लिंगम
श्री ए० इब्राहीम
श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
श्री टेक चन्द
श्री गणपति राम
श्री नन्दलाल जोशी
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री हेमराज
श्री एच० सिद्धनंजप्पा

डा० ए० कृष्णस्वामी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी

प्राक्कलन समिति

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता (सभापति)
श्री टी० मादिया गौडा
श्री अमरनाथ विद्यालंकार
श्री ललित नारायण मिश्र
श्री एम० आर० कृष्ण
डा० राम सुभग सिंह
श्री राघवेन्द्रराव श्रीनिवासराव दीवान
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
कर्नल बी० एच० जैदी
श्री रोहनलाल चतुर्वेदी
श्री वेंकटेश नारायण तिवारी
श्री गोविन्दहरि देशपांडे
श्री बी० एल० चांडक
श्रीमती बी० खोंगमेन
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री बी० एस० मूर्त्ति
श्री के० एस० राघवाचारी
श्री सी० आर० चौधरी
श्री वी० पी० नायर
श्री भवानी सिंह
श्री पी० एन० राजभोज
श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे
श्री पी० सुब्बा राव

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (सभापति)
श्री एम० अनन्तशयनम अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
सरदार हुक्म सिंह
श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन
श्री बी० जी० मेहता
श्री वी० बी० गांधी
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री कोता रघुरामैय्या
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री जी० एस० आल्तेकर
श्री यू० एस० मल्लय्या
श्री ए० के० गोपालन
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री जे० बी० कृपालानी
श्री उमाचरण पटनायक
डा० ए० कृष्णास्वामी

आवास समिति

श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या (सभापति)
श्री बीरबल सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
श्री जार्ज टामस कौट्टुप्पल्ली
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री कृष्णाचार्य जोशी
श्री एन० सोमना
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री एन० डी० गोविन्दस्वामी काचिरायर
श्री राज चन्द्र सेन
श्री के० आनन्द नम्बियार
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी

संसद् सदस्यों के भत्ते तथा वेतन सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री सत्य नारायण सिंह (सभापति)
श्री भागवत झा आजाद
श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री जगन्नाथ कोले
श्री गोविन्द हरि देशपाँडे

श्री नेमिचन्द्र कासलीवाल
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री पी० टी० पुन्नूस
श्री अशोक मेहता
बेगम एजाज रसूल
श्री एच० सी० दासप्पा
श्री डी० नारायण
श्री एच० सी० माथुर
श्री आर० पी० एन० सिन्हा

पुस्तकालय समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (सभापति)
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्री उमाचरण पटनायक
श्री एम० डी० जोशी
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री वी० एन० तिवारी
श्री वी के० धागे
प्रो० आर० डी० सिंह दिनकर
डा० श्रीमती सीता परमानन्द

लोक लेखा समिति

श्री बी० बी० गांधी (सभापति)
श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री कमल कुमार बसु
श्री रामानन्द दास
श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री के० जी० देशमुख
श्री बलवन्त सिंह मेहता
श्री सी० डी० पांडे
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री वाई० गाडिलिंगन गौड़
श्री उमा चरण पटनायक
श्री वी० बूबराघस्वामी
श्री इन्दुमाई बी० अमीन

श्रीमती वायलेट आल्वा

दीवान चमन लाल

श्री रामप्रसाद टामठा

श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू

श्री मुहम्मद वलीउल्ला

श्री वी० के० धागे

श्री बी० सी० घोस

नियम समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (सभापति)

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

पंडित ठाकुरदास भार्गव

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री एन० केशवैयंगार

श्री शिवराम रांगो राने

श्री घमंडी लाल बंसल

श्री खुशी राम शर्मा

श्री कोत्ता रघुरामैया

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

डा० एन० एम० जयसूर्य

श्री एन० सी० चटर्जी

श्री भवानी सिंह

श्री कमल कुमार बसु

श्री के० एस० राघवाचारी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भी भार साधक मंत्री—
श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आजाद

गृहकार्य मंत्री—पंडित गोविन्द वल्लभपन्त

संचार मंत्री—श्री जगजीवन राम

स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर

वित्त मंत्री—श्री सी० डी० देशमुख

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री—श्री गुलजारीलाल नन्दा

रक्षा मंत्री—डा० कैलाश नाथ काटजू

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री सी० सी० विश्वास

रेलवे तथा परिवहन मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

उत्पादन मंत्री—श्री के० सी० रेड्डी

खाद्य और कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन

श्रम मंत्री—श्री खंडूभाई देसाई

मंत्रिमंडल की कोटि के मंत्री (परन्तु मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं)

संसद-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंहा

रक्षा संगठन मंत्री—श्री महावीर त्यागी

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर

वाणिज्य मंत्री—श्री डी० पी० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव एस० देशमुख

वदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री—डा० सय्यद महमूद

विधि कार्य मंत्री—श्री हरि विनायक पाटस्कर

प्राकृतिक संसाधन मंत्री—श्री क० डी० मालवीय

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—श्री एम० सी० शाह

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री—श्री अरूण चन्द्र गुहा

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

उप

संचार उपमंत्री---श्री राजबहादुर
रक्षा उपमंत्री—सरदार एस० एस० मजीठिया
गृह-कार्य उपमंत्री---श्री बी० एन० दातार
श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली
पुनर्वास उपमंत्री—श्री जे० के० भोंसले
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री—श्री ओ० वी० अलगेशन
स्वास्थ्य उपमंत्री---श्रीमती एम० चन्द्रशेखर
वैदेशिक कार्य उपमंत्री---श्री अनिल कुमार चन्दा
खाद्य और कृषि उपमंत्री---श्री एम० वी० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री---श्री जयसुख लाल हाथी
उत्पादन उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री---श्री श्याम नन्दन मिश्र
शिक्षा उपमंत्री---डा० के० एल० श्रीमाली

सभा-सचिव

वैदेशिक कार्य मंत्री की सभा-सचिव . . .	श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन
रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव . .	श्री शाहनवाज़ खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव . . .	श्री जोगेन्द्र नाथ हज़ारिका
वित्त मंत्री के सभा-सचिव . . .	श्री बी० आर० भगत
उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव . . .	श्री राजाराम गिरिधारीलाल दुबे
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव . . .	श्री सादत अली खां
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव . .	श्री जी० राजगोपालन
शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव . . .	डा० मन मोहन दास

लोक-सभा

सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय श्री जी० वी० मावलंकर पीठासीन हुये]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

१. श्री परेश नाथ कयाल (बसिरहाट)

२. श्री बंसीलाल लोहाड़िया (जयपुर)

३. श्री बदरी दत्त पांडे (जिला अलमोड़ा—उत्तर-पूर्व)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता

***१. श्री श्री नारायण दास :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री सभा के टेबल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों—

(क) आकाशवाणी द्वारा आयोजित पिछली संगीत प्रतियोगिता योजना की क्या रूपरेखा थी;

(ख) विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से कितने व्यक्तियों ने भाग लिया ;

(ग) पारितोषिक पाने वाले व्यक्तियों के नाम तथा वे किस केन्द्र के थे ; और

(घ) इस योजना पर सरकार ने कितना धन व्यय किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की टेबल पर रखा जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १]**

(घ) खाली इस योजना पर किये गये व्यय को पृथक् करना कठिन है, क्योंकि व्यय के बहुत से मद रेडियो द्वारा आयोजित दूसरे जलसों से मिले हुए हैं।

लेकिन कहा जा सकता है कि खर्च बहुत कम हुआ।

श्री श्री नारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि इस तरह की प्रतियोगिता बार बार हर साल हुआ करेगी ?

डा० केसकर : जी हां, क्योंकि हमारा यह तजर्बा है कि इससे अधिक से अधिक और विशेषकर बच्चों में संगीत के बारे में दिलचस्पी बढ़ रही है।

श्री श्री नारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह की जो प्रतियोगिता की जाती है उसके लिए कोई अलग समिति का निर्माण होता है, या सरकारी विभाग के द्वारा ही वह होती है ?

डा० केसकर : यह तो रेडियो का कम्पिटीशन है, रेडियो विभाग इसको चलाने के लिये कमेटी नियुक्त करता है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूँ कि जो आर्टिस्ट इस कम्पेटीशन के लिये आये थे वे अपने खर्च पर आये थे या गवर्नमेंट ने उनका खर्च दिया ?

डा० केसकर : जो पहले रेडियो स्टेशनों पर कम्पेटीशन हुआ उसके लिये तो आर्टिस्ट अपने खर्च से आये थे । लेकिन जो हर रेडियो स्टेशन पर कम्पेटीशन में जीते थे, यानी पहले या दूसरे नम्बर पर जो आये थे और जिनको यहां अन्तिम प्रतियोगिता के लिये बुलाया गया था उनको सरकार ने खर्च दिया ।

भाखड़ा नंगल परियोजना

*२. **सरदार हुकम सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** १६ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध और नंगल बिजली घरों में एककों (यूनेट) की स्थापना हो जाने के पश्चात् कितनी विद्युत शक्ति उपलब्ध की जायेगी ; और

(ख) भाखड़ा जलाशय की संभाव्य स्थायी विद्युत-शक्ति कितनी होगी ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) भाखड़ा में ५ एककों (यूनिट) और नंगल में ६ एककों (यूनिट) की स्थापना हो जाने के बाद ३३२,००० किलोवाट स्थायी विद्युत्-शक्ति उपलब्ध होगी ।

(ख) भाखड़ा और नंगल बिजली घरों के समन्वित संचालन से भाखड़ा नंगल परियोजना की संभाव्य स्थायी विद्युत्-शक्ति शत-प्रतिशत भार (लोड) के हिसाब से ३६५,००० किलोवाट है और ६० प्रतिशत भार (लोड) के हिसाब से ६०८,००० किलोवाट है ।

सरदार हुकम सिंह : क्या इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है कि बांध के आसपास जो उद्योग स्थापित किये जायेंगे, उनको कितने प्रतिशत बिजली दी जायेगी और कितने प्रतिशत बिजली अन्य राज्यों को मिलेगी ?

श्री हाथी : इस सम्बन्ध में कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है । किन्तु उर्वरक कारखाने के लिये १६२,००० किलोवाट बिजली दी जायेगी और शेष बिजली दूसरे उद्योगों को ।

सरदार हुकम सिंह : क्या कोई योजना इस सम्बन्ध में तैयार की गई है कि कृषि कार्यों तथा ग्राम उद्योगों इत्यादि के लिये कितनी विद्युत्-शक्ति उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री हाथी : भार (लोड) सम्बन्धी पर्यवेक्षण किया जा रहा है ।

श्री मेघनाद साहा : भाखड़ा नंगल में कितनी गौण बिजली पैदा होने की सम्भावना है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने अभी कहा, कुल ६०८,००० किलोवाट स्थायी विद्युत्-शक्ति उपलब्ध होगी ।

सरदार इकबाल सिंह : पहले जो १० एककों (यूनिट) की योजना तैयार की गई थी, उसको ९ एककों (यूनिट) में क्यों परिवर्तित कर दिया गया है ।

श्री हाथी : इसका कारण यह है कि हम वहां एक उर्वरक कारखाने की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें १०० प्रतिशत भार (लोड) के हिसाब से बिजली का उपभोग होगा । इसका अर्थ यह है कि यदि ६० प्रतिशत भार (लोड) के हिसाब से बिजली का उपयोग किया जाये, तो ४० प्रतिशत की बचत हो जायेगी । किन्तु क्योंकि एक मशीन बराबर चलती रहेगी, अतः दस एककों (यूनेट) की

आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दस के बजाय नौ एककों (यूनिट) को स्थापना से बचत भी होगी।

दिल्ली में सरकारी निवास स्थान

*३. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के निवास के लिये सरकार के नियंत्रण में कितने घर हैं ; और

(ख) इन क्वार्टरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिये अभी तक बैडमिन्टन, वालीबाल, बासकेटबाल, फुटबाल और हाकी के कितने मैदान तथा क्रिकेट के कितने पिच तैयार किये गये हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देने के लिये कुल मकानों की संख्या १६,४६२ है।

(ख) कोई भी नहीं, किन्तु नये विकसित क्षेत्रों में, जहां सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान बनाये जायें, सामान्य विकास के लिये खेल के मैदान और खुले स्थान रखने का उपबन्ध किया गया है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि जबकि वर्ग १ के पदाधिकारियों के घरों में अनेक टेनिस के मैदान हैं, जिनमें से प्रत्येक सैकड़ों रुपयों की लागत से बना है, वर्ग ३ और वर्ग ४ के कर्मचारियों की सारी बस्तियों में विशेषतः लोदी कालोनी और विनय नगर में, बैडमिन्टन खेलने का भी कोई प्रबन्ध नहीं है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सरकार वर्ग १ के कर्मचारियों के लिये भी टेनिस खेलने के मैदानों का कोई प्रबन्ध नहीं करती है। कुछ क्लब चलते होंगे।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि वर्ग १ के कर्मचारियों के निवास स्थानों में जो टेनिस खेलने के मैदान बने हैं, वे सरकार के खर्चे से ही बने हैं और जिनमें से प्रत्येक पर लागत कुछ सौ रुपये आई थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि उन मकानों के प्रांगण में टेनिस का मैदान का कोई प्रबन्ध है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार ने सरकारी नौकरों के सामान्य प्रयोग के किये उस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट उपबन्ध किया है।

श्री० वी० पी० नायर : इस दृष्टिकोण से कि स्वास्थ्य के लिये शारीरिक व्यायाम आवश्यक है तथा यह भी देखते हुये कि उत्तम स्वास्थ्य होने पर उत्तम काम होगा, क्या सरकार ने ऐसे कोई उपाय किये हैं जिनसे उस व्यक्ति को जो कि नियमित रूप से खेलना चाहता है और सरकारी कर्मचारी भी है, उसी स्थान पर जहां उसे सरकारी निवास स्थान दिया जाता है, खेलने की सुविधायें प्राप्त हो सकें ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में यह सुझाव सरकारी और गैरसरकारी दोनों तरह के कर्मचारियों के लिये अच्छा है और दिल्ली शहर में जिसकी जनसंख्या १५ लाख से अधिक है, ऐसी सुविधायें देने की बड़ी आवश्यकता है। किन्तु इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि सरकारी कर्मचारियों को दूसरों से बड़ा माना जाये।

श्री बोगावत : क्या बंगलों से लगे हुये सात हजार बाहरी घर जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत रूप से किराये पर उठा दिये गये थे, खाली करवा लिये गये हैं अथवा अब भी कुछ ऐसे घर हैं जो खाली नहीं कराये जा सके हैं ;

सरदार स्वर्ण सिंह : मुख्य प्रश्न खेल के मैदानों के सम्बन्ध में है, अतः यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

कराची का औद्योगिक मेला

***५. श्री बोगावत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन् १९५५ के अक्टूबर मास में होने वाले कराची के औद्योगिक मेले में स्थापित किये गये भारतीय स्टाल के विरुद्ध धरने, पत्थरबाज़ी और प्रदर्शन किये गये थे, जिनसे कि उसे कुछ नुकसान भी हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ था और ऐसे उद्दण्ड कार्यों आदि के क्या कारण थे ;

(ग) क्या भारत ने इन हिंसात्मक कार्यों के विरुद्ध कोई प्रत्यापत्ति की है ; और

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा फैंके हुए पत्थरों से भारतीय मण्डप के बाहर लगे निओन रोशनी के ट्यूब और कुछ रोशनदानों के कांच टूट गये थे । इससे लगभग ३०० रुपयों का नुकसान हुआ था । भारतीय मण्डप के सामने यह प्रदर्शन भारत के एक मानचित्र के प्रदर्शन के कारण हुए थे, जिसमें जम्मू और काश्मीर को भारत के ही एक भाग के रूप में दिखाया गया था ।

(ग) और (घ). पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस विषय पर कई बार वार्तायें की हैं । प्रदर्शनों के दौरान में पाकिस्तान सरकार ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया था ।

श्री बोगावत : क्या यह सच है कि उपद्रवियों ने भारतीय मानचित्र छीन लिया था और वहां मण्डप की सुरक्षा का बहुत ही थोड़ा प्रबन्ध था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मानचित्र छीना नहीं गया था । वह एक बहुत बड़ा, १० फीट लम्बाई-चौड़ाई वाला मानचित्र था ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या उन गिरफ्तार-शुदा व्यक्तियों के विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : उनके विरुद्ध अभियोग लगाया गया था, पर दण्डाधीश ने उन्हें छोड़ दिया था ।

श्री बर्मन : मैं जान सकता हूं कि हमारे कराची निवासी भारतीयों में इन प्रदर्शनों की क्या प्रतिक्रिया हुई थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : उन्होंने बड़ा ही शान्त और गरिमापूर्ण व्यवहार किया था ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कासलीवाल ।

श्री बदरी दत्त पांडे : क्या पाकिस्तान सरकार ने इस पर क्षोभ प्रदर्शन किया....

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मैंने श्री कासलीवाल से बोलने को कहा है ।

श्री कासलीवाल : क्या हमारे उच्चायुक्त ने इस पर पाकिस्तान सरकार से कुछ वार्ता की है, और क्या भारत सरकार को इस प्रकार की कुछ सूचना मिली है कि पाकिस्तान सरकार ने इन उपद्रवी और अशोभनीय प्रदर्शनों को रोकने के लिये कुछ क़दम उठाये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मण्डप के सामने पुलिस पहरेदार बैठा दिये गये थे, और कई अवसरों पर उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठी-चार्ज भी किया था ।

श्री बदरी दत्त पांडे उठे—

बाढ़-पीड़ितों की सहायता

*६. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई १९५५ से अब तक विदेशों द्वारा भारत के बाढ़-पीड़ितों को कुल कितनी सहायता दी गई है, और किस देश ने कितनी सहायता दी है ;

(ख) किस प्रकार की सहायता दी गई है ;

(ग) क्या उसका बंटवारा हो चुका है ; और

(घ) यदि हां, तो बंटवारे के लिये क्या तरीका अपनाया गया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री श्री अनिल के० चन्दा): (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है, जिसमें विदेशों (और विदेशों में रहने वाले भारतीयों) द्वारा हमारे बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये नकदी के रूप में दिये गये अंशदान बताये गये है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]** वस्तुओं के रूप में दिये गये अन्य अंशदानों के बारे में भी इसी प्रकार की जानकारी संग्रहीत की जा रही है, और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ). ये अंशदान या तो प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि या इन्डियन रेडक्रास सोसाइटी द्वारा प्राप्त किये गये है । प्रधान मंत्री की निधि में से राज्यपालों या राज्यों के मुख्य मंत्रियों के लिये नकद अनुदान दिये जाते है, और उनको सर्वाधिक लाभ के साथ इस्तेमाल करने का उत्तरदायित्व उन राज्यों पर ही रहता है । इंडियन रेडक्रास सोसाइटी वस्तुओं के रूप में प्राप्त अंशदानों तथा इन अनुदानों के बंटवारे के लिये अपनी स्वयं की और राज्य सरकारों की व्यवस्था का इस्तेमाल करती है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के बाढ़-ग्रस्त क्षत्रों की सहायता के लिये प्राप्त सारे अंशदान विदेशी लोगों द्वारा की गई अभ्यर्थना के प्रत्युत्तर में भेजे गये हैं, या वहां रहने वाले भारतीयों ने भी भारत की ओर से कोई ऐसी अभ्यर्थना की थी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कुछ देशों में वहां के रहने वाले स्थानीय भारतीयों ने ऐसी अभ्यर्थनायें की थी, लेकिन आम तौर पर अधिकांश धन वहां की सरकारों ने भेजा है । उन्होंने भारत पर पड़ी विपत्ति के बारे में सुना और इसीलिये उन्होंने ये अंशदान किये थे ।

श्री एस० एन० दास : क्या किसी भारतीय व्यक्ति ने विदेशों में ऐसी सहायता के लिये अभ्यर्थना की थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कम से कम मैं तो नहीं जानता ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री द्वारा गिनाई गई संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थायें भी विदेशों से यह सहायता पा रही हैं, और क्या किसी समाचारपत्र में कोई ऐसी टिप्पणी भी निकली है कि इस राशि का बंटवारा साम्प्रदायिक आधार पर किया जा रहा है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दूं कि भारत में किसी संस्था को ऐसी सहायता मिली है या नहीं । फिलहाल में कोई ऐसी संस्था नहीं बता सकता । कुछ हो भी सकता है, लेकिन फिर भी, जहां तक मुझे मालूम है, किसी भी अन्य संस्था को बड़ी धनराशियां नहीं मिली हैं ।

श्री जयपाल सिंह : कहा गया है कि कहीं तो ये अनुदान राज्यपालों को दिये गये हैं, और कहीं मुख्य मंत्रियो को । मैं जान सकता हूं

कि निधियों के बंटवारे करने में ऐसे भेदभाव के लिये क्या परिस्थितियां थीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई विशेष परिस्थितियां नहीं हैं। कहीं कहीं, किसी राज्य विशेष में तो वे दोनों ही को दिये गये हैं। यह सिर्फ इसी पर निर्भर है कि एक राज्य विशेष में उस का भार किस पर है। उदाहरण के लिये, आसाम जैसे राज्य को ली जिये। भूकम्प सहायता के समय वहां के राज्यपाल ने एक बड़ी निधि का संग्रह आरम्भ किया था और वह जारी रहा। इसलिये उसका सम्बन्ध राज्यपाल से है, वहां मुख्य मंत्री से भी इस का सम्बन्ध है।

सेगांव में हुई घटनाएं

*७. **डा० सत्यवादी** : क्या **प्रधान मंत्री** २६ सितम्बर, १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २१४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि २० जुलाई, १९५५ को सगांव में हुए दंगों में वेतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को पहुंची क्षति का कोई प्रतिकर दिया गया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : फ्रांसीसी हाई कमीशन ने अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का दावा दक्षिणी वियतनाम की सरकार को भेज दिया था जिसने कमीशन को उसके व्यक्तियों और सामान को पहुंचे नुकसान के लिए १,१४३,७१६ पस्ट्रा (लगभग १५५,६६८ रुपये) दिये हैं। इस राशि में से भारतीय कर्मचारियों को ६५८,७९६ पस्ट्रा (लगभग ८७,८४० रुपये) मिले हैं।

कोयला आयोग

*८. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राक्कलन समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन के पैरा २६ में कोयला आयोग का धनबाद या आसनसोल में रखने के सम्बन्ध में जो सिफारिश की गई है क्या प्रतिवेदन आने के बाद से उस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). कोयला आयोग बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। इसका प्रधान कार्यालय कहां हो, इस पर तो बाद में ही विचार किया जा सकता है।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि कोयले को अधिक मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बाधा पड़ती है इसलिए ऐसे कार्यालय का धनबाद या आसनसोल के क्षेत्र के समीप ही होना वांछनीय होगा, इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है?

श्री सतीश चन्द्र : पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों के प्रधान कार्यालय कलकत्ता में हैं और कोयला खानें इन्हीं रेलों के क्षेत्र में हैं। इसलिए धनबाद या आसनसोल की बजाय कोयल को लाने ले जाने का प्रबन्ध करना और उन में तालमेल रखना कलकत्ता में अधिक सुविधाजनक होगा।

श्री के० के० बसु : यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और सरकार को कब तक इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लेने की आशा है ?

श्री सतीश चन्द्र : प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन सितम्बर के अन्त में सभा में प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी व्यापक प्रश्नों पर विचार करना पड़ेगा। इस प्रश्न पर शीघ्रता से विचार किया जा रहा है।

प्रादेशिक लेखनसामग्री डिपो

*९. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यालयों को लेखनसामग्री प्रदान करने के लिए कुछ प्रादेशिक लेखन-सामग्री डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डिपो की संख्या जो खोले जा चुके हों अथवा जिनके खोले जाने का प्रस्ताव हो तथा उनके स्थान ;

(ग) विभिन्न स्थानों में डिपो खोलने से संवाहन तथा अन्य व्ययों में होने वाली संभावित बचत ; तथा

(घ) संभावित पूंजी लागत ?

निर्माण आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) फिलहाल नई दिल्ली में एक प्रादेशिक लेखन-सामग्री डिपो खोला जा रहा है । बम्बई तथा मद्रास में ऐसे डिपो खोलने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा ।

(ग) तथा (घ) . आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]**

पंडित डी० एन० तिवारी : विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि नई दिल्ली की डिपो में कुल ८,००,००० रु० की पूंजी लगाई जायेगी । क्या मैं जान सकता हूं कि स्थापना पर क्या खर्च होगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उस व्यय का विस्तृत ब्यौरा मेरे पास नहीं है । इस पूंजी लागत का अधिकांश भाग उस इमारत पर व्यय होगा जो बन रही है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी क्या कठिनाई महसूस की जाती है जिसके परिणामस्वरूप कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री जुटाने के लिए ऐसा डिपो खोलने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संगठन की जांच करने के लिए एक विभागीय समिति निर्मित की गई थी । उसने सिफारिश की थी कि चूंकि दिल्ली तथा नई दिल्ली में बहुत परिमाण में लेखन सामग्री व्यय होती है इसलिए यह सुविधाजनक होगा यदि नई दिल्ली में एक डिपो खोला जा सके अन्यथा, कलकत्ता से सामान आने में बहुत अधिक समय लगता है और संवाहन व्यय भी होता है ।

श्री वेलायुधन : क्या यह सत्य है कि दक्षिण भारत में एरनाकुलम तथा अन्य स्थानों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को पैन्सिलें, कागज़, ब्लाटिंग पेपर आदि प्राप्त करने के लिए तीन चार माह प्रतीक्षा करनी होगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस बात को सामान्यतः मान लेना मेरे लिए अत्यन्त कठिन होगा । परन्तु जब कलकत्ता से सामान भेजना होगा तो उसमें अवश्य समय लगेगा और इन्हीं बातों पर विचार करके विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की थी कि मद्रास में एक डिपो चालू किया जाय ।

कर्वे समिति

*१०. **श्री डाभी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के सम्बन्ध में कर्वे समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उसने समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) कर्वे समिति का प्रतिवेदन अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री डाभी : क्या मैं निश्चित समय जान सकता हूं जब तक कि निर्णय हो जायगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : हमें आशा है कि आगामी कुछ सप्ताहों में योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने के पूर्व ही हम प्रतिवेदन पर विचार कर सकेंगे ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदन सर्वसम्मत है अथवा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर मतभेद है ?

श्री एस० एन० मिश्र : चूंकि प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया गया है माननीय सदस्य उसको पढ़ कर लाभ उठायें ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मं जान सकता हूं कि समिति ने नमक का उत्पादन छोटे पैमाने के उद्योग के रूप में प्रारम्भ किये जाने की सिफारिश की है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं पुनः प्रतिवेदन की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा जो सभा पटल-पर रखा जा चुका है ।

पूर्वी पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण

*११. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण में वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या इस सामूहिक निष्क्रमण का पश्चिमी बंगाल की अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) आने वाले लोगों की मासिक संख्या जो १९५४ में औसतन १०,००० प्रति माह थी और १९५५ के प्रथम आठ महीनों में २२,००० प्रति माह थी, सितम्बर, १९५५ में कम होकर १०,९६६ हो गयी है । परन्तु अक्टूबर में उसमें वृद्धि हुई है और वह १६,१४४ तक पहुंच गयी है ।

(ख) नहीं, केवल मात्र पूर्वी पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण से पश्चिमी बंगाल की अर्थ व्यवस्था अस्त-व्यस्त नहीं हो सकती । परन्तु चूंकि पश्चिमी बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में निष्क्रमणार्थी आ गए हैं इसलिए उसकी अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है ।

(ग) पश्चिमी बंगाल को दिए गए कर्जों तथा अनुदानों के अतिरिक्त विस्थापितों को अन्य राज्यों में बसाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि विस्थापितों के सामूहिक निष्क्रमण के मुख्य कारण क्या हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं अपने सहयोगी वैदेशिक कार्य उपमंत्री से इसका उत्तर देने का अनुरोध करता हूं ।

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल कें० चन्दा) : हम कई बार सभा में इसके कारण बता चुके हैं । कारण हैं आर्थिक दुर्दशा और उन स्थानों में जीवन यापन के लिये प्रतिकूल वातावरण का होना ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिये कोई विशेष योजना तैयार की गई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : पुनर्वास की सामान्य योजनाओं के अतिरिक्त, पश्चिमी बंगाल से बाहर कुछ ऐसा स्थान निश्चित करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं जहां उद्योग-धंधे

स्थापित किये जा सकें और प्रशिक्षण तथा उत्पादन के नये केन्द्र खोले जा सकें।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : संसद् सदस्यों के सम्मेलन में हुई चर्चा और पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मंत्री से मिलें, सरकार ने उस सिफारिश की दिशा में अभी क्या कुछ किया है और अब स्थिति क्या है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : दार्जिलिंग में होने वाले सम्मेलन ने इस प्रकार की कोई खास सिफारिश नहीं की थी। दार्जिलिंग सम्मेलन में हमने सिर्फ यही तय किया था कि बेहतर संचार व्यवस्था, व्यापार की सुविधाओं, प्रेषण सुविधाओं और इसी प्रकार के अन्य उपायों पर विचार किया जाना चाहिये। इस प्रकार की कोई निश्चित सिफारिश नहीं की गई थी कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मंत्री से मिलें। एक मंत्री महोदय ने इस प्रकार का सुझाव भर दिया था।

श्री बी० के० दास : क्या सरकार का ध्यान पूर्वी बंगाल के मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने कुछ समय पहले स्वर्गीय लियाकत अली खां की बरसी के अवसर पर दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि सामूहिक निष्क्रमण में वृद्धि होने की बात तो भारतीय समाचारपत्रों का एक झूठा प्रचार भर है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने वह वक्तव्य नहीं देखा, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे माननीय सहयोगी ने बड़े ही स्पष्ट तौर पर उसके कारण बता दिये हैं।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री का ध्यान मेरे इस वक्तव्य की ओर गया है कि पूर्वी प्रदेश में पर्याप्त भूमि है और इन लोगों को बंगाल से बाहर भेजने की कोई भी आवश्यकता नहीं; और क्या उन्होंने इस तथ्य की जांच की है कि बिहार और उड़ीसा में विस्थापितों का पुनर्वास क्यों पूर्णतया असफल रहा है और वे बार-बार क्यों उसी लती को दोहराते जा रहे हैं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने माननीय सदस्य का वक्तव्य पढ़ लिया है। वह कल के समाचारपत्रों में आया था। इस प्रश्न पर स्थाई मंत्रणा समिति की बैठकों और कलकत्ते में संसद् के सदस्यों की अनौपचारिक बैठकों में भी बहसें हो चुकी हैं। माननीय सदस्य जिन धारणाओं को आधार बना कर चल रहे हैं वे मुझे स्वीकार्य नहीं।

बिहार तथा उड़ीसा में असफलताओं के अनेक कारण रहे हैं जिन पर हम पहले विचार कर चुके हैं। किन्हीं मामलों में शरणार्थी दबाव के कारण चले गए जो उन पर बाहर से डाला गया, किन्हीं अन्य मामलों में हमारी पुनर्वास योजनाओं में भी कुछ दोष रहे हैं। वे दोष अब दूर किए जा रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार मिशन

*१२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अक्टूबर १९५५ में भारत में एक ६ सदस्यों का अमरीकी व्यापार मिशन आया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके आने का परिणाम ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां।

(ख) मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार द्वारा भारतीय उद्योग प्रदर्शिनी में भाग लेने के लिये तथा भारतीय व्यापार संभावनाओं की प्रायमिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। मिशन देश के विभिन्न भागों में व्यापारियों तथा वाणिज्य संघों से

विचार विमर्श कर रहा है। सरकार के पास और कोई सूचना नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या एक्सपोर्ट के सम्बन्ध में भी इस मिशन के साथ कोई बात-चीत हुई ह या समझौता हुआ है ?

श्री करमरकर : मैंने जो कुछ अभी कहा है उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं है।

मंत्रीयों का समन्वय बोर्ड

***१३ श्री एल० एन० मिश्र**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्टूबर १९५५ में दिल्ली में मंत्रियों के समवन्य बोर्ड की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय किये गये थे ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]**

श्री एल० एन० मिश्र : विवरण से ज्ञात होता है कि बोर्ड ने राष्ट्रीय निर्माण निगम को स्थापित करना स्वीकार कर लिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस निगम की स्थापना के बारे में ठीक ठीक स्थिति क्या ह ?

श्री हाथी : इन बातों को तय करने के लिए, कि यह निगम कैसे बनाया जाये, इसके कृत्य क्या हों इत्यादि, एक समिति नियुक्त की गई है।

श्री एल० एन० मिश्र: टैकनिकल कर्मचारियों के बारे में, मैं यह जानना चाहता हूं कि नये मंत्रियों का कोई समिति स्थापित की गई है और क्या तब से अब तक इसकी कोई बठक हुई है ? उस विशेष समिति के निर्णय का क्या हुआ है ?

श्री हाथी : उस समिति की अभी बैठक नहीं हुई है। आप देखेंगे कि बोर्ड की बैठक अभी अक्टूबर १९५५ में ही हुई थी।

श्री एल० एन० मिश्र : विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं पर पड़ी फालतू मशीनरी के बारे में है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फालतू मशीनरी को एक परियोजना से दूसरी को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही की गई है, और यदि हां तो कहां ?

श्री हाथी : केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में एक विशेष निदेशालय कार्य कर रहा है जो कि विभिन्न परियोजनाओं से फालतू मशीनरी के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करता है और सूचियां बनाता है और उन्हें विभिन्न परियोजनाओं को, जिन्हें इस मशीनरी की आवश्यकता होती है परिचालित करता है। आवश्यकता पड़ने पर मशीनरी का स्थानान्तरण कर दिया जायेगा।

श्री एस० एन० दास : क्या नियुक्त की गई समिति से एक निश्चित समय तक रिपोर्ट तैयार करने के लिये कहा गया ?

श्री हाथी : कोई समय निश्चित नहीं किया गया है।

रेशम

***१४ श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रेशम के मूल्यों को स्थिर करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशक कीट-पालन बोर्ड ने रेशमी माल के आयात के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हा, तो इस मामले म सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय रेशम बोर्ड से हाल में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ । जुलाई-दिसम्बर १९५४ की अवधि से रेशमी कपड़े के आयात की अनुमति नहीं दी गई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री ईश्वर रेड्डी: रेशम के आयात पर यह प्रतिबन्ध कितने वर्षों तक जारी रखा जायेगा ?

श्री करमरकर : भविष्य में यह अभी से नहीं कहा जा सकता है । भविष्य की सम्भावनाओं को हम नहीं बता सकते ।

श्री नानादास : रेशम की स्थानापन्न वस्तुयें जैसे कि रेयान आदि, किस प्रकार तथा किस सीमा तक प्रतियोगिता कर रही हैं ; और सरकार अवांछनीय प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री करमरकर : यह सच है कि रेयान द्वारा प्रतिस्पर्धा की जा रही है । हम जो कार्य-वाही कर रहे हैं, उसके बारे में मेरे माननीय मित्र रेशम बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट को, जिस में पूरी जानकारी दी गई है, और जो सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है, पढ़ सकते हैं ।

श्री नानादास : हाथकरघा बुनकरों को कच्चा रेशम देने के बारे में वर्तमान संभरण स्थिति क्या है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

*१५. **श्री गोपाल राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय औद्योगिक निर्माण विकास निगम ने देश में मशीनी औजार, डीज़ल इंजन और जनित्रों के निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं की अब तक जो जांच की है, उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने यह राय प्रकट की है कि ९ अक्तूबर, १९५५ को होने वाली निदेशक बोर्ड की बैठक में इन उद्योगों सम्बन्धी परियोजनाओं की विस्तृत जांच की जाये । इस जांच को करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

श्री गोपाल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह विषय सारे देश के लिये महत्वपूर्ण है ; क्या सरकार काम में शीघ्रता लाने के हेतु कार्यवाही करने के लिए तैयार है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, सरकार अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी कुछ कर रही है । मैं यह भी बता दूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक समिति द्वारा, जिसे कि कुछ समय पूर्व इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया था किये गये सर्वेक्षण के फलस्वरूप हमारे पास कुछ जानकारी है, सरकार स्वयं मशीनी औज़ार उद्योग के विकास की संभाव्यताओं की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित करने की प्रस्थापना करती है ।

श्री वेलायुधन : क्या भारत में एक नया मशीनी औज़ार उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां : यदि उस समिति की, जिसे बनाने का हमारा विचार है, रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ कि हमें अधिक मशीनी औजारों की आवश्यकता है तो यह सम्भव है कि सरकार स्वयं सरकारी क्षेत्र में मशीनी औज़ार बनाना शुरू कर देगी

और गैर-सरकारी क्षेत्र में भी उन मशीनी औजारों के जिन्हें वह मितव्ययतापूर्वक बना सकते हैं निर्माण को प्रोत्साहन देगी ।

इंजीनियरी के सामान के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद्

*१६. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरी के सामान के लिये एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन हैं ;

(ग) अब तक यह कार्य किस निकाय को सौंपा हुआ था ; और

(घ) उक्त परिषद् की स्थापना के कारण क्या ह ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार ने व्यापारिक और निर्माण कार्य करने वाले हितों को इंजीनियरी के सामान के लिये एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् की स्थापना में सहायता की है ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता ह । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]**

(ग) और (घ). इस परिषद् की स्थापना करने का उद्देश्य इंजीनियरी के सामान के निर्यात व्यापार का पथप्रदर्शन और अभिवृद्धि करना था । इस परिषद् द्वारा किये जाने वाले कार्यों को बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]** इस परिषद् के बनाये जाने से पूर्व यह कार्य किसी निकाय विशेष को नहीं सौंपा गया था ।

श्री हेडा : वह किस प्रकार के इंजीनियरिंग सामान हैं जिनकी अच्छी खपत हो रही है या अच्छी खपत होने की सम्भावना है और वे देश कौन कौन से हैं जिनमें इनकी खपत हो सकती है ?

श्री करमरकर : निर्यात के लिये जो इंजीनियरी का सामान भारत दे रहा है उसमें से कुछ यह हैं, साइकिल और साइकिलों के पुर्जे और आवश्यक सामान, गैस लैम्पें इस्पात का बना फर्नीचर, इस्पात के बन ढांचे आदि ।

श्री हेडा : इस परिषद् की स्थापना का एक उद्देश्य एक-एक बाज़ार का अध्ययन करना है । कितने देशों का अध्ययन किया जा चुका है और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री करमरकर : परिषद् की स्थापना अभी हाल ही म हुई है । बाज़ारों के अध्ययन के सम्बन्ध म हममे अपने मंत्रालय म कुछ कार्य किया था, किन्तु समय आन पर निर्यात परिषद् इस की जांच करेगी ।

श्री हेडा : पिछले दो-तीन वर्षों म कुल कितना निर्यात किया गया था ?

श्री करमरकर : मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि भारत से प्रतिवर्ष निर्यात किये गये इंजीनियरी के सामान का मूल्य लगभग चार करोड़ रुपये आंका जाता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस समय कौन कौन से देश हमारा सामान खरीद रहे हैं ?

श्री करमरकर : म पूर्व सूचना चाहूंगा ।

चाय

*१७. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २१ सितम्बर, १९५५ को दिय गये तारांकित प्रश्न संख्या २०३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) कुल कितने एकड़ भूमि में खेती करने की प्रस्थापना की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चाय के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। अनुमान यह लगाया जाता है कि सामान्य रूप से इस अवधि में २०,००० से २५,००० एकड़ नई भूमि पर खेती की जायेगी।

श्री एन० एम० लिंगम : भारत में भूतकाल में चाय का उत्पादन नगण्य होता रहा है जबकि अन्य देश इस के उत्पादन में बड़ी तेजी से विस्तार करते रहे ह। इस स्थिति को दृष्टि में रखते हुये, इसकी खेती को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री करमरकर : की जाने वाली कार्यवाही इस समय विचाराधीन है। विकास योजना पारस्परिक परामर्श से तय की जाती है और हम देखते हैं कि चाय की खेती में वृद्धि करने के लिए जो रियायत दीं गई थी उसका पूर्णरूपेण लाभ नहीं उठाया गया था। विनियमन काल अर्थात, १९५०–५५ में सरकार द्वारा १३,५०० एकड़ के लिये दी गई अनुमति में से केवल ८३६ एकड़ में खेती की गई थी।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या हम यह समझें कि सरकार ने इस मामले पर गम्भीरता-पूर्वक विचार नहीं किया है ; द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें अत्यधिक विदेशी विनिमय की आवश्यकता है और यदि ये योजनायें शरू कर भी दी गई तो भी पैदावार तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही जाकर हो सकेगी। क्या सरकार इस विषय में कोई शींघ्र निर्णय करेगीं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ऐसा ही विचार है।

श्री बी० डी० पाडे : क्या सरकार जानती है कि कुमाऊं की पहाड़ियों में चाय एक लाभपूर्ण उद्योग था ! क्या सरकार इन तरीकों की जांच करेगी और जो प्रणाली बहुत दिनों पहले चालू थी उसकी पुर्नजीवित करेगी ?

श्री करमरकर : मैं इसका पता लगाऊंगा और सभा को सूचित कर दूंगा।

पूर्वनिर्मित अस्पताल भवन

*१८. **श्री गिडवानी** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार में इंगलिस्तान की रीमा कन्सट्रक्शन कम्पनी की पूर्वनिर्मित अस्पताल भवनों के नौ खण्डों के निर्माण का कार्य सौंपा था ?

(ख) कम्पनी को भुगतान की गई "उपरि" राशि क्या थी ;

(ग) क्या लोक लेखा समिति ने यह कहा कि "सम्पूर्ण योजना पर आरम्भ से ही समुचित विचार नहीं किया गया था और उत्तरदायित्व निश्चित किया जाना चाहिये"। और

(घ) यदि हां, तो इस सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) २·६६ लाख रुपये।

(ग) जी हां।

(घ) स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि कम्पनी को बिना किसी औपचारिक करारके ठेका दे दिया गया था ? यदि हां, तो औपचारिक करार क्यों नही किया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस उद्देश्य से एक पत्र भेजा गया था और उसी के अनुसार क़रार का अन्तिम प्रारूप तैयार किया गया था । किन्तु इसमें कुछ ऐसी बातें थीं जो सरकार तथा कम्पनी दोनों को स्वीकार्य नहीं थीं अतः अन्तिम क़रार कभी पूरा नहीं हो सका ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार का ध्यान लोक लेखा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन की इस अभ्युक्ति की ओर आकर्षित किया गया है कि इस कार्य के निष्पादन में सामान्य लेखा-परीक्षा विधि का प्रयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि लेखा परीक्षकों को न तो कोई अभिप्राय-पत्र ही दिया गया था और न कोई प्राक्कलन इत्यादि दिये गये थे । क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन अक्तूबर १९५५ के प्रारम्भ में प्राप्त हुआ था और वित्त मन्त्रालय के परामर्श से इसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विचार विमर्श किये जाने के लिये भेज दिया गया है । शीघ्र ही इस प्रतिवेदन पर अन्तिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि सार्थ को दी गई राशि केन्द्रीय जन कार्य विभाग के प्राक्कलन से दुगनी थी अथवा उस लागत की अपेक्षा दुगनी थी जो परम्परागत तरीके से इस कार्य के करने पर आती ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह विस्तार के विषय हैं जिनका उल्लेख लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में किया गया है जैसा कि मैंने पहले ही निवदन कर दिया है, कि एक नया प्रयोग किया गया था और इस विषय का पर्याप्त उच्च स्तर पर वित्त मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा परीक्षण किया गया था । यह कोई छः वर्ष पुरानी बात है। इसमें कुछ हानि अवश्य हुई थी । किन्तु उसे हमें नए प्रयोगों में साधारणतः होने वाली हानि ही मानना चाहिये ।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस कम्पनी का हिसाब अन्तिम रूप से निपटाया जा चुका है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं । कम्पनी के साथ कुछ विषयों पर अभी थोड़ा विवा द है ।

अभक्षणीय तेल

*१९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कपड़ा धोने तथा नहाने का साबुन बनाने में कितना अभक्षणीय तेल प्रयुक्त होता है ; तथा

(ख) उपर्युक्त कार्य में इसके प्रयोग को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है या किये जाने की प्रस्थापना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) यह ज्ञात हुआ है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने स्थानीय रूप से उपलब्ध अभक्षणीय तेलों को प्रयोग में लाकर साबुन उद्योग के कुटीर क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई है ।

श्री झूलन सिंह : क्या मैं अभक्षणीय तिलहनों की उपलब्धि की स्थिति को जान सकता हूं और इनका कितना भाग साबुन बनाने के लिये पेरा गया है ?

श्री करमरकर : मेरे पास अभक्षणीय तेलों के लिये पेरे गये तिलहन की मात्रा के वास्तविक आंकड़े तो नहीं हैं किन्तु मेरा अनुमान है कि नीम की निबौलियां अभक्षणीय तिलहनों में से तेल निकालने का एक अच्छा स्रोत हो सकती हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या बिनौले का तेल भी अभक्षणीय तेल है ?

श्री करमरकर : यह अभक्षणीय है ; अश्रव्य नहीं ।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं जान सकता हूं कि अनुमानतः भक्षणीय तेल की कितनी परिमात्रा साबुन बनाने में प्रयुक्त की जाती है और इसमें गरी के तेल का अनुपात कितना है?

श्री करमरकर : इसके लिये सूचना चाहिये ।

इस्पात

*२०. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात की कमी की पूर्ति करने के लिये सरकार किन-किन देशों से इस्पात का आयात कर रही है ;

(ख) आजकल देश में कितने टन इस्पात की कमी है ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन निश्चित अधिक उत्पादन का लक्ष्य देश को इस्पात के विषय में आत्मनिर्भर बना सकेगा ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, बेलजियम, फ्रांस, रूस और चेकोस्लोवाकिया ।

(ख) लगभग १६ लाख टन की ।

(ग) इस समय स्पष्ट रूप से यह कहना बहुत कठिन है कि १९६०–६१ में हमारी इस्पात सम्बन्धी आवश्यकता ४५ लाख टन से अधिक नहीं होगी ।

श्री आर० एन० सिंह : प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो इस्पात पैदा करने का लक्ष्य था, क्या वह पूरा हो गया ?

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में निश्चित लक्ष्य पूरा हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसके लिये सूचना चाहिये ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को नये कारखाने चालू होने तक हमारे देश की इस्पात की कमी का कुछ निश्चित अनुमान है और क्या इस कमी को पूरा करने के लिये भिन्न भिन्न देशों से किया जाने वाला इस्पात का आयात किसी दीर्घ-कालीन क़रार के अनुसार किया जायेगा अथवा वर्ष प्रति वर्ष किये गये क़रारों के अनुसार किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दो प्रश्न हैं । कमी के सम्बन्ध में, हम समय समय पर इसका अनुमान लगाते रहते हैं । जहां तक दीर्घ-कालीन क़रार करने का सम्बन्ध है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय इस्पात का मूल्य अधिकतम सीमा तक पहुंचा हुआ ह मेरे विचार से ऐसा करना ठीक नहीं होगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 'थामस' इस्पात का मूल्य महाद्वीप में २५–३० प्रतिशत कम है और इसका प्रयोग रेलवे द्वारा भी किया जा सकता है क्या सरकार ने उसके आयात के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक 'थामस' इस्पात के २५–३० प्रतिशत सस्ते होने की बात है, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं । यह तो मूल्यों की इस आधार पर तुलना करने पर ही पता चल सकता है कि वह किस प्रकार का इस्पात है तथा हम उसे किस देश से

खरीद रहे हैं आदि । जहां तक रेलवे को इसको काम में लाने के लिये सहमत करने की बात है, हमें इस विषय में रेलवे प्रशासन से कुछ सहयोग प्राप्त हुआ था और इस समय एक परीक्षण किया जा रहा है ।

किराये का बकाया

*२१. **श्री एम० डी० जोशी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर १९५५ के अन्त तक सरकारी इमारतों और सम्पत्ति का कुल कितना किराया बकाया था ;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों से बकाया किराया वसूल करने के लिये कोई विशेष उपाय सोचे गये हैं ; तथा

(ग) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिह) : (क) अभी तक अक्तूबर १९५५ का लेखा बन्द नहीं किया गया है । सितम्बर १९५५ के अन्त तक का कुल बकाया २०,४५,३५९ रुपये १४ आने ११ पाई था ।

(ख) हां, एक बकाया किराया ग्रुपकी यह विशेष कार्य सौंपा गया है कि वह सब प्रकार की बकाया रकमों की पड़ताल करके उन्हें प्राप्त करने के लिये कार्यवाही करे ।

(ग) 'ख' में उल्लिखित उपर्युक्त ग्रूप ने लगभग २०,००० मामलों में से १३,७०३ में जो कि एस्टेट औफिस की किताबों में अक्तूबर १९४२ से मार्च १९५१ तक की अवधि में बकाया दिखाये हुए थे, बकाया किराया प्राप्त किया है । वित्तीय रूप से इसका यह अर्थ है कि(मार्च १९५१ तक) जो वकाया राशि २९,०२,९१९ रुपये ५ आने १० पाई थी वह ३,३७,८७७ रुपये १० आने ८ पाई रह गई अर्थात् २५,६५,०४१ रुपये ११ आने २ पाई की वसूली की गई ।

श्री ए० एम० थामस: क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह बकाया हुआ कैसे ? क्या सरकारी कमचारियों से देय किराये की रकम को उनके वेत्तन में से काट लेने की कोई योजना नहीं है ?

सरदार स्वर्ण सिह : एक योजना है अवश्य किन्तु सभी योजनाओं के बावजूद भी बकाए-दार रह जात हैं और इसलिए बकाया की राशि बढ़ती जाती है ।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न मंत्रालयों पर कितनी रक़म बकाया है ?

सरदार स्वर्ण सिह : सरकारी कर्मचारियों पर १५ लाख रुपये तथा गैर सरकारी व्यक्तियों पर ८८,००० रुपय बकाया ह । जहा तक कार्यालय स्थान का सम्बन्ध है, बकाया राशि २·२५ लाख रुपये ह । एक और मद "राज्य सरका ों इत्यादि को दिये गये निवास स्थान इत्यादि" के सम्बन्ध में बक़ाया राशि लगभग १·७२ रुपये है ।

मैं यहा यह कह दू कि इन राशियों के अफसरों के वेतनों से काटे जाने और इस वसूली की सूचना ऐस्टेट कार्यालय में दिये जाने में काफी समय लग जाता है । जब तक कि सूचना वस्तुत: प्राप्त नहीं हो जती। है तब तक ये राशियाँ ऐस्टेट कार्यालय के प्रलेखों में बकाया के रूप में दिखाई जाती हैं चाहे वास्तव में ये राशियाँ सम्बद्ध कर्मचारियों से उनके विभाग और खज़ानों द्वारा वसूल ही क्यों न कर ली गई हों । इन दोनों कार्यवाहियों के समयान्तर के कारण ५—७ लाख रुपये का अन्तर बढ़ सकता है ।

साइकिलें

*२२. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में साइकिलों के निर्माण के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त लक्ष्य प्राप्ति के लिये नये कारखाने खोलने पड़ेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इन नये कारखानों की संख्या तथा उन स्थानों के नाम जहां यह कारखाने स्थापित किये जायेंगे, क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) साइकिल विकास परिषद् ने १९६०–६१ के लिये १२·५ लाख साइकिलों के निर्माण का लक्ष्य स्वीकृत किया है ।

लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है और न ही लक्ष्य की पूर्ति के साधन वर्तमान इकाइयों की उत्पादन क्षमता को बढ़ा कर अथवा नई इकाईयों को प्रारम्भ करके निर्धारित किये गये हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री क० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग की वर्तमान क्षमता कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आशा की जाती है कि इस वर्ष के अंत तक यह उद्योग कोई पांच लाख साइकिलें बनायेगा ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं नई इकाईयों पर किये जाने वाले कुल विनियोज की राशि को जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं सूचना चाहता हूं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इस समय आयात किये गये बहुत अधिक कच्चे माल का प्रयोग साइकिलें बनाने में किया जाता है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे कि थोड़े समय में प्राथमिक कच्चे माल से प्रारम्भ करके हम भारत में शत-प्रतिशत स्वदेशी साईकिलें बना सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कतिपय इकाईयों के अनुसार आज साइकिलों के निर्माण में काम में आने वाले आयातित कच्चे माल का मूल्य २०और ३२ रुपये के बीच होता है । सरकार आशा करती है कि जब भारत में स्टील की नालियाँ नए लगेंगी––जो कि साइकिल बनाने के लिये काम में लाई जाती हैं और इसमें अभी दो वर्ष लगेंगे–तो यह बात भी काफ़ी कम हो जायेगी ।

श्री के० के० वसुक्या मैं जान सकता हूं कि जो लक्ष्य निधारित किये गये हैं वे देश की आवश्यकताओं के आधार पर आधारित हैं अथवा किन्ही निर्यात विषयक बातों पर भी विचार किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय हमारी लक्ष्य निर्धाण की क्षमता देश की मांग तक ही सीमित है ।

हिन्दुस्तान गृह निर्माण कारखाना

*२३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री २९ सितम्बर १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २३७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी गृह निर्माण कारखाने के अतिरेक भांडारों के सम्पूर्ण रूप से बेच दिया गया है ;

(ख) क्या भाडारों के अन्तिम रूप से बेच दिये जाने के लिये निर्धारित लक्ष्य तिथि का पालन किया गया है ;

(ग) भांडारों को बेचने के लिये नियुक्त संस्थापन और कमवारियों पर कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) अतिरेक भांडारों के विक्रय से प्राप्त हुई कुल राशि कितनी है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) कुल अतिरेक भांडारों में से जिनका पुस्त मूल्य ३९.२६ लख रुपये था ३८.७४ लाख रुपये मूल्यके भांडार बेचे जा चुके हैं ।

भांडार बेचे जा चुके हैं ।

(ख) बचे हुए भांडारो को यथासम्भव शीघ्रता से बेचने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु किसी प्रकार को लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई थो ।

(ग) अतिरेक भांडारों को बेचने क लिये रखे गये संस्थापन और कमचारियों पर ३१ अक्टूबर, १९५५ तक ९८,४०० रपये खर्च हुए

(घ) बहुत सो चोज़ों केमूल्य को वसूली न होने के कारण वास्तव में वसूल की गई कुल रांश को निश्चित नहीं किया जा सकता

श्री एस० सो० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि ३९.२६ लाख रुपये पुस्त मूल्यथा? क्या म जान सकता हूं कि अभी वास्तव म कुल कितनी रक़म वसूल की जानी है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : सम्माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि यह पुस्त मूल्य ह, यही मैंने भाग (क) के उत्तर में कहा है । जहां तक वास्तव में वसूल की गई रक़मों का सम्बन्ध ह, मैंने इसका भाग (क) में उत्तर देने का प्रयत्न किया है और कहा कि मैं वास्तव में की गई वसूली के आंकड़े नहीं दे सकता क्योंकि बहुत चीज़ों के मूल्य अभी वास्तव में वसूल नहीं हुए हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा २.६९ लाख रुपये के मूल्य के एल्यू-मीनियम संघटक लिये गये हैं, और यदि हां, तो कब ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो थोरे की बात है । केन्द्रीय लोक निर्माण विमाग द्वारा जो भी वस्तुयें खरीदी जाती हैं उन सबकी जानकारी मैं नहीं रख सकता हूं । यदि उसने इस भांडार को लिया है तो निश्चय ही इसके लिये वकत्मन किया गया होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उत्सर्जन की जाने वाली वस्तुओं म कमी होने के साथ साथ कर्मचारियों के संख्या भी कम की गई थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस समय कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है । केवल एक छोटा सा कमरा है जिसम थोड़े से लिपिक हैं । मेरा ख्याल ह कि कुल संख्या ५–६ से अधिक नहीं ह । मैं अपनो याद से कह रहा हूं ।

कुनैन

*२४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २६ जुलाई, १९५५ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देशी कुनैन की क़िस्म आयात की गई कुनैन की तुलना में कैसी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : भारत में बनाई गई कुनन बी० पी० १९४८ के स्तर के अनुसार है और उसे आयात की गई कुनेंनजैसा ही अच्छा बताया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : भारत में बनाई गई कुनेन की किस्म का निश्चय करने के लिए सरकार के पास क्या साधन हैं !

श्री करमरकर : मुझ वास्तविक नाम तो याद आ नहीं रहे हैं परन्तु कुछ ऐसे अभिकरण हैं ो हमारे लिए इस कार्य को करते ह ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सिन्कोना के उन बागानों म, जो कि मद्रास और पश्चिम बंगाल के राज्यों म लगाये गये थे, उत्पादन बन्द हो गया है, और यदि हां, तो इसका क्या कारण है !

श्री करमरकर : सिन्कोना बागानों के सम्बन्ध म मुझ पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री डी० सी० शर्मा : समुद्र पार देशों से जो कुनन आयात की जाती है उसकी परिमात्रा और धन के रुप म उसका मूल्य क्या है ।

श्री करमरकर : जी हां, श्रीमान् । म उन्हें अप्रल, १९५५ से सितम ४, १९५५ तक के नवीनतम आंकडे दे सकता हूं इस अवधि म आयात की गई कुनन की परिमात्रा ५,००० पौंड थी, और इसका मल्य १,०२,००० रुपये था । अप्रल से सितम्बर, १९५५ तक की अवधि में आयात को गई पल्युड्रीन के मूल्य सम्बन्धी आंकडे भी मेरे पास हैं, यह राशि ३,५४,००० रुपये है ।

श्री सी० डी० शर्मा : जब कि यह कहा जाता है कि देश में बनाई गई कुनैन की किस्म अन्य देशों से आयात की गई कुनन जैसी ही ह, तो फिर अन्य देशों से कुनन आयात करने की आवश्यकता ही क्या है ?

श्री करमरकर : यह केवल एक संकेतिक आयात ही ह ।

ग्रामों को नया रूप देना

*२५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गांवों को वज्ञानिक ढंग से नया रूप देने के लिए कोई योजना बनाई गई है,

(ख) यदि हां, तो यह योजना भारतीय गांवों के हित में कहां तक फलप्रद हुई है, और

(ग) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां यह योजना लागू की गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिह) : (क) से (ग). यह स्पष्ट है कि कोई एक योजना सारे देश में एक रुप में लागू नहीं हो सकती । प्रादेशिक सरकारें, जिनका देहाती आवास से मुख्यतः सम्बन्ध है, गांवों को नया रुप देने की योजना में बनाते समय स्थानीय आवश्यकताओं को निस्सन्देह ध्यान में रखेंगी ।

नमन के मकानों के कुछ बुनियादी प्राकल्प (डीजाइन बनाए गए हैं और समुदाय योजना प्रशासन के लिए निकाली गई "देहाती आवास एक प्रारूप पत्रिका" नाम की पुस्तिका में विभिन्न गांवों म अपनान के लिए अभिन्यासों (लआ-ऊट्स), मकानों और समूदाय केन्द्रों के नक्शे दिये गये हैं । हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पप्सू और पंजाब में सम्बन्धित अधिकारियों को उन राज्यों में कुछ नमूने के गांवों को बनाने का समय समय पर परामर्श देते रहते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : गांवों की गरीबी को दखते हुए और केन्द्रीय सरकार ने जो बुकलेट इशू किया है उसको देखते हुए क्या गवनमेंट का यह ख्याल है कि गांवों के लोग उसके मुताबिक अपने गांवों को रिमाडल कर पाएंगे । यदि हां, तो सरकार उसके लिए क्या उपाय कर रही है

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, खयाल तो है कि गांवों को जरूर रिमाडल कर पायेंगे।

श्री विभूति मिश्र : गांवों की जैसी सैनिटरी हालत है उसको देखते हुये क्या केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कोई आदेश जारी करेगी या किये गये हैं कि गाँवों की सैनिटरी कंडिशंस को किस तरह सुधारा जाये ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, प्रान्तीय सरकारें इस विषय में विचार कर रही है और सैंट्रल गवर्नमेंट को कोई जरूरत महसूस नहीं हुई कि कोई खास हिदायत इस बात के मतालिक जारी करे ।

लाला अंचित राम : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पंजाब और पेप्सू म जो हाल ही में फ्लड आये थे और उनम कई घर नाश हो गये थे, क्या उन गाँवों में माडल हाऊसिस बनाने के लिये गवर्नमेंट ने कोई स्कीम तैयार की है या क्या वह प्रांतीय सरकारों को माडल हाऊसिस बनान के लिये कुछ रुपया देने का विचार कर रही ह ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सैंट्रल गवर्नमेंट ने इस विषय में कोई खास स्कीम तैयार नहीं की है ।

भारत का निर्यात व्यापार

*२८. **श्रीमती मायदेव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ सितम्बर, १९५५ के दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १४५४ के उत्तर के सम्बम्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि भारत के निर्यात ब्यापार को उन्नत करने के उपाय कहां तक सफल रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : निर्यात व्यापार पर निर्यात संवर्द्धन कार्यों के प्रभावों का सही अनमान लगाना असम्भव है । फिर भी यह महत्वपूर्ण है कि १९५४-५५ में हमारे कुल निर्यात ५७७.७६ करोड़ रुपयों का था, जो हमारे पिछल वर्ष के निर्यात से लगभग ५५ करोड़ रुपये अधिक था ।

श्रीमती मायदेव : क्या मैं जान सकती हूं कि कितने व्यापार सम्बन्धी शिष्टमंडल भजे गये थे और किन देशों को भेजे गये थे और क्या व भारतीय वस्तुओं के लिये काफी आर्डर ला सके थे ।

श्री करमरकर : निकट भूतकाल में सरकार ने निम्नलिखित शिष्टमंडल बाहर भेजे थे : श्री कस्तूरभाई लालभाई के नेतृत्व में एक रूस को, दूसरा श्री रघुरामैया, संसद् सदस्य के नेतृत्व में चीन और दूसरे पूर्व एशियाई देशों को और एक तीसरा श्री एम० पी० बिड़ला के नेतृत्व में और सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा आयोजित होकर पश्चिमी एशियाई देशों को भेजा गया था । व आडर लान के लिये नहीं गए थे ।

श्रीमती मायदेव : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या केवल एक ही केन्द्रीय निर्यात संवर्द्धन परिषद् है या ये परिषदें प्रत्येक राज्य में हैं ?

श्री करमरकर : मेरा विचार था कि मेरी आदरणीय मित्र को पता होगा कि प्रत्येक मुख्य वस्तु के लिए एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् है ।

श्री राघवया : क्या मैं जान सकता हूं कि स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई है या कमी ?

श्री करमरकर : कभी यह बढ़ जाता है और कभी कम हो जाता है परन्तु कुल मिला कर हमारा निर्यात व्यापार अच्छी तरह से हो रहा है ।

श्रीमती मायदेव : पहले दिये गये एक विवरण से प्रतीत होता ह कि व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये लगभग ९-१० तरीके

अपनाए गए थ । क्या मैं जान सकती हूं कि इन में से किसने व्यापार की उन्नति में अधिक अपेक्षतया संतोषजनक निष्कर्ष दिखलाए है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में मेरी आदरणीय मित्र ने इस बात की प्रशंसा की थी कि हम एक ही समय सब सम्भव तरीके अपना रहे हैं और इन सब तरीकों से अच्छा फल मिलने की आशा है । उदाहरणतः एक प्रदर्शनी को लीजिए । यदि आप प्रदर्शनी में भाग लें, तो उस देश के सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे । जैसा मैं अपने मुख्य उत्तर में कह चुका हुं, हमारे निर्यात व्यापार की वृद्धि की ठीक ठीक मात्रा और की गयी एक विशेष कार्यवाही के बीच का सम्बन्ध ठीक तरह से नहीं बताया जा सकता ।

चाय बागान

*२९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के कुछ चाय बागान अब भी विदेशी नागरिकों के स्वामित्व में हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी हां ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदेशी नागरिकों के स्वामित्व वाले चाय बागानों की वार्षिक आय के बारे में कुछ पता है ?

श्री करमरकर : मेरे पास आय के अलग-अलग आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु जहां तक निगमित समवायों का सम्बन्ध है मुझे पता चला है कि १९५४ में उनकी प्रदत्त पूंजी रु० ३४,८०,००,००० के लगभग थी ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या मैं जान सकता हूं कि चाय बागानों की भूमि एकड़ों में कितनी है ?

श्री करमरकर : मैं जिन १२८ इकाइयों का उल्लेख कर रहा था, उनमें फसल का पंजीकृत क्षेत्र ४,५६,७३२ एकड़ है और चाय बागानों की संख्या ४२८ है ।

पंडित सी० एन० मालवीय : पिछले दो सालों में क्या कोई विदेशी टी एस्टेट्स (चाय बागान) हिन्दुस्तानियों के हाथ में ट्रान्सफर (हस्तांतरित) हुई हैं, अगर हुई हैं तो कितनी ?

श्री करमरकर : समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य ने क्या कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या विदेशी हित भारत को हस्तांतरित हुए हैं ?

श्री करमरकर : कुछ के सम्बन्ध में तो मैं समझता हूं कि ऐसा हुआ है, परन्तु जब तक मुझे इसके लिए पूर्व सूचना न मिले, तब तक इस सम्बन्ध में मैं निश्चित रुप से कुछ नहीं कह सकता ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं यह जान सकता हुं कि पिछले तीन वर्षों में इन विदेशी संस्थाओं की औसत लाभांश-दर कितनी रही है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि पुस्तकालय में इस बात का पता लगाने के लिये पर्याप्त निर्देश-सामग्री है; कुछ भी हो मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रस्तुत नहीं हुं ।

तम्बाकू के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषद्

*३१. **श्री अमजद अली** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू के लिए एक निर्यात संवर्द्धन परिषद् स्थापित करने का निश्चय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य किस प्रकार चुने जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां ।

(ख) परिषद् में बीस सदस्य होंगे और सरकार सभी सम्बन्धित हितों का प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से इनका चुनाव करेगी ।

श्री अमजद अली : प्रश्न के (क) भाग का उत्तर 'हां' में होने की दृष्टि में, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि जितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती होती थी क्या उनकी संख्या बढ़ी है?

श्री करमरकर : एकड़ों की संख्या बढ़ने के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री राघवैया : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस परिषद् में उन राज्यों के प्रतिनिधि होंगे जिन में तम्बाकू बहुतायत से होती है ?

श्री करमरकर : जी हां, ऐसा ही विचार है ।

श्री राघवैया : सरकार द्वारा दिये गये इस प्रश्न के सुनिश्चित उत्तर की दृष्टि में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या वह इसके बहुसंख्यक सदस्यों को आंध्र से लेगी जहां यह वस्तु प्रचुर मात्रा में अर्थात् कुल उत्पादन की लगभग ९० प्रतिशत होती है ?

श्री करमरकर : उत्तर सुनिश्चित इसीलिए था कि परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध में यही सुनिश्चित विचार था । परन्तु जहां तक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, हम सभी संबद्ध बातों पर उचित ध्यान देते हैं और इनमें वह क्षेत्र भी शामिल हैं जहां यह फसल होती है ।

भद्रावती का लोहे का कारखाना

*३२. **श्री सिद्धनंजप्पा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के भद्रावती के लोहे के कारखाने को कुछ विकसित करने का विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए कोई योजना बनायी गयी है ; और

(ग) स योजना की मख्य विशेषतायें क्या-क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मैसूर आयरन ऐण्ड स्टील वर्क्स का वार्षिक-उत्पादन लगभग ३० हजार टन से बढ़ा कर १ लाख टन करने की एक योजना विचाराधीन है ।

श्री सिद्धनंजप्पा : योजना में क्या लागत लगेगी और क्या राज्य सरकार उस पर कुछ खर्च करेगी, यदि हां, तो कितना ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : योजना की लागत भिन्न-भिन्न है क्योंकि प्रारंभ में हम लगभग ६ करोड़ रुपये व्यय करने को तैयार थे जिसमें से कुछ राशि व्यय भी की जा चुकी थी । इसके बाद एक संशोधित योजना तैयार की गयी जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ रुपये कम खर्च होने का अनुमान था । इसी बीच राज्य सरकार ने नये प्रस्ताव भेजे हैं । हम निश्चित नहीं कर पाये हैं, कि इन योजनाओं पर राज्य को कितना व्यय करना पड़ेगा ।

श्री सिद्धनंजप्पा : क्या उत्पादन के लिए किसी नये उपाय की बात सोची गयी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मुझे पता है अभी तक नहीं, पर मैं समझता हूं कि राज्य उत्पादन के कई नये उपायों पर विचार कर रहा है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या भारतीय रेलवे के विभिन्न कारखानों में इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार इसी प्रकार की कार्यवाही कर रही है ?

श्री टी०टी० कृष्णमाचारी : मुझे पता नहीं कि इस्पात का उत्पादन करने वाला कोई कारखाना भारतीय रेलवे के पास है । यह जानकारी माननीय सदस्य से ग्रहण किये लेता हूं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या पश्चिम रेलवे के अजमेर वर्कशाप में गत १५ वर्षों से एक इस्पात संयंत्र नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने बताया कि मैं यह जानकारी ग्रहण किये लेता हूं कि क्या वहां वास्तव में इस्पात तैयार होता है ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रख कर कि क्षेप्य (स्क्रैप) लोहे और इस्पात को फिर से रोल करने के लिए दक्षिण भारत में कोई भट्टा नहीं है, क्या भद्रावती निर्माण योजना में क्षेप्य लोहे को फिर से रोल करने के लिए पर्याप्त भट्टियों की भी व्यवस्था की गयी है क्योंकि इसकी कमी के कारण गोदियों में परिवहन गत्यवरोध पैदा हो रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब हम सम्पूर्ण भारत में फिर से रोल करने के कारखाने खोलने की योजना पर विचार करेंगे तो माननीय सदस्य द्वारा बताई गयी सभी बातों को ध्यान में रखा जायगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जमुना में बाढ़

*४. **श्री राधा रमण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९२४ से लेकर अब तक दिल्ली में कितने-कितने समय बाद बाढ़ आई ;

(ख) प्रत्येक बार कितनी सम्पत्ति की हानि हुई और कितनी जानें गयीं ; और

(ग) उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये या किये जाने वाले हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

भारतीय पटसन मिल संघ

*२६. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **वणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पटसन मिल संघ को उसकी आधुनिकीकरण योजना को चलाने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गयी ;

(ग) क्या इस सहायता के उपयोग के लिए कोई शर्त निश्चित की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने जूट मिलों को अपनी पुनर्व्यवस्थापन तथा आधुनिकीकरण योजनाओं को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिये ऋण देने की एक योजना बनाई है । अभी तक कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). जूट मिलों के ऋण सम्बन्धी प्रार्थनापत्रों की छानबीन की प्रक्रिया और ऋण स्वीकार करने के लिए निश्चित की

गयी शर्तों का एक टिप्पण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]

दीवाल घड़ी के कारखाने

*२७. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में दीवाल घड़ी बनाने वाले कारखानों को उनकी घड़ियाँ खरीद कर या प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देकर या दोनों प्रकार से कोई प्रोत्साहन देती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) निम्न कारखानों से घड़ियों की खरीद की गयी है :

(१) मैसर्स टाइम इंस्ट्रूमेंन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई जो अब टूट गयी है।

(२) मैसर्स स्वदेशी एलेक्ट्रिक क्लाक मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड बम्बई।

(३) मैसर्स डूटेक्स क्लाक कम्पनी, कलकत्ता।

मध्य भारत सरकार को इंदौर में घड़ी बनाने का एक कारखाना खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी गयी है।

पाकिस्तान को बाढ़ सम्बन्धी सहायता

*३०. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान को बाढ़ सम्बन्धी सहायता के लिये १० हजार रुपये अंशदान दिया है;

(ख) क्या पाकिस्तान को यह सहायता नगद दी गई है अथवा पदार्थों के रूप में : और

(ग) बाढ़ सहायता के लिये पाकिस्तान को भारत द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गयी है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) : (क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) सहायता पदार्थों के रूप में दी गयी है। पश्चिमी पाकिस्तान सरकार की प्रार्थना के अनुसार मोटा कपड़ा दिया गया है।

(ग) पाकिस्तान को बाढ़ सम्बन्धी सहायता के लिये १९५५ के दौरान में कुल १,१०,००० रुपये दिये गये हैं, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान के लिये १,००,००० रुपये और पश्चिमी पाकिस्तान के लिये १०,००० रुपये हैं।

प्रकाशनों का आयात और निर्यात

*३३. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **वाणिज्य ओर उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टर्लिंग और डालर क्षेत्रों से पुस्तकों और पत्रिकाओं के भारत में आयात और भारत से उनके निर्यात पर कोई निर्बन्धन लागू हैं और यदि हां, तो क्या;

(ख) क्या ऐसा संगठन है जो इन पुस्तकों और पत्रिकाओं के महत्व की ओर ध्यान देता है जिसकी सिफारिश पर उनके आयात और निर्यात के लिये अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो वह संगठन किस प्रकार का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दक्षिण अफ्रीका संघ के अतिरिक्त सभी देशों से पुस्तकों और पत्रिकाओं का आयात खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के, जो ३० सितम्बर, १९५६ तक मान्य है, अन्तर्गत होता है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कास्टिक सोडे का आयात

*३४. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६ की पहली छमाही में कास्टिक सोडे के आयात की अनुमति दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका परिमाण क्या है ;

(ग) किन किन फर्मों को आयात अनुज्ञप्तियां दी गयी हैं और कितने कितने परिमाणों के लिये ; और

(घ) इस प्रकार की प्रत्येक फर्म ने क्या मूल्य दिये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जनवरी-जून १९५६ के लिये आयात-नीति अभी तक निश्चित नहीं की गयी है और उसके लिये कोई अनुज्ञप्तियां जारी नहीं की गयी हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बिहार परियोजना कारखाने

*३५. **श्री बोगावत** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने बिहार में उर्वरक संश्लिष्ट तेल और बिजली के भारी सामान के कारखाने स्थापित करने के लिये संघ सरकार के पास ज्ञापन भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार द्वारा कौन कौन सी प्रस्थापनाएं स्वीकार कर ली गयी हैं ; और

(ग) इन कारखानों में से प्रत्येक की अनुमानित लागत कितनी है और वह कहां स्थापित होगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

नैवेली लिग्नाइट परियोजना

*३६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **उत्पादन मंत्री** १६ अगस्त १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवेली में लिग्नाइट खानों को काम में लाने के विषय में वहां पर पानी में डूबने वाले पम्प लगाने के बाद क्या प्रगति हुई है;

(ख) किस दर पर खानों से पानी निकाला जाता है ; और

(ग) सरकार लिग्नाइट निकालना सम्भवत: कब प्रारम्भ करेगी ?

उत्पादन उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) पानी में डूबने वाले शेष ८ पम्पों के लिये आडर दिया गया था ताकि कुल १२ टर्बाइन और १२ पानी में डूबने वाले पम्प हो जायें जिसमें प्रत्येक की धारिता १,००० गैलन प्रति मिनट होगी । नैवेली में जमीन के अन्दर के पानी की दशाओं का अंदाजा लगाने के हेतु बड़े पैमाने पर पानी निकालने के परीक्षणों के लिये इनकी आवश्यकता है । अभी तक ८ पम्प उस स्थान पर आ चुके हैं और ८ पम्पों के शीघ्र

ही आने की सम्भावना है और शेष जनवरी १९५६ में आ सकते हैं। २० पम्पों को चलाने के लिये आवश्यक विद्युत्शक्ति जनवरी १९५६ में संभवतः उपलब्ध हो जायगी इस बीच पम्प छिद्रों का बनाना उन पर प्लास्टर चढ़ाना और उनका विकास करना—इन कामों में प्रगति हो रही ह और इसी के लिये अतिरिक्त सामान प्राप्त किया गया ह।

(ख) पम्प लगा दिये जाने के बाद और आवश्यक मात्रा में विद्युत्शक्ति के उपलब्ध हो जाने के बाद शीघ्रही बड़े पैमाने पर पानी निकालने के परीक्षण प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

(ग) तारीख बताना अभी समय से बहुत पहले है। खदान कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं हो सकते जब तक पानी निकालन के परीक्षण संतोषजनक न पाये जाये और आवश्यक सामान प्राप्त न कर लिया जाय।

भाखड़ा नंगल परियोजना

*३७. **डा० सत्यवादी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री उस क्षति का ब्यौरा देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जो हाल ही में पंजाब में आने वाली बाढ़ों के कारण भाखड़ा सिंचाई और विद्युत प्रणाली को पहुंची है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९**]

नमक

*३८. **पण्डित डी० एन० तिवारी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राक्कलन समिति द्वारा अपने पन्द्रहव प्रतिवेदन की कंडिका १०७ और ९२ में की गयी सिफारिशों पर जो नमक पर से मूल्य-नियंत्रण को हटाने और एक स्वायत्त नमक बोर्ड बनाने के बारे में थी विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) तथा (ख) जैसा कि प्राक्कलन समिति ने अपने पन्द्रहवें प्रतिवदन की कंडिका १११ में लिखा है नमक का मूल्य केन्द्र द्वारा किये जाने वाले किसी मूल्य-नियंत्रण के अधीन नहीं है। फिर भी कुछ राज्य सरकारें नमक पर मूल्य नियंत्रण जारी रख रही हैं और उन्हें मंत्रणा दी गई है कि ज्यों ही परिस्थितियां अनुकूल हों यथाशीघ्र इन नियंत्रणों को हटा दिया जाए।

प्राक्कलन समिति की स्वायत्त नमक बोर्ड की स्थापना सम्बन्धी सिफारिशें अभी विचाराधीन है।

पटसन सम्बन्धी न्यायाधिकरण

*३९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पटसन न्यायधिकरण के मजूरी सम्बन्धी पंचाट का पटसन निर्यात व्यापार और कच्चे पटसन के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : यह सूचना प्राप्त हुई है कि मजदूर संघों ने इस पंचाट के विरुद्ध अपील की हे और भारतीय पटसन मिल संघ ने प्रति-अपील की है। इन परिस्थितियों में मैं इस समय पंचाट के प्रभाव के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता।

सामुदायिक विकास परियोजनाएं

*४०. **श्री विभति मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि एशिया के किन किन देशों के शिष्टमण्डल अब तक

सामुदायिक विकास परियोजना क्षेत्रों में गये हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): निम्न एशियाई देशों के शिष्टमण्डल भारत में सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में घूम चुके हैं :---

फिलिपाइन्स

इन्डोनेशिया

बर्मा

श्रीलंका

पाकिस्तान

ईरान

ईराक़

थाईलैंड ।

अखबारी कागज का संयंत्र

*४१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २८ जुलाई १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में अखबारी कागज़ का संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में वहां की सरकार के प्रस्ताव पर कुछ निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) पंजाब सरकार की योजना पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ योजना आयोग में चर्चा की गई थी और पता चला है कि आयोग ने इसे राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली योजना के रूप में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का निर्णय नहीं किया है ।

इस्पात संयंत्र

*४२. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैकोस्लोवाकिया ने दीर्घकालीन ऋण के आधार पर भारत में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का वचन भारत सरकार को दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

भारत-संयुक्त राज्य अमरीका के बीच मैत्री तथा स्थापना सम्बन्धी संधि

*४३. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** २ मार्च १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मैत्री तथा स्थापना सन्धि के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप आरम्भ करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : जून १९५५ में कुछ बातचीत हुई थी । सन्धि के जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई आशा नहीं है ।

बिहार के लिये इस्पात संयंत्र

*४४. **श्री बोगावत :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की सरकार ने एक इस्पात संयंत्र बिहार में स्थापित किये जाने के लिए संघ सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या संघ सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो संयंत्र का स्थान और अनुमानित लागत क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां, तृतीय इस्पात संयंत्र स्थापित किये जाने के बारे में।

(ख) तथा (ग). तृतीय इस्पात संयंत्र पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर में स्थित होगा परन्तु यह प्रस्ताव है कि बुकारो क्षेत्र को अन्य भावी इस्पात संयंत्र के सम्भाव्य स्थान के रूप में विकसित किया जाये।

जापान के साथ व्यापार

*४५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५५ में अब तक जापान के साथ भारत के निर्यात व्यापार की मात्रा क्या है ;

(ख) विगत दो वर्षों के निर्यात व्यापार और इसकी तुलनात्मक स्थिति;

(ग) क्या यह सच है जापान के साथ व्यापार घट रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). जनवरी—सितम्बर, १९५५ के काल में भारत से जापान को निर्यात हुए माल का मूल्य १६,८० लाख रुपये था। १९५४ और ११५३ के तत्स्थानी काल के आंकड़े क्रमानुसार १०७५ लाख रुपये और २०३३ लाख रुपये थे।

(घ) भुगतानावशेष की कठिनाइयों के कारण जापान निर्बन्धक आयात नीति का पालन कर रहा है।

टाइप की मशीनें

१. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई १९५५ के पश्चात् भारत में कितनी टाइप की मशीनों का निर्माण हुआ है;

(ख) टाइप की प्रत्येक मशीन का लागत-मूल्य और विक्रय-मूल्य क्या है;

(ग) क्या टाइप की मशीन के सारे पुर्जे भारत में बनाये जाते हैं या उनमें से कुछ का अब भी आयात होता है; और

(घ) यदि अब भी इनका आयात होता है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सितम्बर १९५५ तक १५७६।

(ख) यह समझा जाता है कि १४ इंच "कैरिज" वाली गाडरिज टाइप की मशीन का विक्रय-मूल्य ६३० रुपये है और प्रमाप "रेमिंगटन राइटर" विक्रय-मूल्य विभिन्न आकारानुसार ८९५ रुपये से लेकर १,२१५ रुपये तक है। उनके लागत मूल्य विदित नहीं हैं।

(ग) तथा (घ). टाइप की मशीनों के सारे पुर्जे भारत में नहीं बनाये जाते। उनमें से कुछ का सरकार द्वारा अनुमोदित निश्चित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार आयात होता है।

कीनिया में भारतीय उदभव के अफ्रीकी लोग

२. **सरदार हुक्म सिह :**
श्री बहादुर सिह :

क्या **प्रधान मंत्री** १३ सितम्बर १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कीनिया में अब तक मारे गये भारतीय उद्भव के अफ्रीकी लोगों की अन्तिम निर्धारित संख्या क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अक्टूबर १९५२ में आपात आरम्भ होने के पश्चात् कीनिया में भारतीय उद्भव के ३३ लोगों के मारे जाने के समाचार मिले है।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये आवास स्थान

३. **श्री अमर सिह डामर:** क्या **पुनवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है जो अभी भी बिना किसी आवास स्थान के हैं ; और

(ख) उन्हें ऐसे आवास स्थान कब दिये जायेंगे ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० क०भोंसले): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम 'ए' प्रकार के बिखरे हुए शरणार्थियों को मकान देने का प्रबन्ध कर रहें हैं। जब यह काम पूरा हो जायेगा तब इसी प्रकार के शरणार्थियों के बारे में विचार करेंगे। लेकिन यह बताना कि कितने शरणार्थियों को मकान दिये जायेंगे बहुत कठिन ह।

लोहे और इस्पात के सामान का निर्यात

४. **श्री अमर सिह डामर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में लोहा, इस्पात तथा नालीदार चादरों का कितनी मात्रा में बर्मा को निर्यात किया गया ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): १९५३–५४ में बर्मा को ८३९२ टन लोहे और इस्पात से बने सब प्रकार के सामान का निर्यात किया गया। इसमें चादरों का निर्यात भी शामिल है।

वर्मा के साथ व्यापार

५. **श्री अमरसिह डामर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वस्तु विनिमय (बार्टर) के आधार पर बर्मा के साथ व्यापार करने का कोई प्रयत्न चालू वर्ष में किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): जी नहीं।

विदेशी चलचित्र

६. **श्री अमर सिह डामर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५५ से ३० जून, १९५५ तक फिल्म सैंसर बोर्ड के सामने कितने विदेशी चलचित्र पास होने के लिये आये और उनमें से कितने चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये स्वीकृति दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): क्रमश: २६२८ और २५६७।

जेबी चर्खा

७. डा० सत्यवादी: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावणकोर-कोचीन के श्री जोय कुरीन ने एक जेबी चर्खे का आविष्कार किया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या कुटीर उद्योग में उसके उपयोग की संभाव्यता पर सरकार ने विचार किया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). संभवत: सदस्य का आशय श्री जो क्यूरिअन से है । वह एक नया नमूना बनाने की कोशिश कर रहे हैं । इस समय निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि इस चर्खे को कुटीर उद्योग के रूप में आर्थिक दृष्टि से कहां तक काम में लाया जा सकता है ।

इस्पात संयंत्र

८. श्री बोगावत :
श्री बर्मन :
श्री झूलन सिंह :
श्री डी० सी० शर्मा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सार्थों के साथ दुर्गापुर के तीसरे इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में वार्ता समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो वार्ता में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) संयंत्र की क्षमता तथा प्राक्कलित लागत कितनी है ; और

(घ) सयंत्र की पूंजी तथा प्रशासन में सरकार का कितना अंश है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) : इंडियन स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कम्पनी जो कि ब्रिटिश इस्पात हितों की सहचारी है, के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा का पहिला दौर समाप्त हो गया है । वह प्रतिनिधि मंडल इंगलैंड लौट गया है तथा जनवरी १९५६ में चर्चा के पुन: प्रारम्भ होने की आशा है । उक्त संयंत्र, जो पूर्णत: भारत सरकार का होगा, बिक्री के लिये लगभग ३,५०,००० टन कच्चा लोहा तथा ७,५०,००० टन इस्पात के सामान का उत्पादन करेगा ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण

९. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में किये जाने वाले विकास कार्यों को अन्तिम रूप से निश्चित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां तो इन कार्यों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं; और

(ग) उस क्षेत्र में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्राक्कलित व्यय कितना है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के प्रशासन द्वारा उनका निश्चय कर लिया गया है तथा अब वे अन्तिम स्वीकृति के लिये योजना आयोग के विचाराधीन हैं ।

(ख) विकास कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों में होंगे :—

(१) इमारतें तथा संचार ।

(२) खाद्यान्न में स्वावलम्बी होने के लिये कृषि तथा पशु पालन ।

(३) अस्पताल तथा दवाखाने खोल कर बीमारियों को दूर करने के लिये चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य ।

(४) दस्तकारी के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये गृह उद्योग ।

(५) शिक्षा ।

(६) सामुदायिक परियोजनायें तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम ।

(७) वन ।

(८) अनुसूचित जातियों के इतिहास, संस्कृति तथा भाषा विज्ञान में गवेषणा कार्य ।

(९) स्थानीय व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिये प्रचार तथा दृष्य-श्रव्य शिक्षा की व्यवस्था ।

(ग) दस करोड़ पचास हजार रुपये ।

प्रसारण केन्द्र

१०. श्री झूलन सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४७ तथा १९५४ में कुल कितने प्रसारण केन्द्र तथा रेडियो सैट चालू थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : १९४७ तथा १९५४ में, इस समय भारत में सम्मिलित क्षेत्रों में क्रमशः ७ तथा २३ प्रसारण केन्द्र थे । ३१ दिसम्बर १९४७ तथा ३१ दिसम्बर, १९५४ को, इन तिथियों तक रेडियो अनुज्ञप्ति आंकड़ों के अनुसार, रेडियो सैटों की कुल संख्या क्रमशः २,४८,२७४ तथा ९,०७,१९६ थी । १९४७ के आंकड़ों में १५ अगस्त, १९४७ तक अविभाजित भारत में दी गई सभी अनुज्ञप्तियां और विभाजन के पश्चात् की कालावधि में ३१ दिसम्बर, १९४७ तक भारत में दी गई अनुज्ञप्तियां सम्मिलित हैं ।

नेपाल को सद्भावना मंडल

११. श्री भक्त दर्शन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल को अब तक कोई सरकारी अथवा गैर-सरकारी सद्भावना मंडल भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा किन-किन तिथियों को भेजे गये थे ; और

(ग) इन मिशनों के सदस्यों में कौन कौन सदस्य थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : (क) से (ग). संसद् के नीचे लिखे गये सदस्य अपने खर्च पर, २८ मई, १९५४ से ३ जून, १९५४ तक एक हफ्ते के लिये एक प्राईवेट सद्भावना मिशन पर नेपाल गये थे :

१. श्री राधा रमण—नेता
२. श्री बलवन्त सिंह मेहता
३. श्री भागवत झा आज़ाद
४. श्री एन० केशवैयंगार
५. श्री एन० आर० मल्कानी
६. श्री गोपाल राव वैष्णव
७. श्री गोविन्दा रेड्डी
८. श्री मती माया देवी छेत्तरी ।

साइकिलें.

१२. श्री एम० डी० जोशी : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े पैमाने के कारखानों में तथा छोटे पैमाने के कारखानों में साइकिलों के कौन कौन से संघटक पुर्जे बनाये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के कारखानों में उत्पादित सहायक पुर्जे निम्न स्तर के होते हैं;

(ग) यदि हां, तो इनका स्तर ऊंचा करने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है; और

(घ) इस समय छोटे पैमाने के कितने कारखाने साइकिल संघटक पुर्जो का उत्पादन कर रहे हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जहां तक बड़े पैमाने के कारखानों का सम्बन्ध है, केवल ट्यूब वाल्व को छोड़ कर साइकिल के लगभग सभी पुर्जे उनमें बनाये जाते हैं। छोटे पैमाने के कारखानों में निम्नलिखित पुर्जों के अतिरिक्त अन्य सभी पुर्जे बनाये जा रहे हैं :

(१) व्हील रिम्स
(२) टायर तथा ट्यूब
(३) फ्री व्हील
(४) चेन
(५) स्पोक्स तथा निपिल्स
(६) बी० बी० शैल्स
(७) हब्स
(८) इस्पात की ट्यूब
(९) इस्पात की गोलियां
(१०) फोर्क फिटिंग्स (छोटे पुर्जे)

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) लगभग ३५०

अखबारी कागज के कारखाने

१३. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में (राज्यवार) अखबारी कागज के कितने कारखाने चालू हैं ; और

(ख) इस समय इस उद्योग में कुल कितनी पूंजी विनियोजित है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). इस समय देश में, अखबारी कागज़ का कारखाना केवल मध्य प्रदेश में नेशनल न्यूज़ प्रिन्ट तथा पेपर मिल्स लिमिटेड चालू है। समवाय की ५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी में से प्रार्थित पूंजी की राशि इस समय केवल १ करोड़ ४० लाख रुपये है।

सिंगापुर में भारतीय

१४. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगापुर में भारतीय उद्भव क ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने गत छः वर्षों में वहां की राष्ट्रीयता प्राप्त कर ली है ; और

(ख) इस बस्ती में भारतीय उद्भव के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने वहां की राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिये आवेदन किया था, परन्तु राष्ट्रीयता प्राप्त नहीं कर सके हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९५४ के अन्त तक ३४,५०० (इस संख्या में 'पाकिस्तानी' भी सम्मिलित है)।

(ख) जहां तक हमें ज्ञात है, कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति स्थानीय राष्ट्रीयता प्राप्त करने से वंचित नहीं रहा है।

सरकारी प्रकाशन

१५. श्रीमती मायदेव : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा जारी किये गये मूल्य पर तथा बिना मूल्य पर दिये जाने वाले प्रकाशनों का उसी ढंग का कोई सूचीपत्र है जैसा कि एक ब्रिटेन में है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार की इस प्रकार का एक सूचीपत्र प्रकाशित कराने की कोई प्रस्थापना है

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् कुछ एक वर्षों के उपरान्त मूल्य पर बेची जाने वाली असैनिक पुस्तकों का एक सूचीपत्र जारी किया जाता रहता है । गत बार जारी किये गये सूचीपत्र की प्रतियाँ समाप्त हो चुकी हैं और एक नया सूचीपत्र संकलित करने के सम्बन्ध में प्रयत्न किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त मूल्य पर बेचे जाने वाले प्रकाशनों की नियमित रूप से मासिक और वार्षिक सूचियां मुद्रित की जाती हैं और वे सभी उपलब्ध हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिए मार्केट

१६. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कितनी मार्किटें बनवाई गई हैं ; और

(ख) नई दिल्ली में इस प्रकार की और कितनी मार्किटें बनवाने की प्रस्थापना है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) सात ।

(ख) दो और बनवाई जा रही हैं ?

बर्मा के साथ व्यापार

१७. श्री सी० डी० शर्मा : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, १९५५ से लेकर नवम्बर, १९५५ तक की अवधि में बर्मा से किन किन वस्तुओं का आयात हुआ है और किन किन का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०]** अक्तूबर तथा नवम्बर, १९५५— इन दो मासों के सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

साइकिलें

१८. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में देश में विदेशों से कितनी साइकिलें मंगवाई थीं और उन का मूल्य क्या था; और

(ख) इसी अवधि में कितनी स्वदेशीय साइकिलें विदेश भेजी गई और उनका मूल्य क्या था ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) . एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११]**

व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

१९. चौ० रघुवीर सिंह : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २३ अगस्त, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष हमारे देश से जो व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल विदेशों में भेजे गए थे, उन्होंने किन किन देशों की यात्रा की थी ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (१) **तम्बाकू की और अधिक व्यापार की सम्भावना की खोज के लिए प्रतिनिधि मण्डल** चीन, जापान, थाईलैण्ड, हौंगकौंग और सिंगापुर ।

(ii) **मध्य पुर्वी देशों में भारतीय सद्भावना व्यापार प्रतिनिधि मण्डल** :

बैहरीन, कुवेत, ईराक, ईरान, सीरिया, लैबनौन, तुर्की, मिश्र और सूडान ।

सूअर के बाल

२०. **श्री घसिया** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १६ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन विभिन्न केन्द्रों के नाम क्या है जहां पर सुअर के बालों का निर्माणकारी उद्देश्यों के हेतु उपयोग होता है : और

(ख) देश में प्राप्त सुअर के बालों के कितने प्रतिशत भाग का इन केन्द्रों में उपयोग होता है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी). (क) कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, कानपुर आगरा, जबलपुर और पालघाट (दक्षिण भारत) ।

(ख) ठीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं ह परन्तु लगभग दस प्रतिशत का अनुमान है ।

अफगानिस्तान से व्यापार

२१. **सरदार इकवाल सिह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में अब तक कितने मूल्य की और कितने टन व्यापारिक वस्तुऐं अफगानिस्तान को भजी गई और वहां से मंगाई गई ।

(ख) इसी अवधि में जो वस्तुएं अफगानिस्तान भेजी गई और वहां से मंगाई गई उनके नाम और उनका मूल्य क्या है ; और

(ग) अफगानिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी०कृष्णमाचारी) : (क) अप्रैल-सितम्बर १९५५ की अवधि में भारत का अफगानिस्तान को निर्यात और वहां से आयात क्रमश: ५९·५६ लाख रुपये और ६३·११ लाख रुपये के मूल्य का हुआ । इसके बाद के महीनों के आँकडे और निर्यात अथवा आयात हुई व्यापारिक वस्तुओं के वास्तविक वजन सम्बन्धी आँकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

(ख) और (ग). दो विवरण संलग्न हैं जिनमें जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]**

पारपत्र

२२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रदेशिक पारपत्र कार्यालय दिल्ली द्वारा १९५५ में कितने पारपत्र दिये गये; और

(ख) उक्त कालावधि में कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): (क) १ जनवरी से १५ नवम्बर, १९५५ तक की कालावधि में प्रादेशिक पारपत्र कार्यालय, दिल्ली ने ६,५०७ पारपत्र दिये ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं हैं ।

रेडियो लाइसेंस शुल्क

२३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक रेडियो सेटों का लाइसेंस शुल्क कम करने का फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस फैसले पर कब से अमल किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) यह फैसला किया गया है कि इस समय वाणिज्यिक रेडियो सेटों के लाइसेंस शुल्क में कमी न की जाये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्राम उद्योग

२४. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१–५२ से लेकर १९५४-५५ तक की कालावधि में प्रत्येक वर्ष राजस्थान को ग्राम उद्योगों के विकास के लये दिये जाने के लिये कितना अनुदान, ऋण और आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई ; और

(ख) इन अनुदानों में से कितनी राशि का राजस्थान सरकार ने प्रत्येक वर्ष उपयोग किया ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

———————

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५]

	स्तम्भ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण—	
श्री परेश नाथ कयाल	३६९५
श्री बंसीलाल लोहाड़िया	३६९५
श्री बदरी दत्त पांडे .	३६९५
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
ता० प्र० संख्या विषय	
१. आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता	२६९५—९७
२. भाखड़ा नंगल परियोजना	३६९७—९९
३. दिल्ली में सरकारी निवास स्थान	३६९९—३७०१
५. कराची में औद्योगिक मेला	३७०१—०२
६. बाढ़ पीड़ितों की सहायता	३७०३—०५
७. सेंगांव में हुई घटनाएं	३७०५
८. कोयला आयोग	३७०५—०६
९. प्रादेशिक लेखन-सामग्री डिपो	३७०७—०८
१०. कर्वे समिति	३७०८—०९
११. पूर्वी पाकिस्तान से सामूहिक निष्क्रमण	३७०९—१२

ता० प्र० संख्या विषय	स्तम्भ
१२. संयुक्त राज्य अमरीका का व्यापार मिशन	३७१२—१३
१३. मंत्रियों का समन्वय बोर्ड	३७१३—१४
१४. रेशम	३७१४—१५
१५. विकास निगम	३७१५—१७
१६. इंजीनियरी के सामान के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषद्	३७१७—१८
१७. चाय	३७१८—२०
१८. पूर्व निर्मित अस्पताल भवन	३७२०—२२
१९. अभक्षणीय तेल	३७२२—२३
२०. इस्पात	३७२३—२५
२१. किराये का बकाया	३७२५—२६
२२. साइकलें	३७२७—२८
२३. हिन्दुस्तान गृह निर्माण कारखाना	३७२८—३०
२४. कुनैन	३७३०—३१
२५. ग्रामों को नया रूप देना	३७३२—३३

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
२८.	भारत का निर्यात व्यापार	३७३३—३५
२९.	चाय बगान	३७३५—३६
३१.	नम्बाकू के लिये निर्यात संवर्द्धन	३७३६—३७
३२.	भद्रावती का लोहे का कारखाना	३७३७—३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
४.	जमुना में बाढ़	३७३९—४०
२६.	भारतीय पटसन मिल संघ	३७४०—४१
२७.	दीवाल घड़ी के कारखाने	३७४१
३०.	पाकिस्तान को बाढ़ सम्बन्धी सहायता	३७४१—४२
३३.	प्रकाशनों का आयात और निर्यात	३७४२—४३
३४.	कास्टिक सोडे का आयात	३७४३
३५.	बिहार परियोजना कारखाना	३७४३—४४
३६.	नैवेली लिग्नाइट परियोजना	३७४४—४५
३७.	भाखड़ा नंगल परियोजना	३७४५
३८	नमक	३७४५—४६
३९	पटसन सम्बन्धी न्यायाधिकरण	३७४६
४०	सामुदायिक विकास परियोजनाएं	३७४६—४७
४१.	अखबारी कागज का संयन्त्र	३७४७
४२.	इस्पात संयंत्र	३७४८
४३.	भारत संयुक्त राज्य अमरीका के बीच मैत्री तथा स्थापना सम्बन्धी संधि	३७४८
४४.	बिहार के लिये इस्पात संयंत्र	३७४९
४५.	जापान के साथ व्यापार	३७४९—५०

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
१.	टाइप की मशीनें	३७५०—५१
२.	कीनिया में भारतीय	३७५१
३.	विस्थापित व्यक्तियों के लिये आवास स्थान	३७५१
४.	लोहे और इस्पात के सामान का निर्यात	३७५२
५.	बर्मा के साथ व्यापार	३७५२
६.	विदेशी चलचित्र	३७५२
७.	जेबी चरखा	३७५३
८.	इस्पात संयंत्र	३७५३—५४
९.	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण	३७५४—५५
१०.	प्रसारण केन्द्र	३७५५
११.	नेपाल को सद्भावना मंडल	३७५६
१२.	साइकिलें	३७५६

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
१३.	अखबारी कागज के कारखाने	३७५७–५८
१४.	सिंगापुर में भारतीय	३७५८
१५.	सरकारी प्रकाशन	३७५८–५९
१६.	विस्थापित व्यक्तियों के लिये मार्केट	३७५९
१७.	बर्मा के साथ व्यापार	३७५९–६०
१८.	साइकिलें	३७६०
१९.	व्यापार प्रतिनिधी मंडल	३७६०–६१
२०.	सूअर के बाल	३७६१
२१.	अफगानिस्तान के साथ व्यापार	३७६१–६२
२२.	पारपत्र	३७६२
२३.	रेडियो लाईसेंस शुल्क	३७६३
२४.	ग्राम उद्योग	३७६४

लोक-सभा

वाद-विवाद

सोमवार,
२१ नवंबर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर क अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५५

(२१ नवम्बर स ९ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५,
(खंड ९ में अंक १ से १५ तक है)
लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५६४३–४४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५६४४–४७
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक	५६४७
नदी बोर्ड विधेयक	५६४७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	५६४८
नागरिकता विधेयक	५६४८, ५७१७
संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक	५६४८–४९
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	५६४९
समवाय विधेयक	५६४९–५३
नागरिकता विधेयक	
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५६५४–५७१७
खंडों पर विचार—खंड २ से १९	५७१७–४६
दैनिक संक्षेपिका	५७४७

संख्या २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई की स्थिति	५७५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७५२
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	५७५२
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधयक)—	
खंड १९	५७५२–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५७५५
समवाय विधेयक	५७५५–७३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५७७३–५८१०
खंड २ से ५ और १	५८१०–१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५८१९–२७

	स्तम्भ
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८२७–३२
दैनिक संक्षेपिका	५८३३–३४
संख्या ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव——	
बम्बई की स्थिति . .	५८३५–४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
उनतालीसवां प्रतिवेदन . .	५८४०
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८४०–५९१६
दैनिक संक्षेपिका	५९१७–१८
संख्या ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र . .	५९१९–२१
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . .	५९२१
आकाशवाणी के पदाधिकारियों के बारे में विवरण	५९२१–२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	५९२२–२३
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	५९२३–६०१०
विचार करने का प्रस्ताव	५९२३
खंडों पर विचार . .	५९८७–६०१०
खंड २ . .	५९८७–९५
खंड ३ और ४ .	५९८७–९५
खंड ५ .	५९९५–६०१०
दैनिक संक्षेपिका .	६०११–१४
संख्या ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रख गये पत्र .	६०१५–१६
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . .	६०१६–२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——खंड ६ से १२	६०२२–५५

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . ६०५५–५६
रेलों के पुनवर्गीकरण के बारे में संकल्प ६०५६–६१०४
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . ६१०४–०६
दैनिक संक्षेपिका . ६१०७

संख्या ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ६१०९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन . ६१०९–१०
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . . . ६११०
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक . ६११०–१७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक . ६११७–४१
खंडों पर विचार . . ६११७
खंड १३ स २६ और १ . . ६१२९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१२९
प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) विधेयक— . . . ६१४१–७५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६१४१–४२
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक . . . ६१७५–७९
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६१७५
खंडों पर विचार . . . ६१७७
खंड १ से ८ . . . ६१७८
पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१७८
कशाघात उत्सादन विधेयक . . ६१७८–६२०४
विचार करने का प्रस्ताव ६१७८
दैनिक संक्षेपिका . ६२०५

संख्या ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६२०७–०८
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६२०९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२०९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ६२१०–११
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६२११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ६२१२

बालीसवां प्रतिवेदन

	स्तम्भ
कार्य मंत्रणा समिति—	
अठाइसवां प्रतिवेदन	६२१२
कशाघात उत्सादन विधेयक	६२१५—३७
विचार करने का प्रस्ताव	६२१५
खंड १ से ४	६२३७
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक	६२१३–१५, ६२३८–८०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	६२३८
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६२८०–८८
विचार करने का प्रस्ताव	६२८०
दैनिक संक्षेपिका	६२८९–९२
संख्या ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६२९३–९७
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक	६२९७
बीमा (संशोधन) विधेयक	६२९७–९८
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न	६२९८–६३००
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६३००–१२
विचार करने का प्रस्ताव	६३००
खंडों पर विचार—	
खंड २ से ४६ और १	६३११–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	६३१२
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३१२–७२
विचार करने का प्रस्ताव	६३१२
खंडो पर विचार—	
खंड २ से ४ और १	६३५८–७२
पारित करने का प्रस्ताव	६३७२
दैनिक संक्षेपिका	६३७३–७६
संख्या ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३७७, ६३८४
स्थगन प्रस्ताव—	
अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति	६३७८–८१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३८१–८

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . ६३८२
भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक . . ६३८२
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६३८३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक ६३८३–८४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक . ६३८४–६४१८
विचार करने का प्रस्ताव ६३८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —— चालीसवां प्रतिवेदन . . . ६४१८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक . . . ६४१९
भारतीय अन्य प्रधर्म ग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक . ६४१९–३९
विचार करने का प्रस्ताव ६४१९
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . ६४२९,९२
विचार करने का प्रस्ताव ६४३९
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . ६४६२
दैनिक संक्षेपिका ६४६३–६६

संख्या १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६४६७
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . ६४६७–६९
सभा का कार्य ६४६९
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ६४६९–६५५६
विचार करने का प्रस्ताव ६४६९
दैनिक संक्षेपिका ६५५७–५८

संख्या ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश ६५५९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक ६५५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६५५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१ . . . ६५६०
संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य . . . ६५६०–६१
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ६५६१–६६५२
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६५६१
खंड २ से १० . . . ६६०३–५२
दैनिक संक्षेपिका ६६५३–५४

स्तम्भ

संख्या १२—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६६५५–५७

नियम समिति— ६६५७

प्रथम प्रतिवेदन ६६५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन ६६५७–६०

सभा का कार्य

नागरिकता विधेयक . ६६६०–६७१०

खंडों पर विचार . . . ६६६०–१०

खंड ३, ५, ८, १० से १९ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ६६१०

बीमा (संशोधन) विधेयक ६७११–४४

विचार करने का प्रस्ताव . ६७११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . ६७४४

दैनिक संक्षेपिका ६७४५–४६

संख्या १३—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश ६७४७–४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध, विधेयक ६७४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६७४९

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ६७४९

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६७५०–५४

सभा का कार्य ६७५४–५५

बीमा (संशोधन) विधेयक— . . ६७५५–६८२०

विचार करने का प्रस्ताव . ६७५५–६८१७

खंड २ से ६ और १ . ६८१३–१०

पारित करने का प्रस्ताव . . . ६८१७–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८२०–५७

विचार करने का प्रस्ताव ६८२०–५०

दैनिक संक्षेपिका . ६८५१–५०

संख्या १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ६८५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६८५४–८८

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८८८–९९२

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६८८२

खंड २ से ३ ६९४४-६२

दैनिक संक्षेपिका ६९६३–९४

संख्या १५, शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में घोषणा ६९६५–७०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—मद्रास में तूफान ६९७०–७५

नियम ३२१ के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव ६९७५–८४

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६९८४–८५

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ६९८५

सभा का कार्य ६९८५–८६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६९८६–७०१७

खंड ४ से २० और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०१७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ७०१७–३५

विचार करने का प्रस्ताव ७०१८

खंड २ और १ ७०३५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०३५

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक ७०३६–४९

विचार करने का प्रस्ताव ७०३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीवां प्रतिवेदन ७०४९–५०

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प ७०५०–७०

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लियेएकसमिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प ७०७०–८८

दैनिक संक्षेपिका ७०८९–९०

अनुक्रमणिका (१-४९)

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अकरपुरी, सरदार तेजा सिंह (गुरदास पुर)

अग्रवाल, श्री मुकुन्द लाल [जिला पीलीभीत व जिला बरेली —(पूर्व)]

अग्रवाल, श्री होती लाल [जिला जालौन व जिला इटावा—(पश्चिम) व जिला झांसी (उत्तर)]

अचल सिंह, सेठ (जिला आगरा–पश्चिम)

अचलू, श्री सुंकम (नलगोंडा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

अचिन्त राम, लाला (हिसार)

अच्युतन, श्री के० टी० (क्रैंगन्नूर)

अजित सिंह, श्री (कपूरथला-भटिंडा–रक्षित अनुसूचित जातियां)

अजित सिंहजी, जनरल (सिरोही-पाली)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (दरभंगा पूर्व)

अन्सारी, डा० शौकतुल्ला शाह (बीदर)

अब्दुल्लाभाई, मुल्ला ताहिरअली मुल्ला (चांदा)

अब्दुस सत्तार, श्री (कलना-कटवा)

अमजद अली, श्री (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां)

अमीन, डा० इन्दुभाई बी० (बड़ोदा-पश्चिम)

अमृत कौर, राजकुमारी (मण्डी-महासु)

अय्यंगार, श्री एम० अनन्तशयनम् (तिरुपति)

अय्युण्णि, श्री सी० आर० (त्रिचूर)

अलगेशन, श्री ओ० वी० (चिंगलपट)

अस्थाना, श्री सीता राम (ज़िला आजमगढ़ पश्चिम)

आ

आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम (ज़िला रामपुर, व जिला बरेली-पश्चिम)

आज़ाद, श्री भागवत झा (पूर्णिया व संथाल परगना)

आनन्दचन्द, श्री (बिलासपुर)

आल्तेकर, श्री गणेश सदाशिव (उत्तर सतारा)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फ़ाज़िल्का-सिरका)

इब्राहीम, श्री ए० (रांची उत्तर-पूर्व)

इलायापेरुमाल, श्री एल० (कुडलूर–रक्षित-अनुसूचित जातियां)

इस्लामुद्दीन, श्री मुहम्मद (पूर्निया—उत्तर-पूर्व)

ईयाचरण, श्री आई० (पोन्नानी—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

उ

उइके, श्री एम० जी० (मंडला—जबलपुर दक्षिण–रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व)

उपाध्याय, श्री शिव दत्त (सतना)

उपाध्याय, श्री शिव दयाल (ज़िला बांदा व ज़िला फतहपुर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)

एबनजिर, डा० एस० ए० (विकाराबाद)

क

कंदस्वामी, श्री एस० के० बेबी (तिरुवेंगोड)

कक्कन्, श्री पी० (मदुरई—रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कजरोल्कर, श्री नारायण सदोबा (बम्बई नगर-उत्तर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कथम, श्री वीरेन्द्रनाथ (उत्तर बंगाल—रक्षित —अनुसूचित आदिम जातियां)

कमल सिंह, (शाहबाद उत्तर-पश्चिम)

कयाल, श्री परेशनाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री डी० पी० (धारवाड़-उत्तर)

कर्णी सिंहजी, हिज हाइनैस महाराजा श्री बहादुर आफ बीकानेर (बीकानेर चूरू)

कासलीवाल, श्री नेमि चन्द्र (कोटा-झालावाड़)

काचिरायर, श्री एन० डी० गोविन्दस्वामी (कुडलूर)

काजमी, श्री सैयद मुहम्मद अहमद (ज़िला सुल्तानपुर—उत्तर व ज़िला फैजाबाद दक्षिण-पश्चिम)

काटजू, डा० कैलास नाथ (मन्दसौर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (केन्द्रपाड़ा)

कामत, श्री हरिविष्णु (होशंगाबाद)

कामले, डा० देवराव नामदेवराव पाथीकर (नान्देड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

काले, श्रीमती अनुसूयाबाई (नागपुर)

किरोलिकर, श्री वासुदेव श्रीधर (दुर्ग)

कुरील, श्री बैजनाथ (ज़िला प्रतापगढ़—पश्चिम—व ज़िला राय बरेली-पूर्व-रक्षितअनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री प्यारेलाल (ज़िला बांदा व ज़िला फतहपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, श्री जे० बी० (भागलपुर व पूर्णिया)

कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री एम० आर० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्णचन्द्र, श्री (ज़िला मथुरा—पश्चिम)

कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (कोलर)

कृष्णमाचारी, श्री टी० टी० (मद्रास)

कृष्णस्वामी, डा० ए० (कांचीपुरम्)

केलप्पन, श्री के० (पोन्नानी)

केशवैयंगार, श्री एन० (बंगलौर—उत्तर)

केसकर, डा० बी० वी० (ज़िला सुल्तानपुर-दक्षिण)

कोले, श्री जगन्नाथ (बांकुरा)

कौट्टकप्पल्ली, श्री जार्ज टामस (मीनाचिल)

ख

खरे, डा० एन० बी० (ग्वालियर)

खर्डेकर, श्री बी० एच० (कोल्हापुर व सतारा)

खां, श्री सादत अली (इब्राहीम पटनम)

खुदा बख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेडकर, श्री गोपालराव बाजीराव (बुल-डाना-अकोला)

खोंगमेन, श्रीमती बी० (स्वायत्त ज़िले-रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (ज़िला लखनऊ व ज़िला बाराबंकी-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

गर्ग, श्री राम प्रताप (पटियाला)

गणपति राम, श्री (ज़िला जोनपुर-पूर्व रक्षित-अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फिरोज (ज़िला प्रतापगढ़ पश्चिम व ज़िला राय बरेली-पूर्व)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच-महाल व बड़ोदा पूर्व)

गांधी, श्री वी० बी० (बम्बई नगर —उत्तर)

गाडगिल, श्री नरहरि विष्णु (पूना मध्य)

गार्डिलिगन गौड़, श्री (कुरनूल)

गाम मल्लूदोरा, श्री (विशाखापटनम्—रक्षित —अनुसूचित आदिम जातियां)

गिडवानी, श्री चोइथराम प्रताबराय (थाना)

गिरधारी भाई, श्री (कालाहांडी)—डोलनरि—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

गिरी, श्री वी० वी० (पातपटनम्)

गुप्त, श्री बादशाह (ज़िला मैनपुरी—पूर्व)

गुप्त श्री राम कृष्ण (मेहेन्द्रगढ़)

गुप्त श्री साधन चन्द्र (कलकत्ता—दक्षिण-पूर्व)

गुरुपादस्वामी, श्री एम० एस० (मैसूर)

गुलाम कादिर, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (शान्तिपुर)

गोपालन, श्री ए० के० (कन्नूर)

गोपीराम, श्री (मंडी महासु—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोविन्द दास, सेठ (मंडला-जबलपुर दक्षिण)

गोहेन, श्री चौखामून (नाम निर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)

गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

गौंडर, श्री के० पेरियास्वामी (ईरोड)

गौंडर, श्री के० शक्ति वाडिवेल (पैरियाकुलम)

घ

घोष, श्री अतुल्य (बर्दवान)

घोष, श्री सुरेन्द्र मोहन (मालदा)

च

वर्ती, श्रीमती रेणु (बसीराहट)

चटर्जी श्री एन० सी० (हुगली)

चटर्जी, श्री तुषार (श्रीरामपुर)

चटर्जी, डा० सुशीलरंजन (पश्चिम दीनाजपुर)

चट्टोपाध्याय, श्री हरीन्द्रनाथ (विजयवाड़ा)

चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ज़िला एटा-मध्य)

चन्दा, श्री अनिल कुमार (वीरभूम)

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (तिरुवल्लूर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

चांडक, श्री बी० एल० (बेतूल)

चाड़क, ठाकुर लक्ष्मण सिंह (जम्मू तथा काश्मीर)

चालिहा, श्री विमलाप्रसाद (शिवसागर-उत्तर लखिमपुर)

चावदा, श्री अकबर (बनस्कंठा)

चेट्टियार, श्री टी० एस० अविनाशिलिंगम (तिरुपुर)

चेट्टियार, श्री वी० वी० आर० एन० ए० आर० नागप्पा (रामनाथपुरम्)

चौधरी, श्री गणेशी लाला (ज़िला शाहजहांपुर-उत्तर व खेरी—पूर्व-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री निकुंज बिहारी (घाटल)

चौधरी, श्री रोहिणी कुमार (गौहाटी)

चौधरी, श्री सी० आर० (नरसरावपेट)

चौधरी, श्री त्रिदिव कुमार (बहरमपुर)

ज

जगजीवन राम, श्री (शाहाबाद—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जजवाड़े, श्री राम राज (संथाल परगना व हजारीबाग)

जयपाल सिंह, श्री (रांची पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जयरामन, श्री ए० (तिंडीवनम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जयश्री रायजी, श्रीमती (बम्बई-उपनगर)

ज्यसूर्य, डा० एन० एम० (मेदक)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

जाटववीर, डा० माणिक चन्द (भरतपुर–सवाई माधोपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

जेठन, श्री खेरवार (पालामउ व हज़ारीबाग व रांची––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

जेना, श्री कान्हु चरण (बालासोर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री निरंजन (ढेंकानाल-पश्चिम कटक-रक्षित––अनुसूचित जातियां)

जेना, श्री लक्ष्मीधर (जाजपुर––क्योंझर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

जैदी, कर्नल बी० ए० (जिला हरदोई––उत्तर पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद––पूर्व व जिला शाहजहांपुर––दक्षिण)

जैन, श्री अजित प्रसाद (ज़िला सहारनपुर––पश्चिम व जिला मुज़फ्फरनगर––उत्तर)

जैन, श्री नेमी शरण (ज़िला बिजयनौर–दक्षिण)

जोगेंद्र सिंह, सरदार (जिला बहराइच––पश्चिम)

जोशी, श्री कृष्णाचार्य (यादगीर)

जोशी, श्री जेठालाल हरिकृष्ण (मध्य सौराष्ट्र)

जोशी, श्री नन्द लाल (इन्दौर)

जोशी, श्री मोरेश्वर दिनकर (रत्नागिरि-दक्षिण)

जोशी, श्री लीलाधर (शाहजापुर-राजगढ़)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (करनाल)

ज्वाला प्रसाद, श्री (अजमेर––उत्तर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर––मध्य)

ट

टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास (जिला इलाहाबाद पश्चिम)

टेक चन्द, श्री (अम्बाला-शिमला)

ड

डाभी, श्री फूल सिंहजी बी० (कैरा उत्तर)

डामर, श्री अमर सिंह साबजी झाबुआ––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (सारन दक्षिण)

तिवारी, पंडित बी० एल० (नीमाड़)

तिवारी, सरदार राज भानु सिंह (रीवा)

तिवारी, श्री राम सहाय (छतरपुर-दतिया-टीकमगढ़)

तिवारी, श्री वेंकटेश नारायण (ज़िला कानपुर––उत्तर व ज़िला फर्रुखाबाद––दक्षिण)

तीर्थ, स्वामी रामानन्द (गुलबर्गा)

तुलसीदास किला चन्द, श्री (मेहसाना पश्चिम)

तेलकीकर, श्री शंकर राव (नान्देड़)

त्यागी, श्री महावीर (ज़िला देहरादून व ज़िला बिजनौर––उत्तर-पश्चिम व ज़िला सहारनपुर––पश्चिम)

त्रिपाठी, श्री कामख्या प्रसाद (दरांग)

त्रिपाठी, श्री विश्वम्भर दयाल (ज़िला उन्नाव व ज़िला राय बरेली––पश्चिम व ज़िला हरदोई––दक्षिण पूर्व)

त्रिपाठी, श्री हीरा वल्लभ (ज़िला मुजफ्फरनगर–दक्षिण)

त्रिवेदी, श्री उमाशंकर मूलजीभाई (चित्तौड़)

थ

थामस, श्री ए० एम० (एरणाकुलम्)

थामस, श्री ए० वी० (श्रीवैकुंठम्)

थिरानी, श्री जी० डी० (बारगढ़)

द

दत्त, श्री असीम कृष्ण (कलकत्ता--दक्षिण पश्चिम)

दत्त, श्री सन्तोष कुमार (हावड़ा)

दशरथ देव, श्री (त्रिपुरा--पूर्व)

दामोदरन्, श्री जी० आर० (पोल्लाची)

दामोदरन्, श्री नेत्तूर पी० (टेल्लिचेरी)

दातार, श्री बलवन्त नागेश (बेलगांव उत्तर)

दास, श्री कमल कृष्ण (बीरभूम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर सदर व जमुई-रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)

दास, श्री बी० (जाजपुर-क्योंझर)

दास, श्री बेली राम (बारपेटा)

दास, डा० मनमोहन (बर्दवान--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दास, श्री राम धनी (गया--पूर्व--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

दास, श्री रामानन्द (बैरकपुर)

दास, श्री विजय चन्द्र (गंजम दक्षिण)

दास, श्री सारंगधर (ढेंकानाल--पश्चिम कटक)

दास, श्री श्रीनारायण (दरभंगा मध्य)

दिगम्बर सिंह, श्री (जिला एटा--पश्चिम व ज़िला मैनपुरी--पश्चिम व ज़िला मथुरा-पूर्व)

दीवान, श्री राघवेन्द्र राव श्री निवास राव (उस्मानाबाद)

दुबे, श्री उदय शंकर (ज़िला बस्ती--उत्तर)

दुबे, श्री मूलचन्द (ज़िला फ़रुखाबाद--उत्तर)

दुबे, श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)

देव, श्री सुरेश चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां)

देव, हिज़ हाइनैस महाराजा राजेन्द्र नारायण सिंह (कालाहांडि--बोलनगिर)

देवगम, श्री कान्हू राम (चैबस्सा--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

देशपांडे, श्री गोविन्द हरि (नासिक--मध्य)

देशपांडे, श्री विष्णु घनश्याम (गुना)

देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती-पश्चिम)

देशमुख, श्री चिन्तामण द्वारकानाथ (होशंगाबाद)

देशमुख, डा० पंजाबराव एस० (अमरावती-पूर्व)

देसाई, श्री कन्हैयालाल नानाभाई (सूरत)

देसाई, श्री खंडूभाई कासनजी (हालर)

द्विवेदी, श्री एम० एल० (ज़िला हमीरपुर),

द्विवेदी, श्री दशरथ प्रसाद (ज़िला गोरखपुर--मध्य)

ध

धुलेकर, श्री आर० वी० (ज़िला झांसी-दक्षिण)

घुसिया, श्री सोहन लाल (ज़िला बस्ती--मध्य पूर्व व जिला गोरखपुर--पश्चिम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

धोलकिया, श्री गुलाबशंकर अमृतलाल (कच्छ पूर्व)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकांठा)

नटराजन, श्री एस० एस० (श्रीविल्ली प्रचूर)

नटवाडकर, श्री जयन्तराव गणपत (पश्चिम खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

नटेशन, श्री पी० (तिरुवल्लूर)

नथबानी, श्री नरेन्द्र पी० (सोरठ)

नथानी, श्री हरि राम (भीलवाड़ा)

नम्बियार, श्री के० आनन्द (मयूरम)

नरसिंहन्, श्री सी० आर० (कृष्णगिरि)

नरसिंहम्, श्री एस० वी० एल० (गुंटूर)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमंड हार्बर-रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नानादास, श्रीमंगलगिरि (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नायडू, श्री नल्ला रेड्डी (राजमंद्री)

नायर, श्री एन० श्रीकान्तन् (क्विलोन व मावेलिक्कारा)

नायर, श्री वी० पी० (चिरयिन्कील)

नायर, श्री सी० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

निजलिंगप्पा, श्री एस० (चितलद्रग)

नेवटिया, श्री आर०पी० (ज़िला शाहजहांपुर—उत्तर व खेरी—पूर्व)

नेसवी, श्री टी०आर० (धारवाड़ा—दक्षिण)

नेसामनी, श्री ए० (नागरकोइल)

नेहरू, श्रीमती उमा (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (ज़िला इलाहाबाद—पूर्व व ज़िला जौनपुर—पश्चिम)

नेहरू, श्रीमती शिवराजवती (जिला लखनऊ मध्य)

प

पटनायक, श्री उमा चरण (घुमसूर)

पटेरिया, श्री सुशील कुमार (जबलपुर—उत्तर)

पटेल, श्री बहादुरभाई कुंठाभाई (सूरत—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्रीमती मणिबेन वल्लभ भाई (कैरा—दक्षिण)

पटेल, श्री राजेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा)

पन्नालाल, श्री (ज़िला फैजाबाद-उत्तर—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री रूपजी भावजी (पंच महल व बड़ोदा पूर्व—रक्षित—अनुसूचित आदिम-जातियां)

परांजपे, श्री आर० जी० (भीर)

परागी लाल, चौधरी (ज़िला सीतापुर व ज़िला खेरी—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पवार, श्री वैंकटाराव पीराजीराव (दक्षिण सतारा)

पांडे डा० नटवर (सम्बलपुर)

पांडे, श्री बदरी दत्त (जिला अलमोड़ा उत्तर—पूर्व)

पांडे, श्री सी० डी० [ज़िला नैनीताल व ज़िला अलमोड़ा—(दक्षिण पश्चिम) व ज़िला बरेली—(उत्तर)]

पाटस्कर, श्री हरि विनायक (जलगांव)

पाटिल, श्री एस० के० (बम्बई नगर—दक्षिण)

पाटिल, श्री पी० आर० कानावडे (अहमद-नगर—उत्तर)

पाटिल, श्री शंकरगौड़ बीरनगौड़ (बेलगांव—दक्षिण)

पारिख, डा० जयंतीलाल नरभरी (झाला-वाड़)

पारिख, श्री शान्तिलाल गिरधारीलाल (मेहसाना—पूर्व)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री पी० टी० थानु (तिरुनलवेली)

पुन्नूस, श्री पी० टी० (आल्लप्पि)

पोकर साहब , श्री बी० (मलबुरम्)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

फ

फोतेदार, पंडित शिव नारायण (जम्मू तथा काश्मीर)

ब

बंसल, श्री घमंडी लाल (झज्जर-रेवाड़ी)

बंसीलाल, श्री (जयपुर)

बदन सिंह, चौधरी (ज़िला बदायूं पश्चिम)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (उत्तर बंगाल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बरूआ, श्री देवकान्त (नौगांव)

बलदेव सिंह, सरदार (नवांशहर)

बसु, श्री ए० के० (उत्तर बंगाल)

बसु, श्री कमल कुमार (डायमंड हारबर)

बहादुर सिंह, श्री (फिरोजपुर-लुधियाना-रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बागड़ी, श्री मगन लाल (महासमुंद)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा-रायगढ़--रक्षित अनुसूचित जातियां)

बारूपाल, श्री पन्ना लाल (गंगानगर--झुंझुनू--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री एस० सी० (ईरोड--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बाल सुब्रह्मण्यम्, श्री एस० (मदुरै)

बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (ज़िला बुलन्दशहर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री सी० आर० (तमकुर)

बिदारी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर--दक्षिण)

बीरबल सिंह, श्री (ज़िला जौनपुर--पूर्व)

बीरेनदत्त, श्री (त्रिपुरा--पश्चिम)

बुचिकोटैय्या, श्री सनक (मुसलीपट्टनम्)

बूवराघस्वामी, श्री वी० (पैरम्बलुर)

बैनर्जी, श्री दुर्गाचरण (मिदनापुर-झाड़ग्राम)

बैरो, श्री ए० ई० टी० (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)

बोगावत, श्री यू० आर० (अहमदनगर--दक्षिण)

बोरकर, श्रीमती अनुसूयाबाई (भंडारा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

बोस, श्री पी० सी० (मानभूम उत्तर)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया पूर्व)

ब्रह्म चौधरी, श्री सीतानाथ (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

भ

भक्त दर्शन, श्री (ज़िला गढ़वाल--पूर्व व ज़िला मुरादाबाद---उत्तर-पूर्व)

भगत, श्री बी० आर० (पटना व शाहाबाद)

भटकर, श्री लक्ष्मण श्रवण (बुलडाना--अकोला--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

भट्ट, श्री चन्द्र शंकर (भड़ौच)

भवनजी ए० खीमजी, श्री (कच्छ पश्चिम)

भवानी सिंह, श्री (बाड़मेड़-जालौर)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (गुड़गांव)

भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर दक्षिण)

भारती, श्री गोस्वामीराज सहदेव (यवतमाल)

भारतीय, श्री शालिग्राम रामचन्द्र (पश्चिम खानदेश)

भीखा भाई, श्री (बासवाड़ा-डुंगरपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

भोंसले, श्री जगन्नाथराव कृष्णराव (रत्नागिरि--उत्तर)

म

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरन-तारन)

मथुरम्, डा० एडवर्ड पाल (तिरुचिरापल्ली)

मल्लय्या, श्री यू० श्रीनिवास (दक्षिण-कन्नड़-उत्तर)

मसुरिया दीन, श्री [(ज़िला—इलाहाबाद पूर्व) व (जिला जोनपुर-पश्चिम)—रक्षित—अनुसूचित जातियां]

मसुदी, मौलाना मुहम्मद सईद (जम्मू तथा काश्मीर)

महता, श्री बलवन्त सिंह (उदयपुर)

महाता, श्री भजहरी (मानभूम दक्षिण व धालभूम)

महापात्र, श्री शिवनारायण सिंह (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित—आदिम जातियां)

महोदय, श्री बैजनाथ (नीमाड़)

माझी, श्री राम चन्द्र (मयूरभंज—रक्षित-अनुसूचित-आदिम जातियां)

माझी, श्री चेतन (मानभूम-दक्षिण व धाल-भूम-रक्षित-अनुसूचित-आदिम जातियां)

मात्तन, श्री सी० पी० (तिरुवल्ला)

मादिया गौडा, श्री (बंगलौर-दक्षिण)

मायदेव, श्रीमती इन्दिरा ए० (पूना-दक्षिण)

मालवीय, श्री केशव देव (ज़िला गोंडा-पूर्व व ज़िला बस्ती-पश्चिम)

मालवीय, पंडित चतुर नारायण (रायसेन)

मालवीय, श्री भगनन्दु (शाजपुर-राजगढ़-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मालवीय, श्री मोती लाल (छतरपुर-दतिया टीकमगढ़—रक्षित-अनुसूचित जातिय

मावलंकर, श्री जी० वी० (अहमदाबाद)

मिनीमाता, श्रीमती (विलासपुर-दुर्ग-रायपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भूपेन्द्र नाथ (बिलासपुर-दुर्ग-रायपुर)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (मुंगेर-उत्तर-पश्चिम)

मिश्र, श्री रघुवर दयाल (ज़िला बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री ललित नारायण (दरभंगा व भागलपुर)

मिश्र, पंडित लिंगराज (खुर्दा)

मिश्र, श्री लोकनाथ (पुरी)

मिश्र, श्री विज्ञेश्वर (गया-उत्तर)

मिश्र, श्री विभूति (सारन व चम्पारन)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन सहाय (दरभंगा-उत्तर)

मिश्र, श्री सरजू प्रसाद (ज़िला देवरिया-दक्षिण)

मिश्र, पंडि सरेश चन्द्र (मूंगेर-उत्तर-पूर्व)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व)

मुक्ण, श्री वाई० एम० (थाना-रक्षित-अनुसूचित-आदिम जातियां)

मुचाकी कोसा, श्री (बस्तर-रक्षित—अनुसूचित-आदिम जातियां)

मुत्तु कृष्णन्, श्री एम० (वैल्लोर-रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मुदलियार, श्री सी० रामस्वामी (कुम्ब-कोणम्)

मुनिस्वामी, श्री एन० आर० (वान्दिवाश)

मुनिस्वामी अवर्गल, थिरुकुरलार, श्री वी० (तिंडीवनम्)

मुरली मनोहर, श्री (ज़िला बलिया-पूर्व)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (गंगा-नगर-झुंझुनू)

मुसहर, श्री किराई (भागलपुर व पुर्णिया रक्षित-अनुसूचित जातियां)

मुसाफिर, ज्ञानी गुरुमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर, सूफी (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहम्मद शफी, चौधरी (जम्मू तथा काश्मीर)

मोहीउद्दीन, श्री अहमद (हैदराबाद नगर)

मूर्ति, श्री बी० एस० (एलुरु)

मेनन, श्री के० ए० दामोदर (कोजिकोडे)

मेहता, श्री अशोक (भंडारा)

मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)

मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)

मैथ्यू, श्री सी० पी० (कोट्टयम्)

मैस्करीन, कुमारी एनी (त्रिवेन्द्रम)

मोरे, श्री के० एल० (कोल्हापुर व सतारा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

मोरे, श्री शंकर शान्ताराम (शोलापुर)

र

रघुरामैया, श्री कोटा (तेनाली)

रघुनाथ सिंह, श्री (ज़िला बनारस–मध्य)

रघुवीर सहाय, श्री (ज़िला एटा–उत्तर-पूर्व व ज़िला बदायूं-पूर्व)

रघुवीर सिंह, चौधरी (ज़िला आगरा–पूर्व)

रजमी, श्री सैयदुल्ला खां (सिहोर)

रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)

रनदमन सिंह, श्री (शाहडोल-सिद्धि–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)

रहमान, श्री एम० हिफ्जुर (ज़िला मुरादाबाद–मध्य)

राउत, श्री भोला (सारन व चम्पारन-रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राघवाचारी, श्री के० एस० (पुनुकोंडा)

राघवैया, श्री पिशुपति बेंकट (ओंगोल)

राचय्या, श्री एन० (मैसूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

राज बहादुर, श्री (जयपुर–सवाईमाधोपुर)

राजभोज, श्री पी० एन० (शोलापुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

राधा रमण, श्री (दिल्ली नगर)

राने, श्री शिवराम रांगो (भुसावल)

रामचन्द्र, डा० डी० (वेल्लोर)

राम दास, श्री (होशियारपुर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

रामनारायण सिंह, बाबू (हजारीबाग–पश्चिम)

राम शंकर लाल, श्री (ज़िला बस्ती–मध्य पूर्व व जिला गोरखपुर-पश्चिम)

राम शरण, श्री (ज़िला मुरादाबाद–पश्चिम)

रामशेषय्या, श्री एन० (पार्वतीपुरम्)

राम सुभग सिंह, डा० (शाहाबाद–दक्षिण)

रामस्वामी, श्री एम० डी० (अरुपक्कोटायी)

रामस्वामी, श्री एस० वी० (सैलम)

रामस्वामी, श्री पी० (महबूबनगर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (गुलबर्ग)

रामानन्द शास्त्री, स्वामी (ज़िला उन्नाव व ज़िला रायबरेली–पश्चिम व ज़िला हरदोई–दक्षिण–पूर्व–रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राय, श्री विश्वनाथ (जिला देवरिया–पश्चिम)

राय, डा० सत्यवान (उलबेरिया)

राय, श्री काडयाला गोपाल (गुड़िवाड़ा)

राव, श्री कनेटी मोहन (राजामंद्री–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

राव, श्री कोंड सुब्बा (एलूरु–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

राव, श्री टी० बी० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री पी० सुब्बा (नौरंगपुर)

राव, श्री पेंड्याल राघव (वारंगल)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री बी० शिवा (दक्षिण कनाडा–दक्षिण)

राव, श्री रायसम शेषगिरि (नन्दयाल)

राव, डा० वी० रामा (काकिनाडा)

रिचर्डसन, बिशप जान (नामनिर्देशित–अण्डमान तथा निकोबार द्वीप)

रिशांग किशिंग, श्री (बाह्य मनीपुर–रक्षित–अनुसूचित–आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (ज़िला मिर्जापुर व ज़िला बनारस–पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

रे०, श्री वीर किशोर (कटक)

रेड्डी, श्री के० जनार्दन (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री टी० एन० विश्वनाथ (चित्तूर)

रेड्डी, श्री बद्दम येल्ला (करीमनगर)

रेड्डी, श्री बी० रामचन्द्र (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री रवि नारायण (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री वाई, ईश्वर (कड़पा)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

ल

लंका सुन्दरम्, डा० (विशाखापटनम्)

लल्लनजी, श्री (ज़िला फैजाबाद–उत्तर पश्चिम)

लक्ष्मय्या, श्री पेडी (अनन्तपुर)

लालसिंह, सरदार (फिरोजपुर-लुधियाना)

लाश्कर, श्री निवारण चन्द्र (कचार-लुशाई पहाड़ियां–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

लिंगम, श्री एन० एम० (कोयम्बटूर)

लोटन राम, श्री (जिला जालौन व जिला इटावा–पश्चिम व ज़िला झांसी-उत्तर रक्षित–अनुसूचित जातियां)

व

वर्मा, श्री बी० बी० (चम्पारन–उत्तर)

वर्मा, श्री बुलाकी राम (ज़िला हरदोई–उत्तर-पश्चिम व ज़िला फर्रुखाबाद–पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर–दक्षिण–रक्षित अनुसूचित जातियां)

वर्मा, श्री मानिक लाल (टोंक)

वर्मा, श्री राम जी (ज़िला देवरिया–पूर्व)

वल्लाथरास, श्री के० एम० (पुदुकोटै)

वाघमारे, श्री नारायण राव (परभणी)

विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (जालंधर)

विल्सन, श्री जे० एन० (ज़िला मिर्जापुर व ज़िला बनारस–पश्चिम)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (ज़िला आजमगढ़ पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

वीरस्वामी, श्री वी० (मयूरम–रक्षित–अनूसूचित जातियां)

वेंकटरामन्, श्री आर० (तंजोर)

वैलायुधन, श्री आर० (क्विलोन व मावेलिक्कारा-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

वैश्य, श्री मूलदास भूरदास (अहमदाबाद–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

वैष्णव, श्री हनुमन्तराव गणेशराव (अम्बड़)

वोडयार, श्री के० जी० (शिमोगा)

व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शकुंतला नायर, श्रीमती (ज़िला गोंडा–पश्चिम)

शंकरपांडियन्, श्री एम० (शंकरनायिनार–कोविल)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (ज़िला मेरठ–दक्षिण)

शर्मा, श्री खुशीराम (ज़िला मेरठ–पश्चिम)

शर्मा, श्री दीवान चन्द (होशियारपुर)

शर्मा, श्री नन्द लाल (सीकर)

शर्मा, पंडित बालकृष्ण (ज़िला कानपुर–दक्षिण व ज़िला इटावा-पूर्व)

शर्मा, श्री राधा चरण (मुरैना-भिन्ड)

शास्त्री, श्री अलगू राय (ज़िला आजमगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया–पश्चिम)

शास्त्री, श्री भगवान दत्त (शहडोल–सिद्धि)

शास्त्री, श्री राजा राम (जिला कानपुर–मध्य)

शाह, हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दुमति (ज़िला गढ़वाल पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व ज़िला विजनौर–उत्तर)

शाह, श्री चिमन लाल चाकू भाई (गोहलवाड़ सोरठ)

शाह, श्री रायचन्दभाई एन० (छिंदवाड़ा)

शाहनवाज़ खां, श्री (ज़िला मेरठ–उत्तर-पूर्व)

शिव, डा० एम० वी० गंगाधर (चित्तूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा, श्री एम० के० (मंडया)

शुक्ल, पंडित भगवती चरण (दुर्ग-बस्तर)

शोभा राम, श्री (अलवर)

श्रीमन नारायण, श्री (बर्धा)

स

संगण्णा, श्री टी० (रायगढ़-फुलवनी–रक्षित–अनुसूचित—आदिम जातियां)

सक्सेना, श्री मोहन लाल (ज़िला लखनऊ व जिला बाराबंकी)

सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (जिला गोरखपुर उत्तर)

सत्यवादी, डा० वीरेन्द्र कुमार (करनाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

सतीश चन्द्र, श्री (ज़िला बरेली-दक्षिण)

सर्मा, श्री देवेश्वर (गोलाघाट–जोरहाट)

सहगल, सरदार अमर सिंह (बिलासपुर)

सहाय, श्री श्यामनन्दन (मुजफ्फरपुर–मध्य)

सामन्त श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

साहा, श्री मेघनाद (कलकत्ता–उत्तर-पश्चिम)

साहू, श्री भागवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (मुजफ्फरपुर व दरभंगा–रक्षित–अनुसूचित जातियां)

सिंघल, श्री श्री चन्द (ज़िला अलीगढ़)

सिंह, श्री गिरिराज शरण (भरतपुर-सवाई माधोपुर)

सिंह, श्री चंडीकेश्वर शरण (सरगुजा-रायगढ़)

सिंह, श्री झूलन (सारन–उत्तर)

सिंह, श्री त्रिभुवन नारायण (ज़िला बनारस–पूर्व)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर–उत्तर-पूर्व)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (जिला बहराइच–पूर्व)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर सदर व जमुई)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (सारन–मध्य)

सिंह, ठाकुर युगल किशोर (मुजफ्फरपुर–उत्तर–पश्चिम)

सिंह, श्री राम नगीना (ज़िला गाजीपुर–पूर्व व ज़िला बलिया–दक्षिण-पश्चिम)

सिंह, श्री लेसराम जोगेश्वर (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, डा० सत्यनारायण (सारन–पूर्व)

सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर–पूर्व)

सिंह, श्री सत्येन्द्रनारायण (गया–पश्चिम)

सिंह, श्री हर प्रसाद (ज़िला गाजीपुर–पश्चिम)

सिंहासन सिंह, श्री (ज़िला गोरखपुर–दक्षिण)

सिद्धनंजप्पा, श्री एच० (हसन-चिकमगलूर)

सिन्हा, श्री अवधेश्वर प्रसाद (मुजफ्फरपुर–पूर्व)

सिन्हा, श्री एस० (पाटलिपुत्र)

सिन्हा, श्री कैलास पति (पटना–मध्य)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ व हजारीबाग व रांची)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (पटना-पूर्व)

सिन्हा, श्री नागेश्वर प्रसाद (हजारीबाग-पूर्व)

सुन्दर लाल, श्री (ज़िला सहारनपुर-पश्चिम व ज़िला मुजफ्फरनगर-उत्तर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

सुब्रह्मण्य चेट्टियार, श्री टी० ए० एम० (धर्मपुरी)

सुब्रह्मण्यम्, श्री कांडला (विजयनगरम्)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकूर (बेल्लारी)

सुरेश चन्द्र, डा० (औरंगाबाद)

सूर्य्य प्रसाद, श्री (मुरैना-भिंड रक्षित -अनुसूचित जातियां)

सेन, श्री फनी गोपाल (पूर्णिया-मध्य)

सेन, श्री राज चन्द्र (कोटा-बूंदी)

सेन, श्रीमती सुषमा, (भागलपुर-दक्षिण)

सेवल, श्री ए० आर० (चम्बा-सिरमूर)

सैय्यद महमूद, डा० (चम्पारन-पूर्व)

सोधिया, श्री खूब चन्द (सागर)

सोमना, श्री एन० (कुर्ग)

सोमानी, श्री जी० डी० (नागौर-पाली)

स्नातक, श्री नरदेव (ज़िला अलीगढ़-रक्षित--अनुसूचित जातियां)

स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कुष्टगी)

स्वामीनाथन, श्रीमती अम्मू (डिंडीगल)

ह

हंसदा, श्री बेंजिमिन (पूर्णिया व संथाल परगना-रक्षित-अनुसूचित-आदिम जातियां)

हज़ारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरि मोहन, डा० (मानभूम उत्तर-रक्षित-अनुसूचित जातियां)

हासदा, श्री सुबोध (मिदनापुर-झाड़ग्राम रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (कपूरथला भटिंडा)

हेडा, श्री एच० सी० (निजामाबाद)

हेमब्रोम, श्री लाल (सन्थाल परगना व हजारीबाग-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

हैदर हुसैन, चौधरी (ज़िला गौंडा-उत्तर)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री जी० वी० मावलंकर

उपाध्यक्ष

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव
सरदार हुक्म सिंह
श्री उपेन्द्रनाथ बर्मन
श्री फ्रेंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (**सभापति**)
श्री एम० अनन्तशयनम् आय्यंगार
पंडित ठाकुरदास भार्गव
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री ए० एम० थामस
श्री नरहरि विष्णु गाडगिल
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री पूर्णेन्दु शेखर नास्कर
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्री रघुवीर सहाय
श्री अशोक मेहता
श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी
श्री उमाचरण पटनायक
श्री जयपाल सिंह

विशेषाधिकार समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)
श्री हरि० विनायक पाटस्कर

विशेषाधिकार समिति--(क्रमशः)

श्री सत्यनारायण सिंह
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय
श्री देवकान्त बरुआ
श्री आर० वेंकटरामन्
श्री टेकूर सुब्रह्मण्यम्
श्री नेमि चन्द्र कासलीवाल
श्री ए० के० गोपालन
श्री जे० बी० कृपालानी
श्री एस० एस० मोरे
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्री नेमि शरण जैन
श्री राम सहाय तिवारी
श्री लक्ष्मण सिंह चाड़क

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर (**सभापति**)
श्री गणेशी लाल चौधरी
श्री रामशंकर लाल
श्री बी० एल० चांडक
श्री पैडी लक्ष्मय्या
श्री महेन्द्र नाथ सिंह
श्री शिवराम रागों राने
श्री फूलसिंहजी बी० डाभी
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री राम दास
श्री यू० एम० त्रिवेदी
हर हाईनेस राजमाता कमलेन्दुमति शाह
श्री सी० आर० चौधरी
श्री के० एम० वल्लाथरास
श्री विज्ञेश्वर मिश्र

आश्वासनों सम्बन्धी समिति

श्रीमती सुचेता कृपालानी (**सभापति**)
श्री जसवन्तराज मेहता
श्री टी० बी० विट्ठल राव
श्री के० ए० दामोदर मेनन
श्री ए० ई० टी० बैरो
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री राधा चरण शर्मा
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा
पंडित कृष्ण चन्द्र शर्मा
श्री सी० पी० मात्तन

आश्वासनों सम्बन्धी समिति–(क्रमशः)

सरदार इकबाल सिंह
श्री बसन्त कुमार दास
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री आर० वेंकटरामन्
पंडित लिंगराज मिश्र

लाभ-पदों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव (**सभापति**)
श्री वी० बी० गांधी
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री के० रघुरामैया
श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी
श्री आर० वी० धुलेकर
श्री अनिरुद्ध सिंह
श्री एस० एस० मोरे
श्री कमल कुमार बसु
श्री एन० रामशेषय्या
श्री एम० गोविन्द रेड्डी
काज़ी करीमुद्दीन
श्री अमोलक चन्द
प्रो० जी० रंगा
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

याचिका समिति

श्री कोत्ता रघुरामैया (**सभापति**)
श्री शिव दत्त उपाध्याय
श्री के० टी० अच्युतन
श्री सोहन लाल धुसिया
श्री एस० सी० देव
श्री लीलाधर जोशी
श्री यू० आर० बोगावत
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री राम राज जजवाड़े
श्री रेशम लाल जांगड़े
श्री पी० एन० राजभोज
श्री पी० सुब्बा राव
श्री आनन्द चन्द
डा० सी-एच० वी० रामा राव
श्री रामजी वर्मा

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)
श्री पी० नटेशन

गैर-सरकारी सदस्यों के विषेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–(क्रमशः)

श्री रघुनाथ सिंह
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर
श्री गोस्वामी राजा सहदेव भारती
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी
श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका
श्रीमती इला पालचौधरी
श्री एन० राचय्या
डा० नटवर पांडे
श्री भवानी सिंह
श्री टी० बी० विट्ठल राव
श्री सी० माधव रेड्डी
श्री एन० श्रीकान्तन नायर

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

श्री एन० सी० चटर्जी (**सभापति**)
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री एन० एम० लिंगम्
श्री ए० इब्राहीम
श्री हनुमन्तराव गणेशराव वैष्णव
श्री टेक चन्द
श्री गणपति राम
श्री नन्दलाल जोशी
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री हेमराज
श्री एच० सिद्धनंजप्पा
डा० ए० कृष्णस्वामी
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी

प्राक्कलन समिति

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता (**सभापति**)
श्री टी० मादिया गौडा
श्री अमरनाथ विद्यालंकार
श्री ललित नारायण मिश्र
श्री एम० आर० कृष्ण
डा० राम सुभग सिंह
श्री राघवेन्द्रराव श्रीनिवासराव दीवान
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा
कर्नल बी० एच० जैदी

प्राक्कलन समिति–(क्रमशः)

श्री रोहनलाल चतुर्वेदी
श्री वेंकटेश नारायण तिवारी
श्री गोविन्द हरि देशपांडे
श्री बी० एल० चांडक
श्रीमती बी० खोंगमेन
श्री जेठालाल हरिकृष्ण जोशी
श्री बी० एस० मूर्त्ति
श्री के० एस० राघवाचारी
श्री सी० आर० चौधरी
श्री वी० पी० नायर
श्री भवानी सिंह
श्री पी० एन० राजभोज
श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे
श्री पी० सुब्बा राव

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (**सभापति**)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
सरदार हुक्म सिंह
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मन
श्री फ्रैंक एन्थनी
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्रीमती सुषमा सेन
श्री बी० जी० मेहता
श्री वी० बी० गांधी
श्री सत्यनारायण सिंह
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री कोत्ता रघुरामैया
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री जी० एस० अल्तेकर
श्री यू०एस० मल्लय्या
श्री ए० के० गोपालन
श्री तुलसीदास किलाचन्द
श्री जे० बी० कृपालानी
श्री उमाचरण पटनायक
डा० ए० कृष्णास्वामी

आवास समिति

श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या (सभापति)
श्री बीरबल सिंह
श्री राधा चरण शर्मा

आवास समिति–(क्रमशः)

श्री जार्ज टामस कौट्टकप्पल्ली
श्री दिग्विजय नारायण सिंह
श्री कृष्णाचार्य जोशी
श्री एन० सोमना
श्री भूपेन्द्र नाथ मिश्र
श्री एन० डी० गोविन्दस्वामी काचिरायर
श्री राज चन्द्र सेन
श्री के० आनन्द नम्बियार
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी

संसद् सदस्यों के भत्तों तथा वेतन सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री सत्य नारायण सिंह (**सभापति**)
श्री भागवत झा आज़ाद
श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री जगन्नाथ कोले
श्री गोविन्द हरि देशपांडे
श्री नेमिचन्द्र कासलीवाल
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री पी० टी० पुन्नूस
श्री अशोक मेहता
बेगम एजाज़ रसूल
श्री एच० सी० बासप्पा
श्री डी० नारायण
श्री एच० सी० माथुर
श्री आर० पी० एन० सिन्हा

पुस्तकालय समिति

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (**सभापति**)
श्रीमती सुचेता कृपालानी
श्री एम० एल० द्विवेदी
श्री उमा चरण पटनायक
श्री एम० डी० जोशी
श्री हीरेन्द्रनाथ मुकर्जी
श्री बी० एन० तिवारी
श्री वी० के० धागे
प्रो० आर० डी० सिंह दिनकर
डा० श्रीमती सीता परमानन्द

लोक लेखा समिति

श्री वी० बी० गांधी (**सभापति**)
श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या

लोक लेखा समिति—(क्रमशः)

श्री कमल कुमार बसु
श्री रामानन्द दास
श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन
श्री एस० वी० रामस्वामी
श्री के० जी० देशमुख
श्री बलवन्त सिंह मेहता
श्री सी० डी० पांडे
श्री दीवान चन्द शर्मा
श्री वाई० गाडिलिंगन गौड़
श्री उमा चरण पटनायक
श्री वी० बूबराघस्वामी
डा० इन्दुभाई बी० अमीन
श्रीमती वायलेट आल्वा
दीवान चमन लाल
श्री रामप्रसाद टामटा
श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू
श्री मुहम्मद वलीउल्ला
श्री वी० के० घागे
श्री बी० सी० घोष

नियम समिति

श्री जी० वी० मावलंकर (सभापति)
श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार
पंडित ठाकुर दास भार्गव
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री एन० केशवैयंगार
श्री शिवराम रांगो राने
श्री घमंडी लाल बंसल
श्री खुशी राम शर्मा
श्री कोत्ता रघुरामैया
श्री सतीश चन्द्र सामन्त
डा० एन० एम० जयसूर्य
श्री एन० सी० चटर्जी
श्री भवानी सिंह
श्री कमल कुमार बसु
श्री के० एस० राघवाचारी

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणशक्ति विभाग के भी भार साधक मंत्री—
श्री जवाहरलाल नेहरू

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री—मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
गृह-कार्य मंत्री—पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त
संचार मंत्री—श्री जगजीवन राम
स्वास्थ्य मंत्री—राजकुमारी अमृत कौर
वित्त मंत्री—श्री सी० डी० देशमुख
योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री—श्री गुलजारीलाल नन्दा
रक्षा मंत्री—डा० कैलाशनाथ काटजु
वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री—श्री टी० टी० कृष्णमाचारी
विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री—श्री सी० सी० विश्वास
रेलवे तथा परिवहन मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री
निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह
उत्पादन मंत्री—श्री के० सी० रेड्डी
खाद्य और कृषि मंत्री—श्री अजित प्रसाद जैन
श्रम मंत्री—श्री खंडूभाई देसाई

मंत्रिमंडल के कोटि के मंत्री (परन्त मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं)

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
रक्षा संगठन मंत्री—श्री महावीर त्यागी
सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बी० वी० केसकर
वाणिज्य मंत्री—श्री डी० पी० करमरकर
कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव एस० देशमुख
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में मंत्री—डा० सय्यद महमूद
विधि कार्य मंत्री—श्री हरि विनायक पाटस्कर
प्राकृतिक संसाधन मंत्री—श्री के० डी० मालवीय
राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—श्री एम० सी० शाह
राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री—श्री अरुण चन्द्र गुह
पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना
उद्योग मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

उपमंत्री

संचार उपमंत्री—श्री राजबहादुर
रक्षा उपमंत्री—सरदार एस० एस० मजीठिया
गृह-कार्य उपमंत्री—श्री बी० एन० दातार
श्रम उपमंत्री —श्री आबिद अली
पुनर्वास उपमंत्री—श्री जे० के० भोंसले
रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री—श्री ओ० वी० अलगेशन
स्वास्थ्य उपमंत्री—श्रीमती एम० चन्द्रशेखर
वैदेशिक कार्य उपमंत्री—श्री अनिल कुमार चन्दा
खाद्य और कृषि उपमंत्री—श्री एम० वी० कृष्णप्पा
सिंचाई और विद्युत उपमंत्री—श्री जयसुख लाल हाथी
उत्पादन उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र
योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र
शिक्षा उपमंत्री—डा० के० एल० श्रीमाली

सभा-सचिव

वैदेशिक कार्य मंत्री की सभा-सचिव . . .	श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन
रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव . . .	श्री शाहनवाज़ खां
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव . . .	श्री जोगेन्द्रनाथ हज़ारिका
वित्त मंत्री के सभा सचिव	श्री बी० आर० भगत
उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव	श्री राजा राम गिरिधारी लाल दुब
वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव	श्री सादत अली खां
सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव . . .	श्री जी० राजगोपालन
शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव	डा० मनमोहन दास

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६] भारत की प्रथम संसद् के ग्यारहवें सत्र का प्रथम दिन [अंक १

लोक-सभा

सोमवार २१ नवम्बर, १९५५

लोक-सभा ११ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रनोत्तर

(देखिए भाग १)

१२.०१ म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि राष्ट्रपति ने निम्न विधेयकों पर अनुमति दे दी है जो कि संसद् की सभाओं ने दसवें सत्र में पारित किये थे :

(१) दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९५४।

(२) भू-सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

(३) दरगाह ख्वाजा साहिब विधेयक, १९५२ ।

(४) परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

(५) विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५५ ।

(६) मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक, १९५५ ।

(७) अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५५ ।

(८) औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक, १९५५ ।

(९) पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक, १९५५ ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रबड़ के टायर ट्यूबों के उचित मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उसके सम्बन्ध में सरकार का संकल्प

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) रबड़ के टायर-ट्यूबों के उचित मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५५) ।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या सी० आई० २४ (१८)/५५, दिनांक ३ अक्तूबर, १९५५ ।

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अन्तर्गत एक विवरण जिस में बताया गया है कि उपरोक्त (१) और (२) में उल्लिखित पत्र विहित समय में सभा-पटल

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

पर क्यों नहीं रखे जा सके ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस०-३७९/५५]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं श्री ए० पी० जैन की ओर से अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत खाद्य और कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १६७३-ए, दिनांक ३ अगस्त, १९५५ ।

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १६७३-बी, दिनांक ३ अगस्त, १९५५ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-३८०/५५]

(३) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८६२—ई-एस-एस-कम/शूगर, दिनांक २७ अगस्त, १९५५ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-३८१/५५] ।

(४) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १८६३-ई-एस- एस/शूगरकेन, दिनांक २७ अगस्त, १९५५ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस-३८२/५५] ।

दसवें सत्र की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं संविधान के अनुच्छेद १२३ (२) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो कि राष्ट्रपति ने संसद् की सभाओं के दसवें सत्र की समाप्ति के बाद प्राख्यापित किये हैं :

(१) दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) अध्यादेश, १९५५ (१९५५ का संख्या ५) [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस०-३८३/५५]

(२) बीमा (संशोधन) अध्यादेश, १९५५ (१९५५ का संख्या ६) [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस०-३८४/५५]

श्री फीरोज़ गांधी (जिला प्रतापगढ़-पश्चिम व जिला रायबरेली—पूर्व) : मैं आप का ध्यान बीमा (संशोधन) अध्यादेश की ओर दिलाना चाहता हूं जो बीमा अधिनियम के संशोधन के रूप में रखा जायगा । सभा को इस में बड़ी दिलचस्पी है । आशा है कि आप इस पर विचार के लिये कम-से कम तीन घण्टे का समय देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अभी इस प्रश्न पर विचार करने का समय नहीं आया । जब कार्य मंत्रणा समिति सभा के कार्यक्रम पर विचार करेगी तो वह सभी बातों को ध्यान में रखते हुये समय निश्चित करेगी ।

समुद्र सीमा-शल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

राजस्व और व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : मैं समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) अधिनियम १९५३ द्वारा १८७८ के समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम में रखी गयी धारा ४३ क की उपधारा (४) के अन्तर्गत

सीमा-शुल्क अधिसूचना संख्या १५१ और संख्या १५२, दिनांक १७ सितम्बर, १९५५ की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रख दी गयीं। देखिये संख्या एस०–३८५/५५]**

दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिए आयोजित विश्व स्वास्थ्य संघ के प्रादेशिक सम्मेलन के आठवें सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): मैं उस भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं जो सितम्बर, १९५५ में दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिये बांडुंग (इण्डोनेशिया) में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संघ की प्रादेशिक समिति के आठवें सत्र में भाग लेने के लिये गया था। **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या एस०–३८६/५५]**

अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं अन्तर्राज्यिक नदियों और नदीघाटियों के पानी के सम्बन्ध में विवादों के न्याय-निर्णय की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, जो राज्य सभा में विचाराधीन है, संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

नदी बोर्ड विधेयक

योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं अन्तर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिये नदी बोर्डों की स्थापना की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर जो राज्य सभा में विचाराधीन हैं, संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि चूंकि सभा का सत्र नहीं हो रहा था, व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५५ सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति ने १७ अक्तूबर, १९५५ को मुझे बताया कि समिति का प्रतिवेदन निश्चित तिथि, अर्थात् १५ नवम्बर, १९५५ तक उपस्थापन के लिये तैयार नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं ने सभा की ओर से इस प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय १५ दिसम्बर, १९५५ तक बढ़ा दिया है।

नागरिकता विधेयक

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह भी सूचित करना है कि चूंकि सभा का सत्र नहीं हो रहा था, नागरिकता विधेयक, १९५५ सम्बन्धी संयुक्त समिति के सभापति ने मुझे बताया कि समिति का प्रतिवेदन निश्चित तिथि अर्थात् १६ नवम्बर, १९५५ तक तैयार नहीं हो सकता। मैं ने सभा की ओर से प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये आज तक का समय दे दिया है।

संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विश्वास : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

संविधान (छठा संशोधन) विधेयक

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री विश्वास : मैं विधेयक को पुर:-स्थापित करता हूं ।

समवाय विधेयक

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समवायों तथा कुछ अन्य संस्थाओं सम्बन्धी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्न-लिखित सशोधनों पर विचार किया जाये:—

खंड १६६

(१) पृष्ठ १००, पंक्ति २३, "two years" (दो वर्ष) शब्दों के स्थान पर "one year" (एक वर्ष) रखा जाये ।

खंड ३२४

(२) पृष्ठ १७०, पंक्ति २४ से २६ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"(3) Copies of all rules prescribed under sub-section (1) shall, as soon as may be after they have been prescribed, be laid before both Houses of Parliament.

(4) A copy of every notification proposed to be issued under sub-section (1) shall be laid in draft before both Houses of Parliament for a period of not less than thirty days while they are in session, and if, within that period, either House disapproves of the issue of the notification or approves of such issue only with modifications, the notification shall not be issued or, as the case may require, shall be issued only with such modifications as may be agreed on by both the Houses."

["(३) उपधारा (१) के अन्तर्गत विहित सभी नियमों की प्रतियां, उनके विहित किये जाने के बाद यथा सम्भव शीघ्र संसद् के दोनों सदनों के सामने रखी जायेंगी ।

(४) उपधारा (१) के अन्तर्गत निकालने के लिये प्रस्तावित प्रत्येक अधि-सूचना की एक प्रति प्रारूप में संसद् के दोनों सदनों के सामने उनके सत्र-काल में ३० दिन से अन्यून समय के लिये रखी जायेंगी, और यदि, उस समय में, दोनों में से कोई सदन उस अधिसूचना के निकालने का अनुमोदन करता है या उसके निकालने का रूपभेदों सहित ही अनुमोदन करता है, तो अधि-सूचना नहीं निकाली जायेगी, या, जैसा स्थिति द्वारा अपेक्षित हो, ऐसे रूपभेदों सहित ही निकाली जायेगी, जिनसे दोनों सदन सहमत हों ।"]

खण्ड १६६ में सभा ने इस सिद्धान्त से सहमति प्रकट की थी कि सचिवों (सेक्रेटरियों),

कोषाध्यक्षों, प्रबन्ध अभिकर्ताओं, प्रबंधकों और प्रबन्ध संचालकों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को एक निश्चित शुद्ध लाभ के आधार पर कमीशन दिया जा सकता है, साथ ही उन्होंने धारा १९९ (२) में कहा है कि यह खण्ड दो वर्ष बीत जाने पर ही लागू होगा। वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत होने वाला शुद्ध लाभ उस शुद्ध लाभ से बहुत भिन्न है जो कि इस विधेयक के अन्तर्गत होगा, इसी लिये उस समय विचार यह था कि यदि यह खण्ड तत्काल ही लागू कर दिया गया तो हो सकता है कि छोटे छोटे पदाधिकारियों, कर्मचारियों आदि के लिये असुविधा का कारण हो। हमने जो उपबंध किया है उसके अनुसार कुल लाभ में से बहुत सी राशियां निकाल दी जायेंगी इस लिये शुद्ध-लाभ घट कर किसी हद तक कम हो जायेगा। इसके लिये हम ने दो वर्ष वाला उपबन्ध रखा था। राज्य-सभा ने इस सिद्धान्त को तो स्वीकार किया परन्तु इस अवधि को घटा कर एक वर्ष कर दिया है। हमने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है, इसलिये यह संशोधन सभा के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

दूसरा खण्ड ३२४ के सम्बन्ध में है। उपबन्ध यह किया गया था कि किसी उद्योग या उद्योगों से प्रबन्ध अभिकर्ताओं को परिपाटी समाप्त करने के लिये विहित नियम और सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना दोनों सभाओं के पटल पर रखी जायें। उस समय सुझाव यह दिया गया था कि अधिसूचना का प्रारूप दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये किन्तु उसके साथ कोई अवधि विहित नहीं की गई थी। पहले हमारा विचार था कि ऐसा करना उचित न होगा परन्तु बाद में सरकारी समाओं के सम्बन्ध में खण्ड ६२ में हमने यह सुझाव मान लिया था कि अधिसूचना का प्रारूप दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये। उसके बाद जब यह विधेयक राज्य-सभा में गया तो यह सुझाव मान लिया गया और इसके लिये ३० दिन की अवधि भी निर्धारित कर दी गई। हम ने इस पर विचार किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दोनों सभाओं के सदस्यों को अधिसूचना पर विचार करने, इस का अनुमोदन करने और इस के सम्बन्ध में रूप भेदों के सुझाव देने का अवसर दिया जाना चाहिये। इस लिये ये दोनों संशोधन सभा के सामने सहमति प्राप्त होने के लिये प्रस्तुत हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस पर श्री कामत का एक संशोधन है।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उक्त संशोधन प्रस्ताव के उप-खण्ड (३) में अवधि-सम्बन्धी निश्चय रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी) : इस सभा द्वारा संशोधित विधेयक की कोई प्रति हमारे पास नहीं है और हम इन संशोधनों को समझने में असमर्थ हैं। इसलिये जब तक इसकी प्रतियां हमें प्राप्त न हो जायें तब तक के लिये इन संशोधनों पर विचार विमर्श स्थगित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि लोक-सभा द्वारा पारित विधेयक परिचालित नहीं किया गया है। मुझे यह भी बताया गया है कि प्रथा यह है कि जो सदस्य प्रतियां मांगते हैं उन को उस की प्रतियां दे दी जाती हैं। लगभग २०० सदस्यों ने प्रतियां मांगी थीं और उनको प्रतियां दे दी गई हैं। कुछ भी हो मैं यह सुझाव मानने के लिये तैयार हूं कि यदि सुविधाजनक समझा जाये तो इस पर विचार विमर्श एक दो दिन के लिये स्थगित कर दिया जाये। जो सदस्य इसकी प्रति लेना चाहते हों वे इसे सूचना कार्यालय से प्राप्त कर लें।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग-पश्चिम) : उस की प्रति तो सभी चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह प्रतियां बेकार जाती हैं। जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो वह दोपहर के उपरान्त नोटिस आफिस (सूचना कार्यालय) से प्रति ले सकता है। तभी इस विषय पर विचार किया जायगा। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है ?

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : उसे समस्त सदस्यों में वितरित किया जाना चाहिये क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसको पाने का अधिकारी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति एक प्रति प्राप्त करने का अधिकारी अवश्य है परन्तु प्रत्येक व्यक्ति को पत्रों के वितरण में मितव्ययता का ध्यान भी रखना है। इसलिये मैं ऐसी प्रथा चलाना चाहूंगा कि जो व्यक्ति चाहते हों वे नोटिस आफिस जाकर अपना नाम लिखवा कर प्रति प्राप्त कर लिया करें। सब लोगों को, यहां तक कि अनुपस्थित सदस्यों को प्रतियां देने से कोई लाभ नहीं ।

हम इस पर कब विचार प्रारम्भ करें ? कल ?

कुछ माननीय सदस्य : हां, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कल विचार किया जायगा। प्रश्नों के बाद यही विधेयक, श्री कामत के संशोधन सहित, पहले लिया जायेगा ।

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

> "कि मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

[उपाध्यक्ष महोदय [पीठासीन हुए]

हमारी संविधि पुस्तक में एक १८६७ का बहुत पुराना अधिनियम है जो प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम कहलाता है। यह विधान बहुत समय पहले बनाया गया था और उन परिवर्तनों को देखते हुये, जो न केवल देश की शासकीय व्यवस्था में हुये हैं वरन् स्वयं मुद्रणालय के विकास में भी हो गये हैं अब वह विधि अत्यन्त असामयिक हो गयी है।

मुद्रणालय विधि जांच समिति ने, जो कि मुद्रणालय विधि के मामले पर विचार करने के लिये निर्मित की गई थी, भी मद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम में सुधार के प्रश्न पर विचार किया था और उसने भी इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं। उसी अवधि में मुद्रणालय आयोग मुद्रणालय सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिये नियुक्त किया गया था और यद्यपि हमने एक विधेयक मुद्रणालय विधि जांच समिति द्वारा सुझाई गई लाइनों पर तैयार किया था, हमने यह महसूस किया कि यह अधिक अच्छा होगा कि हम उस समय तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मुद्रणालय आयोग अपनी सिफारिशें पेश करे और इस लिये वह विधेयक सभा के समक्ष चर्चा के लिये नहीं लाया गया। वह रोक लिया गया था ।

मुद्रणालय आयोग ने समस्त प्रश्न की जांच करने के उपरांत समाचार-एत्रों के

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

पंजीयन के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं और वर्तमान विधयक मुख्यतः मुद्रणालय आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

मैं मुद्रणालय आयोग की एक सिफारिश की ओर यहां आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। परिच्छद ८६ में आयोग ने लिखा है :

"देश में प्रेस से सम्बन्धित विश्वस्त आंकड़ों को दृष्टि में रखते हुये हम यह आवश्यक समझते हैं कि उनके संकलन एवं समय समय पर प्रकाशन के लिये कोइ जिम्मेदार परिनियत प्राधिकारी होना चाहिये।"

आयोग का ऐसा मन है।

"समाचार पत्रों के लिये यह आवश्यक कर दिया जाना चाहिये कि वे पत्र के परिचलन के सम्बन्ध में नियत कालिक विवरण-पत्र प्रस्तुत करें और पंजोयक को यह अधिकार होना चाहियं कि वह उन विवरण-पत्रों के सत्यापन के प्रयोजन के लियं, जैसी आवश्यक समझे, वैसी जांच कर सकें।"

एक अन्य स्थान पर आयोग ने निम्न विचार भी व्यक्त किय हैं--मुद्रणालय सम्बन्धी आंकड़ों की जांच करने के लियं एक परिनियत प्राधिकारी के ध्वनितार्थों के सम्बन्ध में परिच्छेद १०३२ मै आयोग ने लिखा है :

"हमारे विचार म यह कदम मद्रणालय की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जाता और हमारे सामने वैसा कोई सुझाव रखा भी नहीं गया। हम आंकड़ों तथा पंजीयन के युग में रह रहे हैं। आयात तथा निर्यात के आंकड़े भी रखने पड़ते हैं और कोई व्यक्ति यह तर्क दे सकता है कि उससे हमारी व्यापार स्वतन्त्रता पर बन्धन पड़ता है। राष्ट्रीय जीवन का विकास ऐसा रहा है कि आवश्यक पंजीयन तथा आंकड़ों की ओर निरन्तर ध्यान देने के बिना राज्य का समुचित प्रशासन असंभव है।"

एक अन्य स्थान पर, परिच्छद १४८३ में, आयोग ने कहा है :

"हम समझते ह कि मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम की समस्त प्रशासकीय व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता है। पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के प्रस्तुत करने तथा पंजीयन की जांच में एक सामान्य शिथिलता है। हम समाचार पत्रों की फाइलें प्राप्त करने में तथा यह सत्यापन करने में भी कि किसी पत्र का प्रकाशन निरन्तर हो रहा है बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अनेक मामलों में राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना अत्यन्त अशुद्ध थी और कभी भी अद्यतन नहीं थी। इस बात की जांच करने के लिये कि कोई पत्र नियमित रूप से निकालता भी है या नहीं और यदि नहीं निकलता है तो उसका कारण मालूम करने अथवा अभिलेख को तदनुसार शुद्ध करने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।"

मैंने अभी कुछ उद्धरण दिये—कुछ और भी निदश हैं जिनको हमें यहां नहीं लेना है। मुद्रणालय आयोग के प्रतिवदन में से मैंने जो उद्धरण दिये हैं उनसे यह पर्याप्ततः स्पष्ट हो जायेगा कि समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के पंजीयन के प्रश्न के सम्बन्ध में आयोग क्या करना चाहता है।

मैं प्रारम्भ में ही एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं चूंकि मालिकों के प्रतिनिधियों द्वारा तथा कतिपय पत्रों में, विशेषकर विदेशों में, प्रकाशित टिप्पणियों द्वारा मेरी सूचना में यह बात लाई गई कि यह मुद्रणालय पर नियन्त्रण रखने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। यह स्पष्ट है कि यह एक सांख्यकीय कदम है। वतमान समय में भी संविधि-पुस्तक में एक अधिनियम है जो सांख्यकी संग्रह अधिनियम, १९५३ कहलाता है जो कि न केवल केन्द्रीय सरकार को वरन् राज्य

[डा० केसकर]

सरकारों को भी किसी भी उद्योग के सम्बन्ध में आंकड़े जमा करने के सम्बन्ध में समुचित शक्तियां प्रदान करता है । वास्तव में, उस अधिनियम के अन्तिर्गत भी सरकार के लिये यह संभव होता कि वह ऐसी विज्ञप्ति जारी करती कि सांख्यकी संग्रह अधिनियम के अनुसार समाचारपत्रों व पत्रिकाओं से भी अमुक सूचना प्रदान करने के लिये कहा जाय । परन्तु संभवतः आंकड़ा संग्रह अधिनियम के कुछ खण्ड समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के सम्बन्ध में सुसंगत में होते हुये हमने एक पृथक विधेयक लाना अधिक अच्छा समझा । यही नहीं; जहां तक एक केन्द्रीय पंजीयक की नियुक्ति के प्रश्न का सम्बन्ध है वह स्वभावतः पूर्वगामी सांख्यकी संग्रह अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत नहीं आ सकता था । परन्तु जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि विधेयक का उद्देश्य तथा एक केन्द्रीय पंजीयन प्राधिकारी की नियुक्ति समाचार पत्रों के सांख्यकीय एवं व्यापारिक पक्ष से सम्बन्धित हैं। उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं कि किसी समाचार पत्र में क्या समाचार छपते हैं अथवा सम्पादकीय पक्ष क्या करता है। व्यापारिक पक्ष, अर्थात् स्वामित्व, परिचालन तथा ऐसे अन्य आंकड़े केन्द्रीय पंजीयन प्राधिकारी से सम्बन्धति होंगे । इससे यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि यह कोई ऐसी चीज है जो समाचार-पत्रों के कार्यकरण में हस्तक्षेप करती है ।

मैं यह भी कह दूं कि समाचार-पत्र किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा चलाये जाने वाले व्यवसाय भर नहीं । समाचार-पत्र जनमत बनाने के साधन भी हैं । उनका दावा है कि वे जनमत के ऐसे साधन हैं, जिनके द्वारा जनता की हर तक़लीफ़ की वाणी मिल सकती है । समाचार-पत्रों के माध्यम से हर कोई किसी के भी विरुद्ध अपनी तकलीफ के बारे में कह सकता है। इस हद तक, समाचार पत्र सामाजिक संस्थाओं की तरह हैं । मेरा विचार है कि राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से जनमत बनाने के ये साधन, जनहित की ये संस्थायें एक उचित रूप म चलें । वे इस तरह चलाये जायें कि उनके व्यावसायिक पक्ष, उनके संगठन तथा ढांचे से सम्बन्धित हर चीज़ स्पष्टतया सामने रहे और उसमें कुछ भी गड़बड़ी न हो ।

यह कोई बिलकुल अजीब सी बात नहीं है । माननीय सदस्य जानते हैं कि बाहर के देशों में आज भी समाचारपत्रों के लिये समय-समय पर अपने स्वामित्वाधिकारी हितों, अपने प्रमुख स्वामियों के नाम और उनके कार्यपालक प्राधिकारों का बताना अनिवार्य है । अधिकांश देशों में यह अनिवार्य है । और, संयुक्त राज्य अमरीका जैसे देश में भी, जहां समाचारपत्रों की स्वतंत्रता एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बात समझी जाती है, यह अनिवार्य है । इसी लिये ऐसा नियम बनाने वाले किसी भी विधान के सम्बन्ध में यह नहीं समझना चाहिये कि वह परोक्ष रूप से समाचार-पत्रों की मनमानी करने की स्वतंत्रता पर कुठारघात करता है । कुछ व्यक्तियों और विशेषकर स्वामित्वाधिकार वाले समाचार पत्रों द्वारा यही दावा किया गया है। जहां तक उनके मत के व्यक्तीकरण का प्रश्न है , निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस विधान का उससें कोई भी सम्बन्ध नहीं है । लेकिन , जहां तक समाचारपत्रों द्वारा उनके व्यावसायिक क्षेत्र में मनमानी करने का प्रश्न है, वहां इस बात पर निश्चित रूप से नज़र रखी जायेगी कि वे कुछ गलत या गड़बड़ी का काम न कर सकें । और निश्चित रूप से , पंजीयन करने वाले केन्द्रीय अधिकारी को रखने का उद्देश्य भी यही है । हाल ही में यह बिलकुल स्पष्ट भी हो चुका है । सदस्यगण जानते हैं कि कुछ लेन-देन के मामलों में जब एक प्रमुख समाचार पत्र संस्था की जांच -पड़ताल का काम शुरू किया

गया था, तब सभी समाचारपत्रों में इस बात पर बहस चल पड़ी थी कि उस प्रमुख समाचार पत्र का वास्तविक स्वामी कौन था। अब तक यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है। ऐसे उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन मामलों में समाचार-पत्रों के लिये यह अनिवार्य बना देना चाहिये कि वे जनता को अपने वास्तविक स्वामियों, पत्र चलाने वाले वास्तविक व्यक्तियों का नाम बतायें यह आवश्यक है। उन्हें आगे बढ़ कर कहना चाहिये कि इसमें व्यक्त किया गया मत हमारा अपना मत है। वे अपने मत के उत्तरदायित्व से इन्कार क्यों करें, या इसे अदृश्यता के पर्दे में क्यों छिपायें कि जनमत बनाने के इस साधन के द्वारा मत व्यक्त करने वाले लोग कौन से हैं? मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ गलत है। हां, यदि किसी को कुछ छिपा कर रखना है तो वह दूसरी बात है। वैसे तो हर एक को इसे उचित और वैध मानना ही चाहिये।

यह विधेयक पूर्णरूप से आंकड़ों से ही सम्बन्धित है। इस लिये, मेरे विचार से तो इसे बिलकुल दैनिक कार्य का ही एक विधेयक माना जाना चाहिये। इस विधेयक को तो अभी तक संविधि-पुस्तक पर लिखा जाना चाहिये था, लेकिन हम प्रेस आयोग के मत की राह देखते रहे थे। अब उनका मत हमें मालूम हो चुका है, और इस लिये इस विधेयक को जल्दी ही विधान का रूप देने के लिये संसद् के सामने रखा जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई महत्वपूर्ण सिद्धान्त आड़े आरहा है। यह तो एक दैनिक कार्य जैसा विधान है, जो आवश्यक तो है पर इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं।

इसमें सांख्यकीय अधिकारी के संबन्ध में रखे गये अधिकांश उपबंध १९५३ के सांख्यकी संग्रह अधिनियम से लिये गये हैं। उनमें बहुत थोड़े रद्दोबदल किये गये हैं। असल में देखा जाये तो इस विधेयक में जो प्राधिकार दिया गया है वह शायद उस अधिनियम में दिये जाने वाले प्राधिकार से कुछ कम ही है। हमने सोचा यह था कि समाचार पत्रों के मामलों में अति करने से कहीं अच्छा होगा अपनी ओर से सावधानी में कुछ कमी करना।

इस विधेयक और इसके उपबन्धों पर विभिन्न हितों वाले लोगों के साथ चर्चा की जा चुकी है। हमने न्योता दिया था कि यदि उन्हें इस विधेयक के उपबन्धों के बारे में कोई आपत्ति हो तो वे अपने दृष्टिकोण हमारे सामने रखें। काफी लम्बी चर्चा चली थी। उन्हीं चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हमने सभा के सामने दो या तीन संशोधन प्रस्तुत किये हैं। उनसे यह विधेयक और भी स्पष्ट हो जाता है, और उन से इस विधेयक में दो एक महत्वपूर्ण उपबन्ध भी और जुड़ जाते हैं।

मैं कह सकता हूं कि बाद में जोड़े जाने वाले इन उपलब्धों में से एक आंकड़ों को गुप्त रखने के बारे में है। कई समाचार पत्रों ने हमारे सामने यह प्रस्तुत किया था कि वास्तविक बिक्री के आंकड़ों जैसी बातों को समाचार पत्र बड़ी मुस्तैदी से गुप्त बनाये रखते हैं। और यदि उसे जनता को बता दिया जाये तो उसके प्रतिद्वन्द्वी पत्र उसका लाभ उठा लेंगे। जहां तक विज्ञापनों का, और समाचार पत्रों से सम्बन्धित अन्य सभी बातों का सम्बन्ध है, जिन्हें सरकार अपनी जानकारी के लिये तो रखना चाहेगी पर जिन्हें जनता को बता देना उन पत्रों के हितों में न होगा, यह आवश्यक है कि यह जानकारी गुप्त रखी जाये। इसीलिये, हमने गुप्त रिकार्ड रखने के बारे में उपबन्ध जोड़ा है। वास्तव में, यह उपबन्ध

[डा० केसकर]

१९५३ के सांख्यकी संग्रह अधिनियम से लिया गया है।

दूसरी बात है रिकार्डों तक लोगों की पहुंच के बारे में । सांख्यकी संग्रह अधिनियम में एक धारा है जिसके अन्तर्गत कोई भी अधिकारप्राप्त व्यक्ति यह जांचने के लिये रिकार्ड देख सकता है कि उसमें जुटाया गया कोई तथ्य विशेष, या कुछ तथ्य सही हैं या नहीं । रिकार्डों तक की इस पहुंच के बारे में, समाचार पत्रों ने आपत्ति की थी कि इस से गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, या इसे दूसरे कामों के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम्): किस के द्वारा ?

डा० केसकर : उनका विचार है कि सरकार द्वारा ही ऐसा होगा । लेकिन, मैं नहीं समझता कि कभी ऐसी स्थिति पैदा होगी । फिर भी उसे बिलकुल सुनिश्चित बनाने के लिये, हमने एक संशोधन प्रस्थापित किया है कि इस प्रकार का अधिकारप्राप्त व्यक्ति कभी भी गजटेड (घोषित) पदाधिकारी की श्रेणी से नीचे का नहीं होगा । इसीलिये, वह अधिकारी एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा । और वह अधिनियम द्वारा निश्चित की गई बातों के अनुसार ही अपनी जांच पड़ताल करेगा । वह कोई ग़ैर-जिम्मेदार (अनुत्तरदायी) व्यक्ति नहीं होगा ।

तृतीय संशोधन, जिसका हमने प्रस्ताव रखा है, दण्ड के सम्बन्ध में है । प्रामाणिक तथ्य प्राप्त करने के लिये इस प्रकार के उपबन्ध की आवश्यकता थी कि जो कोई व्यक्ति झूठी जानकारी देगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । यह उपबन्ध भी १९५३ के सांख्यकी संग्रह अधिनियम से लिया गया है । अतः, यह कोई नई चीज़ नहीं है ।

एक अन्य संशोधन के द्वारा हम चाहते हैं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जितने भी नियम बनाये जायें, वे सब संसद् के समक्ष रखे जायें ।

मैंने बहुत ही संक्षेप में इस विधेयक की मुख्य बातों का उल्लेख किया है । विधेयक स्वयं में बहुत ही छोटा है । मुख्य प्रश्न एक केन्द्रीय पंजीयन प्राधिकार के नियुक्त करने का है, जिसको यह अधिकार हो कि वह उसी प्रयोजन के लिये राज्य पंजीयकों की नियुक्ति कर सके । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं के सम्बन्ध में सारे आंकड़े एकत्र किये जा सकें, जिससे किसी भी समय हमें समाचार पत्रों के बारे में सारे प्रामाणिक तथ्य और आंकड़े तैयार मिल सकें ।

विधान बहुत ही छोटा है । इसमें कोई बहुत बड़ा सिद्धान्त निहित नहीं है । अतः मुझे आशा है कि सभा इसको यथाशीघ्र पारित करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डा० लंका सुन्दरम् : व्याख्यात्मक ज्ञापन में प्रस्तुत विधेयक को पूर्णरूपेण प्रक्रियात्मक बताया गया है । यद्यपि इसका सम्बन्ध केवल सांख्यकी के एकत्रीकरण से ही है, किन्तु इस विधेयक में और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें अन्तर्ग्रस्त हैं । इस विधेयक की उत्पत्ति प्रेस आयोग की सिफारिशों के उपरान्त हुई है, अतः इस बात की आशा थी कि इससे भी अधिक उत्तम तथा व्यापक विधेयक प्रस्तुत होगा ।

मैं अपनी बातें अत्यन्त संक्षेप में कहूंगा । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के उपबन्ध स्वयं आयोग के द्वारा ही की गई कुछ सिफारिशों के अनुसार नहीं हैं ।

अभी माननीय मंत्री ने बताया कि कुछ विशेष कारणों से पंजीयक को जानकारी के प्रवर्ग एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने जिन बातों की सिफारिश की है, उनके सम्बन्ध में इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। उदाहरणतः आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि पंजीयक के कार्यालय से उपयुक्त रूप-भेदों सहित भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत विहित फार्मों पर परीक्षित लाभ तथा हानि लेखों और स्थिति-विवरणों की जानकारी, कर्मचारियों का पूर्ण विवरण, प्रत्येक जिले तथा नगर में समाचार पत्रों के संचालन का विवरण अवश्यमेव उपलब्ध होना चाहिये। मुझे यह कहते हुये खेद हो रहा है कि माननीय मंत्री ने इन सिफारिशों की उपेक्षा की है।

जहां तक आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, इस विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बात की कमी रखी गई है। यह विधेयक समाचार अभिकरणों (एजन्सियों) पर लागू नहीं किया गया है। इससे इस विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित रह जायगा। मैं आशा करता हूं कि इस अन्तिम अवस्था में भी प्रासंगिक संशोधनों द्वारा माननीय मंत्री इस विधेयक को समाचार अभिकरणों पर लागू करने की कोशिश करेंगे। मेरा विश्वास है कि मेरे इस सुझाव से समस्त देश तथा सम्पूर्ण समाचारपत्र व्यवसाय सहमत हैं, क्योंकि समाचार अभिकरणों के प्रति की गई इस उपेक्षा का काफी विरोध किया गया है।

यहां पर, मैं भारतीय तथा पूर्वी समाचारपत्र संस्था के अध्यक्ष, श्री निर्मल घोष द्वारा माननीय मंत्री को लिखे गये एक पत्र की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं। इस पत्र से यह स्पष्ट होता है कि समाचारपत्र संसार, मुख्यतः एकाधिकार प्राप्त किया हुआ इसका एक भाग, सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध में है और सम्भवतः समाचार पत्र जगत के इसी विरोध के कारण ही माननीय मंत्री ने प्रेस आयोग की सिफारिशों की उपेक्षा की।

सभा को यह स्मरण रहे कि इस पंजीयक के अलावा काम करने के लिये प्रेस परिषद् भी है, जो कि उपयुक्त जानकारी के अभाव में काम नहीं कर सकती। अतः प्रेस आयोग ने मेरे द्वारा बताई गई जानकारी देने की जो सिफारिश की है, उसे मानना ही चाहिये। इसीलिये मैं साहसपूर्वक यह कहता हूं कि इस अन्तिम अवस्था में भी माननीय मंत्री को उन सिफारिशों को इस विधेयक के उपबन्धों में समाविष्ट करने के लिये सहमत हो जाना चाहिये ताकि पंजी में व्यापक रूप में जानकारी दी जा सके और प्रेस परिषद् उससे लाभ उठा सके।

मैं कुछ सुझाव देता हूं और विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री चर्चा की इस अन्तिम अवस्था में भी उसको मानेंगे। पंजी में इस प्रकार जानकारी देनी चाहिये :

(क) सरकार द्वारा विहित रूप में और विवरणों सहित परीक्षित लाभ तथा हानि लेखे और स्थिति-विवरण की प्रतियां।

(ख) सरकार द्वारा विहित रूप में ग्राहकों की सूची।

(ग) प्रत्येक वर्ष के अन्त में कर्मचारियों की सूची, उनका वर्गीकरण, उनके वेतनक्रम, अवकाश नियम, आदि।

(घ) उन कर्मचारियों की संख्या जो निकाले गये और जिन्होंने नौकरी छोड़ दी और जो धनराशि उनको दी गई उसका विवरण।

इस प्रकार की जानकारी देना परमावश्यक है, ताकि समाचारपत्र व्यवसाय में लगे हुये कामकरों के साथ उचित व्यवहार हो सके।

मैं एक बात पर विशेषरूप से जोर देना चाहता हूं। प्रेस का एकाधिकार-

[डा० लंका सुन्दरम्]

प्राप्त भाग समाचारपत्र व्यवसाय के लिये ही हानिकर नहीं, अपितु देश की सारी जनता के लिये हानिकर है । भारत में समाचारपत्र उद्योग अधिकांशतः एकाधिकार के आधार पर ही चल रहा है । मैं प्रेस का विनाश नहीं चाहता, अपितु इसका सुधार चाहता हूं । इसके सुधार के लिये मेरे द्वारा बताई गई जानकारी प्राप्त करना परमावश्यक है और यह तभी सम्भव है, जब चर्चा की इस अन्तिम अवस्था में भी इस विधेयक में उपयुक्त संशोधन किये जायें । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उन संशोधनों को अस्वीकार नहीं करेंगे ।

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं अनुभव करता हूं कि यह विधेयक बड़ा सीधा सादा है । मैं तो आशा करता था कि इस में प्रेस आयोग की सभी सिफारिशें समाविष्ट करली जायेंगी परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। डा० लंका सुन्दरम् ने बताया है कि प्रेस आयोग की कुछ सिफारिशों को छोड़ दिया गया है किन्तु मैं यह समझता हूं कि उन्हें जान बूझ कर छोड़ दिया गया है । मैं समझता था कि लोगों को प्रेस जगत की वास्तविक स्थिति का पता लग जायेगा । हमारा सम्बन्ध प्रेस द्वारा प्रकाशित या मुद्रित प्रतियों से ही न होकर मालिकों ने कितना विनियोग किया है इससे भी है । बहुत से प्रेस मालिकों का कहना है कि बहुत धन लगाने के कारण उन्हें बहुत हानि हुई थी और इस प्रकार वे आय कर और अन्य करों का भुगतान करने से बचते हैं। इस दृष्टि से विभिन्न प्रेसों में विनियोजित धन के आंकड़े एकत्र किये जाने चाहियें । मेरे विचार से समाचार-पत्रों के प्रकाशन और वितरण सम्बन्धी आंकड़ों की अपेक्षा इस सूचना का संकलन करना बहुत आवश्यक है। प्रेस के मालिकों और कर्मचारियों के हितों के आंकड़े भी होने चाहियें। इस विधेयक में इसचीज़ को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

एक बात मुझे विज्ञापन ऐजेंसियों के सम्बन्ध में यह कहनी है कि देश के विज्ञापनों पर अधिकांशतः विदेशी विज्ञापन एजेंसियों का नियंत्रण है । हमें इन विज्ञापन एजेंसियों का विस्तृत ब्यौरा ज्ञात नहीं है । इस कारण मैं समझता था कि इस विधेयक में इसके आंकड़ों के संकलन की भी व्यवस्था की गई होगी ।

वित्तीय ज्ञापन से पता लगता है कि लगभग ७०,००० रुपये इस व्यवस्था पर व्यय किये जायेंगे । मैं यह चाहूंगा कि इस धन राशि का सद्व्यय कियाजाये क्योंकि भारतीय समवाय विधि के अधीन का करने वाले पंजीयकों ने अपने कर्तव्य का पालन न कर के हमारे मन में ऐसा संदेह करने का कारण उत्पन्न कर दिया है । प्रेस पंजीयकों के मामलें में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये ।

मैं कुछ बातों से तो सहमत हूं किन्तु इस उपबन्ध से सहमत नहीं हूं कि उन सभी व्यक्तियों को जिनके समाचार-पत्रों की बिक्री ५० प्रतिशत कम हो जाये नया प्रतिज्ञान पत्र प्रस्तुत करना होगा । मेरी समझ में इस उपबन्ध का कारण नहीं आया है । यह बात तो मैं समझा हूं कि बिक्री में हुई कमी की सूचना पंजीयक को दी जाये किन्तु यह मैं नहीं समझ सका हूं कि जिलाधीश के सम्मुख नया प्रतिज्ञान-पत्र क्यों प्रस्तुत किया जाये । समाचार-पत्र की बिक्री घटे या बढ़े इसके लिये दूसरा प्रतिज्ञापन-पत्र प्रस्तुत कराना अनावश्यक है । यदि समाचार-पत्र बराबर निकलता रहा हो तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं रह जाती है । मेरी समझ से समाचार-पत्र के मुद्रक या प्रकाशक के मार्ग में इससे कुछ कठिनाई ही उपस्थित होगी ।

अन्य उपबन्धों के सम्बन्ध में मैं प्रेस आयोग की सिफारिशों से सहमत हूं, किन्तु मुझे खेद है कि इस विधेयक में उक्त आयोग की सभी सिफारिशों को सम्मिलित नहीं किया गया है । माननीय मंत्री ने इस विधेयक को जितना व्यापक बनाना चाहिये था उतना

नहीं बनाया है। इतनी सरलता इस विधयक में नहीं होनी चाहिये थी। मुझे इस चीज से बड़ी अशान्ति है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : यह विधेयक महत्वपूर्ण है। माननीय मंत्री के इस कथन को भी मैं मान सकता हूं कि उन्होंने कुछ हद तक प्रेस आयोग की सिफारिशों का परिपालन किया है। मेरा विचार है कि सन् १८६७ के अधिनियम के संशोधन के संबंध में प्रेस आयोग के प्रतिवेदन में जो सविस्तार विचार प्रकट किये गये हैं उनके अतिरिक्त प्रेस आयुक्त के प्रतिवेदन का साधारण तात्पर्य तथा देश की भावना यह रही है कि इस देश में प्रेस के सम्बन्ध में, वास्तव में कोई संशोधक विधान न बनाया जा कर एक व्यापक विधि बनाई जाये। मेरे ऐसा कहने का कारण यह है कि जिस भावना से सन् १८६७ का विधान बनाया गया था वह वर्तमान भावना के प्रतिकूल थी। इसी कारण यह आवश्यक है कि प्रेस आयोग की उपपत्तियों के आधार पर प्रेस के सम्बन्ध में एक व्यापक संहिता बनाई जाये। अतएव मैं देखता हूं कि इस संशोधक विधेयक में प्रकाशन पर लगे प्रतिबन्धों में कुछ वृद्धि ही की गई है। साधारणतः मैं प्रतिबन्धों में की गई इस वृद्धि से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि चक्रमुद्रण (साइक्लोस्टाइल्ड) तथा शिलामुद्रण को ऐसी उपेक्षा की दृष्टि से क्यों देखा जाता है। मैं यह महसूस करता हूं कि आंकड़ों के संकलन के लिये सरकार को यह जानना आवश्यक है कि देश में कौन सी रचनायें प्रकाशित हो रही हैं आदि। परन्तु हमारी विशेष परिस्थितियों में सदैव यह आवश्यक नहीं है कि सरकार के पास शिलामद्रण और चक्रमुद्रण द्वारा प्रकाशित की रचनाओं के ठीक-ठीक आंकड़े हों। इसी कारण मैं महसूस करता हूं कि चक्रमुद्रित (साइक्लोस्टाइल्ड) और शिलामुद्रित प्रलेखों के सम्मिलत किये जाने पर आपत्ति उठाई जानी चाहिये तथा पुस्तकों के पंजीयन के बारे में और भी उदार उपबन्ध बनाये जाने चाहिय।

एक अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री महोदय ने प्रेस पंजीयक की नियुक्ति और उसके कार्यों के बारे में प्रेस आयोग की सिफारिशों को माना है परन्तु कुछ अन्य सिफारिशों का विधेयक में उल्लेख तक नहीं किया गया है। प्रेस आयोग ने अपने प्रतिवेदन के खण्ड ३ के एक परिशिष्ट में कुछ उन विवरणों का उल्लेख किया है जिनकी सूचना पंजीयक को दी जानी चाहिये। अतएव यह आवश्यक है कि प्रेस आयोग का इस सिफारिश को कार्यान्वित किया जाये। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में भी इसका कोई कारण नहीं बताया गया है कि प्रेस आयोग को कतिपय सिफारिशों को क्यों कार्यान्वित नहीं किया गया है। यदि यह अपेक्षित है कि प्रेस पंजीयक तथा उसका विभाग अपने कार्यों का उचित रूप से निर्वहन करे, तो प्रेस आयोग द्वारा उपबन्धित विवरणों का दिया जाना अनिवार्य है। अतः मेरा विचार है कि पुस्तकों और पत्रों के पंजीयन का यह एक अव्यवस्थित ढंग है। मैं महसूस करता हूं कि इन उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ उदारता से काम लिया जाना चाहिये तथा प्रेस पंजीयक को दिये गये अधिकारों को लागू करने के बारे में नौकरशाही के विरुद्ध कुछ संरक्षण दिया जाना चाहिये। यदि मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि यदि विधेयक में कुछ चीजें बढ़ाई जायें या कुछ परिवर्तन किये जायें, और यदि वह प्रेस आयोग की सिफारिशों का पूर्णतया परिपालन करें तो निश्चय ही जो विधि उन्होंने प्रस्तुत की है उसके लिये उन्हें इस समय की अपेक्षा सभा का अधिक समर्थन प्राप्त होगा।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस—पूर्व) : मेरे विचार में यह विधेयक बहुत पहले पुरःस्थापित किया जा सकता था।

[श्री टी० एन० सिंह]

प्रेस आयोग की सिफारशों का उद्देश्य भी यही था । किन्तु मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ समाचारपत्रों ने अपने व्यवसायिक तथा व्यापारिक रहस्यों के आधार पर आयोग की छोटी छोटी सिफारशों का भी विरोध किया है । किन्तु हम इस व्यवसायिक आधार पर समाचारपत्र जैसे आवश्यक उद्योग को खुली छूट नहीं दे सकते हैं । मुझे इस बात में कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती है कि समाचारपत्र अपने परिचालन के आंकड़े क्यों न दें ? प्रत्येक विज्ञापन अभिकरण को यह आंकड़े भेजते हैं । किन्तु अब वे उन्हें क्यों गोपनीय रखना चाहते हैं ? कुछ समाचारपत्र परिचालन लेखा-परीक्षण कार्यालय द्वारा दिये गये आंकड़े छापते हैं । वे प्रचार के लिये ऐसा करते हैं । ये आंकडे बड़े संदेहजनक होते हैं । मेरे विचार में ये आंकड़े बिल्कुल सही और संदेह रहित होने चाहियें और इनकी स्पष्ट घोषणा की जानी चाहिये । जब वे प्रेस की स्वतन्त्रता के नाम से और सब प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तथा देना चाहते हैं तो वे अपने विषय में इस सूचना को क्यों छिपाना चाहते हैं ? मैं अनुरोध करता हूं कि 'व्यवसायिक रहस्य' के तर्क को ऐसे किसी भी विधेयक में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिये । मेरा अनुरोध है कि प्रेस पंजीयक अथवा ज़िलाधीश को इन समाचारपत्रों के विषय में जो कोई भी सूचना मिलती है उसे भारत सरकार के अथवा किसी भी राज्य सरकार के किन्हीं भी आंकड़ों का आधार नहीं बनाया जाना चाहिये, क्योंकि वे प्रायः गलत विवरण देने के दोषी सिद्ध हो चुके हैं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पत्रों तक में उनके परिचालन के ग़लत आंकड़े छप चुके हैं ।

मेरी समझ में नहीं आता कि प्रेस पंजीयक अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी के समाचारपत्र भवनादि में प्रवेश करने पर क्यों आपत्ति होनी चाहिये । यदि वे स्वयं सूचना नहीं देते हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि कोई वहां जा कर सूचना प्राप्त करे । हां, सरकार यह नियम बना सकती है कि किसी से कितनी बार पूछा जाये और उसे सूचना देने के लिये कितना समय दिया जाये । जहां तक प्रत्यायोजित अधिकारी के इस मूलभूत अधिकार का प्रश्न है मैं कहूंगा कि इसमें रञ्च मात्र भी कमी नहीं होनी चाहिये । कोई सामान्य लिपिक अथवा चपड़ासी तो खातों को मंगायेगा नहीं । वह व्यक्ति अवश्य ही कोई उत्तरदायी पदाधिकारी होगा । इसलिये मुझे इस उपबन्ध पर कोई आपत्ति नहीं है ।

मेरे कुछ सहयोगियों ने तथा कई अन्य व्यक्तियों ने भी यह कहा है कि उनसे लेखा और लाभ तथा हानि का विवरण भी मांगा जाये । बहुत से समाचारपत्र तीन चार महीने चल कर ही बन्द हो जाते हैं और कर्मचारियों आदि के वेतनों का भुगतान नहीं होता है । इसलिये कोई समाचारपत्र उस समय तक न निकाला जाये जब तक कि उसके पास पर्याप्त साधन न हों । अतः इस विषय में मेरा निवेदन है कि यदि इस विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध रखा जा सके जिस से कि समाचारपत्रों की संख्या मच्छरों की भांति न बढ़ सके तो बड़ा ही उपकार होगा । अनेकों लोग व्यर्थ में बेरोज़गार होने से बच जायेंगे । अतः यह अच्छा ही है कि सरकार को इस विषय की सूचना भी रहे । साम्यवादी दल के उपनेता की यह बात सुन कर कि विधेयक के सूचना प्राप्त करने वाले खण्डों का कठोरता से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये , मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है । मेरा विचार है कि अधिनियम का कठोरता से पालन किया जाना चाहिये । उन्होंने चक्रमुद्रण के सम्बन्ध म कहा था । प्रायः सर्वत्र चक्रमुद्रित सामग्री को मुद्रित सामग्री जैसा ही माना जाता है । आजकल चक्रमुद्रण यन्त्रों की भी कार्यक्षमता उतनी

ही है जितनी कि किसी मुद्रणालय की हो सकती है जिसमें समाचारपत्र छपते हों। अतः हमें इस युग में चक्रमुद्रित सामग्री को किसी भी भांति अपवादस्वरूप नहीं मानना चाहिये और मुद्रित सामग्री की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

हमारे देश में कुछ पत्र 'भाईचारा' के आधार पर चलते हैं। उनमें लेखा रखने की कोई मान्य विधि नहीं होती है। कोई भी राजनैतिक दल कह सकता है "यह हमारा अपना पत्र है, हमें दो चपातियों से ही सन्तोष है। हम कुछ भी वेतन दें आपको इससे क्या ?" इस प्रकार के अनेकों बहाने हो सकते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस आधार पर किसी को छूट नहीं देनी चाहिये। वेतन के कुछ मानदण्डों, पत्र के व्यवहार, नियमिता तथा आवर्तनता आदि का अवश्य ही पालन होना चाहिये।

मुझे बताया गया है कि प्रैस पंजीयक को ऐसी वित्तीय विवरण आदि जैसी सूचना प्राप्त करने का अधिकार देने के लिये एक पृथक् विधान लाया जा रहा है तथा औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम में कुछ संशोधन किये जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि उसे ये अधिकार मिलने चाहियें चाहे यह अधिकार किसी भी विधेयक में क्यों न दिये जायें मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है।

मुझे यह भी बताया गया है कि समाचार अभिकरणों के पंजीयन का प्रश्न भी प्रेस पंजीयन अधिनियम के अर्न्तगत नहीं आता है। इस विषय में मेरा अनुरोध है कि समाचार अभिकरण समाचार-पत्र उद्योग का एक आवश्यक अंग है अतः उसे कोई पृथक विशेष स्थान नहीं दिया जाना चाहिये। उन के लिये भी वित्तीय विवरण आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होना चाहिये नहीं तो कर्मचारियों के वेतन इत्यादि के मारे जाने की सम्भावना हो सकती है। हम चाहते हैं कि श्रमजीवी प्रत्रकारों को हानि न पहुंचने पाये अतः यह उपबन्ध होना चाहिये। यदि दूसरे विधेयक में जो प्रस्तुत किया जाने वाला है, ऐसे उपबन्ध हैं तो मुझे उसकी प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मैं अपील करूंगा कि श्रमजीवी पत्रकारों के हित में हमें इस विषय में यथासम्भव शीघ्र ही कोई विधान बनाना चाहिये।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : प्रस आयोग प्रतिवेदन पर हुई चर्चा के समय मैंने कहा था कि भारतीय पत्रकारिता का स्वर्णयुग समाप्त हो गया है और अब हूणों और वंडालों ने उस पर आक्रमण कर दिया है। आज वे ही इस विधेयक के जन हैं। भारतीय फर्मों में, विशेषकर देश के ऐसे पत्रों में, जहां एकाधिपत्य है, दो तीन तरह के जमा खर्च खाते रखने की प्रथा का बहुत प्रचलन है और यही इस सब का कारण है। यदि कोई सरकारी अफसार ऐसे समाचार-पत्रों के कार्यालयों में जा कर उनके हिसाब आदि की जांच करे तो उसे यह ज्ञात हो जायेगा कि समाचार-पत्रों के मालिकों ने किस प्रकार अवैध उपायों का आश्रय लेकर रुपया इकट्ठा किया है।

इस विधेयक को प्रस्तुत करने में माननीय मंत्री महोदय के जो उद्देश्य हैं वे प्रशंसनीय हैं किन्तु मेरा विचार है कि उपबन्ध इतने कठोर नहीं होने चाहियें। प्रेस आयोग की अन्य सिफारिशों को भी लागू किया जाना चाहिये।

सन् १९३० में हुई एक घटना का उल्लेख करने के लिये माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे। उस समय भारत के एक मुख्य न्यायाधीश इंगलैण्ड से भारत आने थे। मैं सम्मानीय सर जान ब्यूमांट का उल्लेख कर रहा हूं जो कि बार में सर्वोच्च न्यायालय और प्रिवी कौंसिल के न्यायाधीश

[श्री जोकिम आलवा]

भी रहे। इस सभा के सदस्यों को, हमारे सबसे महान व्यक्ति स्व० श्री भूलाभाई देसाई का, जिन्होंने बंबई उच्च न्यायालय में शोलापुर के तीन अभियुक्तों की ओर से पैरवी की थी, स्मरण होगा। अपील सर जान ब्यूमांट की अदालत में सुनी गई थी और भूलाभाई देसाई ने पैरवी बहुत ही अच्छी की थी किंतु उनकी कार्यक्षमता और देशभक्ति उक्त तीनों अभियुक्तों को फांसी के फंदे से न बचा सकी। बम्बई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने फांसी के हुक्म की पुष्टि की किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि बाद में कई साल तक वह अपने इस आदेश पर पछताते रहे। उनका ख्याल था कि पुलिस के अफसर जो कुछ कहते हैं वह एकदम सत्य होता है। उनको यह जानने में काफी समय लगा कि फौजदारी मामलों में पुलिस अफसरों के बयानों में सत्य का लेश भी नहीं होता है।

मैं इस घटना का पूर्व इतिहास इसलिये बता रहा हूं कि हमें वक्तव्यों के बारे में बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिये। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि क्योंकि हमें अपने समाचार-पत्रों के सम्बन्धित व्यक्तियों से कुछ सूचनायें प्राप्त करनीं होंगी, यह सूचनायें पूर्ण सत्यनिष्टा से दी जायेंगी और हम उन्हें संबन्धित व्यक्तियों की जिम्मेवारी पर स्वीकार कर लेंगे।

मेरा ख्याल है कि समाचारपत्रों के परिचालन के बारे में जो उपबन्ध है वह आवश्यकता से अधिक कठोर है तथा जिन पत्रों का परिचालन पांच हजार अथवा तीन हजार से भी कम हो, उनके लिये इस उपबन्ध में किसी न किसी प्रकार की शिथिलता होनी चाहिये। उक्त बातों की जानकारी देने के लिये ऐसे पत्रों को बाध्य नहीं किया जाना चाहिये और उपबन्ध अधिक उदार होना चाहिये।

मैं अपने मित्र, श्री टी० एन० सिंह से इस बात में सहमत हूं कि समाचारपत्र की परिभाषा में समाचार अभिकरणों को सम्मिलित किया जाना चाहिये। समाचार-पत्रों पर लागू किये जाने वाले विधानों से समाचार अभिकरणों को क्यों प्रथक् रखा जाये यह मेरी समझ में नहीं आता है।

भारत ने बड़े, छोटे तथा दस्तकारी आदि उद्योगों को स्थापित किया है किन्तु एक उद्योग——पुस्तक उद्योग——ऐसा है जिसकी दशा अत्याधिक शोचनीय है। जब तक हमारे पास अच्छे प्रकाशक नहीं होंगे तब तक हम अच्छी किताबें प्रकाशित नहीं कर सकेंगे। ब्रिटेन, अमरीका, रूस और चीन में प्रकाशक द्वारा लेखक को पुस्तक विक्रय से प्राप्त धन का कुछ प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। ऐसा हमारे यहां नहीं होता है। सरकार को पुस्तक प्रकाशकों को आर्थिक सहायता देनी चाहिये जिस से कि उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन हो सके।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, दो और तीन तरह के ज़माखर्च खाते रखने की प्रथा से उद्योगपति काफी लाभ उठाते हैं। वह एक समवाय की पूंजी को दूसरे समवाय में विनियोजित कर देते हैं और इस प्रकार धन का अनुचित प्रयोग करते हैं। इस प्रथा पर कड़ी रोक लगाई जानी चाहिये। पुस्तक प्रकाशन उद्योग एक कोमल पौधे के सदृश है, जिसका पोषण अच्छी तरह से किया जाना चाहिये जिससे कि ज्ञान वृक्ष का प्रकाश जनजीवन को आलोकित कर सके। मैं यहां एक उद्योग का उल्लेख करूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर कनारा, में, जो कि एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स स्थापित की जाने कों है। इसकी विवरण-पत्रिका के प्रकाशित होने से पूर्व ही भारत सरकार ने इसे एक करोड़ रुपया देना स्वीकार किया था। उक्त मिल के प्रवर्त्तकों का कथन है कि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे वह काग़ज उद्योग को कम से कम

बीस लाख रुपया दे । इसलिये हमें अपनी विचारधारा को बदलना चाहिये । यदि समाचार पत्र जनमत को अभिव्यक्त करते हैं तो समाचार पत्र, पत्रिकायें और पुस्तकें किसी भी अन्य उद्योग जैसा महत्वपूर्ण कार्य करती हैं । यदि विवरण पत्रिका के प्रकाशन से पूर्व ही भारत सरकार उक्त कारखाने को एक करोड़ रुपया देने को तैयार है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि भारत सरकार उसे अपने हाथों में एक सरकारी उपक्रम के रूप में क्यों नहीं चलाती है ।

डा० केसकर : इस विधेयक का सम्बन्ध समाचार पत्रों के पंजीयन से है ।

श्री जोकिम आलवा : मैं चाहता हूं कि पुस्तक प्रकाशन और समाचार पत्र उद्योगों को भी वही सुविधायें दी जायें तथा इन के साथ भी वैसा ही व्यवहार दिया जाये । मैं आशा करता हूं कि सम्मानीय मंत्री इस विषय पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करके ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि उक्त दोनों उद्योगों की उन्नति हो ।

वास्तविक जानकारी दिये जाने के बारे में, मेरा ख्याल है कि हमें अधिक कठोर होना चाहिये । समाचार पत्रों से कम से कम जानकारी प्राप्त की जावे ताकि उनको असत्य जानकारी देने का प्रलोभन न हो सके । किन्तु यदि एक बार भी वे असत्य जानकारी दें तो उनके साथ रियायत नहीं की जानी चाहिये । जैसा कि मेरे मित्र श्री टी० एन० सिंह ने कहा, जब तक कि हम असत्य जानकारी दिये जाने पर रोक नहीं लगाते हैं तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते हैं ।

विदेशी प्रकाशनों के बारे में यद्यपि कुछ कहा नहीं गया तथापि सम्मानीय मंत्री ने एक पिछले अवसर पर इस बात का उल्लेख करते हुये कहा था कि किसी भी विदेशी प्रकाशन को किताबों अथवा समाचार पत्रों के विशाल प्रकाशन के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी । किन्तु मेरी समझ में नहीं आता है कि "**रीडर्स डाइजेस्ट**" को अनुमति कैसे दे दी गई थी ।

मैं आशा करता हूं कि यदि इस समय प्रकाशित हो रहे समाचार पत्र असावधानी से कोई गलती कर देते हैं तो सरकार उन्हें क्षमा कर के अपनी उदार मनोवृत्ति का परिचय देगी ।

पंजीयक को भेजी जानवाली प्रतियां औसत संख्या का, जिससे वह पत्रों के परिचालन के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सके, मैं अब उल्लेख करता हूं । परिचालन लेखा-परीक्षण कार्यालय (आडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन) भी वही कार्य कर रहा है । किन्तु उस पर ब्रिटिश और अमरीकन विज्ञापनदाताओं का दबाव और प्रभाव पड़ता है और वे उसके द्वारा अपनी मनचाही बात करा लेते हैं । प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर जब सदन में चर्चा हुई थी उस समय हमें इन बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला था । जैसा कि मैंने पहले कहा परिचालन लेखा-परीक्षण कार्यालय पर विदेशी विज्ञापनदाताओं का प्रभाव है और वही समाचारपत्रों की नीति को निर्धारित और प्रभावित करते हैं और कई प्रमुख दैनिक पत्रों को झूठे आंकड़े देने के लिये बाध्य करते हैं । मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इस संस्था पर विदेशी हितों का प्रभाव है और वह अच्छे समाचार पत्रों को अवांछनीय तरीकों का आश्रय लेने के लिये बाध्य करते हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि जिन समाचार पत्रों का परिचालन एक निश्चित सीमा तक या उससे अधिक हो उन्हें आंकड़ें देने चाहियें और यदि वे ऐसा न करें तो तदनुसार कार्यवाही की जाये ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) निस्सन्देह आज एकाधिकार प्राप्त प्रेस का प्रभुत्व है, और हम उस के कदाचारों और बुराइयों का उन्मूलन करना चाहते हैं, परन्तु फिर भी हमें उन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के हितों की रक्षा करनी होगी, जो एकाधिकार प्राप्त प्रेस की परिभाषा में नहीं आते हैं ।

भारत में अब भी बहुत से समाचार पत्र और पत्रिकायें ऐसी हैं जो अच्छे ढंग से चलती हैं और मैं समझता हूं कि देश में स्वतंत्र, दृढ़ और ठोस प्रजातंत्र बनाये रखने की दृष्टि से प्रान्तों या जिलों में ऐसे समाचार पत्रों की संख्या को कम करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये । माननीय मंत्री ने इस विधेयक के द्वारा कई कई समाचार पत्रों के मालिकों द्वारा किये जाने वाले कदाचारों को रोकने के लिये अवश्य कुछ किया है, किन्तु मैं यह भी कहूंगा कि उन्होंने धन या व्यापार के दृष्टिकोण से नहीं केवल जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से चलाये गये समाचार पत्रों को चलाने वालों पर भी दुखदाई नियंत्रण लगा दिये हैं ।

इसलिये मैं समझता हूं कि केवल सांख्यिकी संबंधी दृष्टिकोण से ही काम नहीं चलेगा अन्य बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा ।

पत्र शब्द की परिभाषा बड़ी व्यापक बनाई गई है । मैं समझता हूं इसमें शिक्षा के उद्देश्य से प्रकाशित किये जाने वाले पत्र और चक्रमुद्रित (साइक्लोस्टाइल्ड) पत्र सम्मलित नहीं किए जाने चाहियें । दूसरे, हमारा देश न अधिक धनवान है और न ही समृद्ध देशों के समान समृद्धशाली है, जहां अच्छे नमूने के बहुत से प्रेस हों, इसलिये जनता को सूचना देने के लिये यहां छोटी छोटी और सरल मशीनों की आवश्यकता है । ऐसी स्थिति में चक्रमुद्रण और शिलामुद्रण द्वारा छपाई को "मुद्रण" में सम्मिलित करना देश के हितों के लिये वांछनीय नहीं है । चक्रमुद्रण या शिलामुद्रण द्वारा छापे गये पत्रों द्वारा अनेक शिक्षा और धर्मसम्बन्धी संस्थाओं का प्रचार होता है, इसलिये इनको "मुद्रण" की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये और इनको इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं लाया जाना चाहिये ।

इस विधेयक में यह जो खण्ड रखा गया है कि जब कोई प्रेस अपना स्थान बदले तो उसे नवीन प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसमें चूक होने की अवस्था में वह एक विशेष दंड का भागी होगा । मैं इसे छोटे समाचार पत्रों और प्रेसों के लिये सर्वथा हानिकारक समझता हूं । फिर, चूक होने की अवस्था में विशेष प्रकार के दंड की बजाये, केवल जुर्माना ही काफ़ी होना चाहिये । यह सूचना पत्रादि के द्वारा दी जानी चाहिये ताकि समाचार पत्र के मालिक को अनिवार्यतः दंडाधीश के पास जाने की आवश्यकता न पड़े। हमारे जैसे प्रजातंत्र में तो समाचार पत्रों और पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है, इसलिये इस खण्ड में आमूल परिवर्तन आवश्यक है ।

खण्ड ६ (५) के उपबन्धों को जब मैं पढ़ता हूं कि यदि समाचार पत्र का प्रकाशन आरम्भ नहीं होता है तो तत्संबन्धी प्रतिज्ञान शून्य हो जायेगा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । समाचार पत्र को आरम्भ करना एक बड़ा कठिन काम है, इसके लिये बहुत पूंजी जुटानी पड़ती है और अनेक प्रबन्ध करने पड़ते हैं, तब कहीं कोई पत्र धीरे धीरे और रुक रुक कर चलती है । भूत काल में लाहौर से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र "नेशन" के बारे में मुझे इस बात का अनुभव हुआ था । इस प्रकार का उपबन्ध छोटे समाचार पत्रों के लिये, जिनका उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि स्वस्थ और प्रजातंत्रात्मक शिक्षा का प्रसार करना

है, बहुत घातक और हानिप्रद है । अतः हमें सब को एक ही लाठी से हांकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये । प्रेस के विषय में हमें अच्छे और बुरे व्यक्तियों के बीच अन्तर करना होगा और हमें चाहिये कि इन उपबन्धों को नम्र कर दें ।

खण्ड १३ और १४ में एक प्रकार की अनुसूचि के द्वारा दंड निश्चित किये गये हैं । मेरा निवेदन है कि बड़े समाचार पत्रों को चलाने वालों और छोटे समाचार पत्रों को चलाने वालों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के दंड की व्यवस्था होनी चाहिये ।

प्रैस पंजीयक के कर्तव्यों में समाचार-पत्र का नाम शीर्षक तथा भाषा का विवरण रखने का समावेश तो किया गया है, किन्तु प्रैस में काम करने वाले कर्मचारियों और उनकी श्रणियों आदि सम्बन्धी आंकड़े जानने का कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं किया गया है । इस विषय में जब कोई उपबन्ध किया जायेगा या आश्वासन दिया जायेगा, तब मुझे संतोष प्राप्त होगा ।

धारा १६ ख (ज) में कहा गया है कि पंजीयक छापी गई, और मुफ्त बांटी गई प्रतियों की औसत संख्या अपने पास रखेगा । किन्तु उसे रद्दी काग़जों के रूप में बेची गई प्रतियों के भी आंकड़े रखने चाहियें, क्योंकि बहुत से समाचार पत्र रद्दी कागज के रूप में बेची गई प्रतियों की संख्या को भी परिचालन संख्या में मिलाकर बता देते हैं । इस गड़बड़ी के कारण समाचार-पत्र वाले अधिक प्रकाशन दिखा कर विज्ञापनों के लिये अधिक मूल्य लेने का प्रयत्न करने लगे हैं ।

प्रशासनिक काम करने वाली संस्था को नामकीय संस्था का नाम देना, और विशेषकर इस युग में, जब कि इस शब्द से अणुशक्ति का बोध होता है, उचित नहीं है । फिर मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिये था कि आगामी पांच वर्षों में इस संस्था पर आवर्त्तक और अनावर्त्तक कितना व्यय होने वाला है, क्योंकि देखा जाता है, बाद में विभागों का बहुत विस्तार हो जाता है और खर्चा अत्याधिक बढ़ जाता है । हम समझते हैं कि प्रैस पंजीयक को बहुत उपयोगी कार्य करने का भार सौंपा गया है इसलिये बेहतर है कि इस के लिय अनुदान की मांग की जाये ।

डा० केसकर : समय समय पर सदस्यों को सूचित कर दिया जायगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : हम यह भी जानना चाहते हैं कि इस विभाग पर अधिकतम व्यय क्या होगा और इसे कम करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

पुस्तकों के पंजीयन का काम सांख्यकी की दृष्टि से अच्छा है । किन्तु इसे केवल सांख्यकी दृष्टिकोण से ही नहीं देखा जाना चाहिये, बल्कि मानवीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना चाहिये । प्रशासन ऐसा होना चाहिये जो समाचार पत्रों के हितोंको बढ़ाये और उनकी रक्षा करे माननीय पहलू की रक्षा इस प्रकार की जानी चाहिय जिससे कि इन समाचार पत्रों को प्रकाशित करने वाले के अधिकारों और विशेषाधिकारों का यथा-संभव रक्षण हो सके ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा-मध्य) : सदन के सामने माननीय मंत्री जी ने प्रेस रिजिस्ट्रेशन ऐक्ट (प्रेस पंजीयन अधिनियम) में संशोधन लाने के लिये जो विधेयक उपस्थित किया है, यह यद्यपि एक छोटा सा विधेयक है, लेकिन बड़ा ही महत्व रखता है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुछ दिन पहले जब विधान का निर्माण हो रहा था उस समय इस प्रेस सम्बन्धी कानून की जांच करने के लिये एक कमेटी बिठाई गई थी और उसने कुछ अपनी सिफ़ारिशें की थीं कि इस कानून में क्या क्या संशोधन किये जायें । मेरा जहां तक खयाल है एक विधेयक भी इस सम्बन्ध में सदन के सामने उपस्थित

[श्री श्रीनारायण दास]

किया गया था । लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा इस बीच में प्रेस कमीशन (आयोग) की नियुक्ति हो गई और मंत्री जी ने यह मुनासिब समझा कि कमेटी द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर विचार करने से पहले प्रेस कमीशन (आयोग) की सिफारिशों को देख लिया जाये । अब प्रेस कमीशन (आयोग) ने भी इस सम्बन्ध में प्रेस सम्बन्धी सिफारिशें करने के साथ साथ इस कानून में भी संशोधन करने के लिये अपने सुझाव दिये हैं ।

प्रजातंत्र में अखबार का क्या महत्व है इसके विषय में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है । सारा लोकतन्त्र लोकमत पर चलता है और लोकमत जितना उन्नत होता है, जितना शिक्षित होता है प्रजातंत्र में उतनी ही मज़बूती आती है । हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र है और इस प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिये, जहां हमने हिन्दुस्तान के लगभग १८–१९ करोड़ मतदाताओं को मत देने का अधिकार दिया है वहां पर जहां अभी भी सैकड़े में १८ ही आदमी पढ़े लिखे हैं जब पढ़े लिखे लोगों में ऐसे लोगों की गिनती कर लेते हैं जो किसी तरह से अपने हस्ताक्षर कर लेते हैं या किसी तरह से कुछ अक्षर पढ़ लिख सकते हैं । हमें जनता को शिक्षित बनाने के और भी दूसरे अनेक कार्य करने होंगे । इस देश में हम ने प्रजातंत्र की स्थापना की है और हर बालिग को वोट देने का अधिकार दिया है, जो मैं मुनासिब समझता हूं कि हमें देना चाहिये था, लेकिन इसके साथ ही यह आवश्यक है कि इस देश में ऐसी पत्र पत्रिकायें हों जो प्रजातंत्र-सम्बन्धी विचार हिन्दुस्तान के गांव गांव में और हिन्दुस्तान के घर घर में पहुंचायें ताकि जो बड़े बड़े आदर्श हमने अपने सामने रख हैं और साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा प्रजातंत्र सफल हो और हमारे प्रजातंत्र में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सभी को पूरे तौर से उपलब्ध हो, तो इसके लिये यह आवश्यक है कि लोकमत को तेज़ी के साथ और जल्दी से जल्दी शिक्षित बनाया जाये । लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में अभी अखबारों की तादाद बहुत ही कम है और ऐसे भी अखबार हैं जिन का उद्देश्य, हो सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर वह अपने हक़ के लिये लड़ते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, ऐसा रहता है और नीति ऐसी होती है जो प्रजातंत्र के लिये पोषक भी नहीं रहती है । खैर इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में यद्यपि सरकार समझती है कि यह उसका काम नहीं है कि पत्रिकायें चलाये और मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा पत्र-पत्रिकायें चलाने से फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होता है लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान जैसे देश में प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिये सरकार को ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे, इस तरह की कोई योजना बनानी पड़ेगी, जिस से स्वतंत्र अखबारों का निर्माण हो और ऐसे ऐसे अखबार चलें, जिन में सरकार का हस्तक्षेप न हो लेकिन वह सरकार की मदद से चलें, जैसे उद्योगों में सरकार का हाथ होता है, सरकार उन्हें चलाती है और नाना प्रकार से संरक्षण देती है, सहायता देती है, कर्ज़ देती है और इस तरह से बहुत से उद्योग-धंधे चलते हैं । वे उद्योग-धन्धे भलाई करने के साथ साथ, जो कि वह अवश्य करते हैं चूंकि वे व्यक्ति विशेष के हाथ में होते हैं उनका नफा भी ज्यादातर कुछ व्यक्ति विशेष के हाथ में जाता है, समूह विशेष के हाथ में जाता है ।

२ म० प०

मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिये गांव गांव में ऐसे समाचार पत्रों का जाना जरूरी है जिनसे जनता को विधान सम्बन्धी और शासन सम्बन्धी

बातों की जानकारी प्राप्त हो और उनको यह मालूम हो कि सरकारी कर्मचारी और जो उनके प्रतिनिधि हैं वे व्यवस्थापिका सभाओं में किस तरह काम करते हैं। गांवों की जनता को इन सब बातों की जानकारी प्राप्त हो इसके लिये यह जरूरी है कि सस्ते दाम पर अच्छे अच्छे समाचार पत्र गांवों में जायें। ऐसे अखबार को सच्चे अर्थ में स्वतन्त्र होना चाहिये और उन पर किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं होना चाहिये। लेकिन आजकल हमारे देश में हो यह रहा है कि अखबार को व्यवसाय समझ कर चलाया जाता है, अगर नफा होता है तो अखबार को चलाते हैं और अगर नफा नहीं होता है तो नहीं चलाते हैं, और अखबार चलाने के लिये हर तरह का जायज़ और नाजायज़ काम किया जाता है। यदि उनको सरकार से सहायता लेनी है तो सरकार को गलत सूचनायें दे कर सहायता लेते हैं और विज्ञापन लेते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे देश में अधिकतर अखबार चलाने वालों की यह प्रवृत्ति है, और इसको खत्म करना चाहिये। मेरा कहना यह है कि सरकार को इस दिशा में जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिये। सरकार को अपने बजट में कुछ इस तरह की रकम रखनी चाहिये जिसको कि वह ऐसी संस्थाओं को, सहकारी संस्थाओं को या सामाजिक संगठनों को सहायता के रूप में दिया करे जो कि स्वतंत्रतापूर्वक, बिना सरकार के दबाव या प्रेरणा के, देहातों में जनता तक स्वतंत्र विचार पहुंचायें। इस दिशा में सरकार की गति बहुत धीमी है। मैं समझता हूं कि इस विषय में जरूरत इस बात की है कि प्रेस कमीशन (आयोग) ने जो सिफारिश अखबारों के सम्बन्ध में सरकार के सामने रखी हैं उनको जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाये। अगर सरकार यह चाहती है, और मैं समझता हूं कि चाहना चाहिये, और चाहती है, कि स देश में प्रजातंत्र मजबूत हो, तो जिस प्रकार वह राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में काम कर रही है उसी प्रकार उसको अखबार के क्षेत्र में भी कार्य करना चाहिये। सरकार को चाहिये कि जिस तरह से हो सके ऐसी संस्थाओं को अखबार चलाने के लिये सहायता दे जो कि स्वतंत्रतापूर्वक अखबारों का संचालन करती हों, जिनके विचार स्वतंत्र हों और कल्याणकारी हों। उनको बिना किसी शर्त के सहायता दी जाये और उन पर किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष का दबाव न हो। सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार के अखबारों को प्रोत्साहन दे।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जो विधेयक इस सदन के सामने आया है उसके सम्बन्ध में अखबार सम्बन्धी बहुत सी संस्थाओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं। कुछ संस्थाओं ने इस विधेयक का समर्थन किया है, कुछेक ने इसका यह कह कर विरोध किया है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, और वे संस्थायें यह समझती हैं कि जिस तरह का नियंत्रण यह विधेयक करेगा उससे अखबारों के विकास और तरक्की में बाधा पैदा होगी। मैं समझता हूं कि आजकल के जमाने में कोई भी काम बिना नियंत्रण के चलना मुश्किल है। हमारे सामने कल्याणकारी समाज बनाने का ध्येय है। लेकिन हमारी जो मैशिनरी है वह उपयुक्त नहीं है। आपके जो काम करने वाले हैं वे आपके आदर्शों से उतने अनुप्राणिक नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज कल्याणकारी हो और साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि हमारी सरकार सही मानों में कल्याणकारी समाज का अंग हो। सरकारी यंत्र का एक एक पुर्जा इस बात का ध्यान रखे कि वह जिस पद पर है वह समाज की सेवा करने के लिये है, किसी अधिकार का उपयोग करने के लिये नहीं है। लेकिन हमें दुःख के साथ हर समय यह अनुभव करना पड़ता है कि ऊपर से नीचे तक यह हालत है

[श्री श्रीनारायण दास]

कि जो भी सरकारी विभाग में नियुक्त हो जाता है वह अपने कर्तव्य का पालन करने में यह ध्यान नहीं रखता। और न यह समझता है कि वह हिन्दुस्तान के पांच लाख गांवों में रहने वाली जनता का सेवक है। यह सही है कि हम अच्छे अच्छे कानून बनाते हैं लेकिन जिस तरह से वे कानून अमल में लाये जाते हैं वह तरीका उपयुक्त नहीं होता। इसी से वह सब लोगों को अखरता है। आप कानून तो अच्छा बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से वह कानून चलाया जाता है उससे काम की आगे तरक्की नहीं होती, बल्कि काम में बाधा पहुंचती है। इसीलिये मैं कहना चाहूंगा कि यह जो कानून बनाया जा रहा है इसके भी बरतने में इस बात का ध्यान रखा जाये कि उसका दुरुपयोग न हो। मैं इस कानून के बहुत से अंश का समर्थन करता हूं। लेकिन साथ साथ में मंत्री महोदय को आगाह कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़े अधिकार दिये जा रहे हैं। प्रेस रजिस्ट्रार का संगठन होगा। उसको यह अधिकार होगा, या उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह किसी अखबार की संस्था में, या मकान में जा कर किसी तरह का कागज़ अपने अधिकार में ले सकता है। अगर इस अधिकार का व्यवहार समुचित ढंग से किया जाये तो इसमें कुछ हर्ज नहीं होना चाहिये। लेकिन हमारा अनुभव यह है कि इस तरह से अफसर पत्रों के संचालकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते।

डा० केसकर : उनको शायद यह अधिकार नहीं है। आप फिर से बिल के इस क्लाज को पढ़ें। कुछ खास सीमाओं में ही उनको यह अधिकार है। अगर वे उनके बाहर जायेंगे तो संचालक लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं कि उनको ऐसा करने देंगे। वे वकील की सहायता से उनको फौरन बाहर कर देंगे।

श्री श्रीनारायण दास : इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई कार्यवाई शुरू कर दी जाती है तो चाहे वह अदालत में जा कर बरी हो जाय लेकिन उसको ऐसा करने में बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। यह बात मंत्री महोदय को भी मालूम होगी।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन मैं साथ ही साथ यह कहना चाहूंगा कि प्रेस कमीशन ने कहा है कि अखबार के सम्बन्ध में, न्यूज़ एजेंसी के सम्बन्ध में और विज्ञापन के सम्बन्ध में जो एजेंसी हैं उन सब के लिये एक रजिस्ट्रार (पंजीयक) बनाया जाये। मैं ने इस विषय पर पूरी तरह से सोचा है लेकिन मैं ने देखा है कि प्रेस कमीशन (आयोग) की यह सिफारिश है कि जो प्रेस रजिस्ट्रार (पंजीयक) बनाया जाये वह जो रजिस्ट्रार मेनटेन करे तो अखबार के सम्बन्ध में भी करे, न्यूज एजेंसी के सम्बन्ध में भी करे और विज्ञापन सम्बन्धी जो ऐजेंसी है उसके सम्बन्ध में भी जानकारी रखे। लेकिन इस विधेयक में मंत्री महोदय ने इसका जिक्र नहीं किया है। मालूम नहीं उनके मन में क्या है। मुझे आशा है कि वह अपने भाषण में इसकी सफाई कर देंगे। मैं समझता हूं कि भिन्न भिन्न संस्थायें बनाने के बजाय यह ज्यादा अच्छा होता कि एक ही संस्था बनायी जाती और उसी को अखबारों और उनसे सम्बन्धित दूसरी चीजों के सम्बन्ध में जानकारी और स्टटिस्टिक्स रखने का काम सौंपा जाता।

दूसरी बात इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा.....

उपाध्यक्ष महोदय : तीसरी बात कहिये।

श्री श्रीनारायण दास : इस बिल में कहा गया है कि कोई अखबार चाहे वह दैनिक हों या साप्ताहिक हों अगर एक निश्चित

संख्या में अखबार नहीं निकालेगा तो उसका डिक्लेरेशन रद्द हो जायेगा । अगर कोई दैनिक अखबार है और वह अगर महीने में १५ अखबार प्रकाशित नहीं करेगा तो उसका डिक्लेरेशन (प्रतिज्ञान-पत्र) रद्द हो जायेगा । इस विषय में जो कुछ शर्मा जी ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं । कोई व्यक्ति विशेष अपनी पूंजी लगाकर अखबार चलाता है, कुछ लोग कम्पनी बनाकर अखबार चलाते हैं, कुछ लोग दस पांच आदमी मिलकर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाकर अखबार चलाते हैं । इन सब संस्थाओं के लिये आप ही नियम लागू करना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं होगा । जो लोग लोक कल्याण के लिये अखबार चलाते हैं उनके भी दो प्रकार हैं । एक तो इसलिये चलाते हैं कि लोकमत को शिक्षित करें और दूसरे इसलिये चलाते हैं कि लोकमत को प्रभावित करके अपने पक्ष में करें । एक तीसरा वर्ग और है जो इसलिये अखबार चलाता है कि उससे पैसा आता है । अगर आप सब संस्थाओं के लिये एक ही नियम रखेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि छोटी संस्थायें जो कि दैनिक अखबार निकालती हैं अगर वे महीने में १५ अखबार नहीं निकाल सकेंगी तो उनका डिक्लेरेशन रद्द हो जायेगा । यह मुनासिब नहीं है । ऐसा नियम लगाना तब ठीक होता जब कि समाज में सबके आर्थिक साधन समान होते । जो सम्पन्न लोग अखबार निकालते हैं, या जो कम्पनी बनाकर अखबार निकालते हैं वे तो महीने में ३० अखबार भी निकाल सकते हैं और विशेषअंक भी निकाल सकते हैं, मार्निंग न्यूज और इवनिंग न्यूज भी निकालते हैं । लेकिन जो छोटी छोटी संस्थायें जनता को शिक्षित करने के लिये अखबार निकालती हैं उनको इस प्रकार के नियम से दिक्कत पैदा हो जायेगी । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इन दिक्कतों को समझकर, यदि इस विधेयक में नहीं तो कम से कम नियम बनाते समय इसके लिये कोई मार्ग निकाल सक तो बहुत अच्छा होगा ।

डा० केसकर : आप अपने अखबार को दैनिक के बजाय साप्ताहिक क्यों न डिक्लेअर करें ।

श्री श्रीनारायण दास : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छोटी संस्थाओं का इस प्रकार काम नहीं चल सकता । मंत्री महोदय को यह अनुभव करना चाहिये कि अभी हिन्दुस्तान में लोगों के आर्थिक साधन समान नहीं हैं और आर्थिक साधनों के बिना अखबार नहीं चल सकते । जो संविधान हमने बनाया है उसमें हमने यह ध्येय अपने सामने रखा है कि हर आदमी को हर विषय में समान अवसर देंगे । लेकिन अभीतक हम कवल राजनैतिक क्षेत्र में जनता को समान अधिकार और अवसर दे पाये हैं । अभी सब को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार देने में हमें सफलता नहीं मिली है ।

इसलिये जब हम को प्रोत्साहन देना है तो जो प्रोत्साहन देने के स्थान पर है, जिसे प्रोत्साहन पाने का अधिकार है उसे अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये और जो प्रोत्साहन नहीं चाहता उसे प्रोत्साहन देने की क्या ज़रूरत है । अखबार व्यक्ति विशेष निकाल सकता है, कम्पनी निकाल सकती है, समाज सोसाइटी निकाल सकती है और अखबार अगर कोई सोसाइटी बिना नफ़े के ख़याल से चलाती है तो उसके सम्बन्ध में एक अलग नीति लागू नहीं होनी चाहिये और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि यह उसके साथ एक प्रकार से अन्याय होगा ।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा । प्रेस कमीशन (आयोग) ने कहा था कि···

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है । प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर सामान्य चर्चा अभी ठीक नहीं है ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

समाचार पत्र शुरू करना और उन्हें चलाना इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं आता।

श्री श्रीनारायण दास : मैं एक भी शब्द नहीं कह रहा हूं, जो विधेयक से सम्बन्धित न हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर सभा के सामने और भी कार्य हैं ।

एक माननीय सदस्य : कोई समय-सीमा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिये तीन घंटे का समय है ।

श्री श्रीनारायण दास : अब जिस बात के लिये प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो रही है, जिस तरह के आंकड़े संग्रह करने का अधिकार दिया जाता है, मैं समझता हूं कि इस देश की मौजूदा हालत में यह सब आंकड़े सरकार के पास रहने चाहिएं और अगर यह सब आंकड़े नहीं रहते हैं तो सरकार को आगे कोई कार्य-क्रम बनाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और जैसा कि प्रैस कमीशन (आयोग) ने कहा कि इसकी जांच की जाय कि देश में कितने अखबार चलते हैं और किस स्टेट (राज्य) में कितने अखबार चलते हैं और किस अखबार की क्या हालत है, इस सब की जानकारी हासिल करने में बड़ी कठिनाई हुई । मैं समझता हूं कि यह जो प्रेस कमीशन (आयोग) रजिस्ट्रार के पद को क़ायम करने के लिये क़ानून बनाया जा रहा है, यह बहुत अच्छा है और इस को जल्दी हमको पास करना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) :

नमो ऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
दैव्यै च तस्यै जनकात्मजायै ।
नमो ऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो
नमोस्तु चन्द्रार्कमरु द्गणेभ्य ।।

समाचार पत्र पद्धति यद्यपि आधुनिक भारत में आधुनिक पाश्चात्य देशों से भले ही आई हो, मेरा यह विश्वास है कि प्रचार पद्धति भारतवर्ष से ही चली है । अपने विचारों की और अपने व्यक्तिगत विचारों का नहीं, जगत् के कल्याण के लिये विचारों का प्रचार करना, यह भारत की ही संसार को देन है और बड़े बड़े पाश्चात्य दार्शनिकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत से कुछ न कुछ बुद्धिमानों ने आकर हम को प्रकाश दिया ।

आज हमारे सामने यह विधेयक प्रेस और रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स के नाम से उपस्थित है, यद्यपि मैं खेद से देखता हूं कि हमारे मंत्री महोदय किसी कार्य में संलग्न हैं और अपने स्थान पर इस समय मौजूद नहीं हैं और सम्भवतः हमारी बात को नोट करना नहीं चाहते । परन्तु एक बात हम ज़रूर समझते हैं और उसमें भले हो मंत्री महोदय का दोष न हो और जिसको कि ओर अभी श्री एच० एन० मुकर्जी ने संकेत किया था कि पहले तो हाउस को कम्पनीज़ बिल के लिये तैयारी करनी पड़ी थी जब कि बिलकुल अचानक हाउस को इस बिल की ओर मुड़ आना पड़ा और अगर इस बिल के लिये समय और अवसर मिलता तो हाउस उसकी ओर अधिक योग्यता से ध्यान दे सकता था ।

एक बात मंत्री महोदय ने कही कि यह एक रुटीन बिल है और इसमें कोई बहुत मौलिक परिवर्तन होने वाला नहीं है ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

परन्तु आपके ही उद्देश्य और लक्ष्य का जो विवरण है उसको देखने से हमें पता चलता है कि पहला भाग तो रुटीन है, परन्तु दूसरा और तीसरा और चौथा भाग जिसमें कि पेपर को बन्द करने का अंश है जिससे किसी पेपर के अन्दर कोई पोस्टर भी लिया

जा सकता है, यह अंश है और जिसमें प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति का प्रश्न है, यह रुटीन नहीं माना जा सकता और निश्चय ही यह मानना पड़ेगा कि एक मौलिक परिवर्तन समाचार जगत में करने के लिये यह विधेयक उपस्थित हुआ है। मुझे यहां पर एक दृष्टि-कोण देख कर खेद हुआ। अंग्रेज सरकार के समय में यदि हमारे समाचार पत्र जगत के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध समय समय पर लगाया जा रहा था, तो अंग्रेज सरकार को हर समय यह शंका और आशंका बनी रहती थी कि यह भारतीय यदि इनको वाक्य स्वातंत्रय मिल गया, वाणी की स्वतंत्रता मिल गयी, तो हो सकता है कि वह हमारे इस साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में प्रयत्नशील हों और यदि जनता के पास उनके विचार पहुंच गये तो हमारे लिये यहां रहना कठिन हो जायगा ।

बाबू रामनारायण सिंह : इस सरकार को भी यही भय है।

श्री नंद लाल शर्मा : मैंने जब श्री टी० एन० सिंह का भाषण सुना तो मुझे बहुत अचम्भा हुआ। हमारे मंत्री महोदय ने जितनी सादगी से जितनी शान्ति से अपनी कर्तव्य पालन बुद्धि से केवल एक विधेयक को हमारे सामने रख दिया है, हम समझते हैं कि उन बेचारों पर चाहे उनकी इच्छा हो या न हो, एक कर्तव्य आया है और इसलिये उसका पालन कर रहे हैं, परन्तु उसके समर्थक तो उनसे भी आगे बढ़ गये हैं और उनके बारे में तो यह कहावत चरितार्थ होती है कि "बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान-अल्ला"। ऐसे समर्थक अनेक बार कह देते हैं कि भले ही उन पर बम चला दो, या गोली से उड़ा दो और यहं जितने सारे बेईमान लोग खड़े हैं उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा देनी ही नहीं चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे भाई श्री जोकीम आल्वा और अन्य बंधुओं ने और श्री श्रीनारायण दास ने जो अभी प्रेस को सहायता देने के सम्बन्ध में कहा है, उधर सरकार शायद ध्यान देना भी नहीं चाहती और उस मांग की ओर सरकार ने अपने कानों को बहरा कर दिया है और साथ ही हम यह भी बखूबी जानते हैं कि अगर सरकार को सहायता देनी भी होगी तो वह अपने पक्ष वालों को देगी, सहायता उसको मिलेगी जो उनके पक्ष का होगा।

बाबू रामनारायण सिंह : ठीक, ठीक ।

श्री नंद लाल शर्मा : अगर सरकार वास्तव में सच्चे जनतंत्र की स्थापना करना चाहती है, तो उसको चाहिये कि अपने विरोधी पक्षों को भी उसी प्रकार सहायता दे जिस तरह कि वह अपने पक्ष वालों को देती है, तभी सच्चे मानों में इस देश मे जनतंत्रवाद की स्थापना होना सम्भव है, अन्यथा नहीं। मैं तो कहता हूं कि किसी भी पक्ष को सहायता मत दो। मैं एक बात और कहता हूं कि क्या आप शपथपूर्वक कह सकते हैं कि हम विरोधी पक्ष के अखबारों और सरकारी पक्ष के अखबारों के साथ एक सा व्यवहार करते हैं? अगर आपके जो सरकारी समाचार-पत्र चल रहे हैं, वे अपने पक्ष की और विरोधी पक्ष की दोनों के विचारों को उसी प्रकार से बिना किसी पक्षपात के अपने वहां छाप देंगे तो हम समझेंगे कि हां आप वास्तव में यहां पर जनतंत्रवाद स्थापित कर रहे हैं। दोनों पक्षों को स्वतंत्रता दी जाय कि वह अपनी अपनी बात को जनता के सामने रक्खें। आपको अपने पक्ष को स्थापित करने का अधिकार है, आप को माता ने दूध पिलाया है आप अखबार में अपना मत रक्खें और अपनी बुद्धि-शक्ति दिखायें और यदि आपके विपक्षी के पास भी कुछ बल होगा तो वह भी अपना बल दिखा देगा। आपने इस देश में समाज-वादी ढांचे पर आधारित समाज की रचना की चेष्टा की है। अभी रूस के साथ आपका गठबंधन हुआ है और इस अवसर पर व्यक्ति के स्वातंत्र्य को दबा करके केवल नाम मात्र

[श्री नंद लाल शर्मा]

का समाजवादी समाज खड़ा करना कोई माने नहीं रखता ।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : आप किस से संगठन करना चाहते हैं ?

श्री नंद लाल शर्मा : हम ऐसा संगठन स्थापित करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व बना रहे और समाज हित के लिये भी अक्षुण्ण हो और पूरक हो और समाज के लिये हानिकारक न हो ·····

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आज़मगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम) : वह हवाई सवाल है ·····

श्री नंद लाल शर्मा : हवाई नहीं वह वास्तविक तथ्य भारतवर्ष में रह चुका है, आपके भाग्य से यह सवाल आज हवाई हो गया है ।

हां एक बात ज़रूर है कि इस समाचार जगत में और पुस्तकों के जगत में काम करने वालों को इतनी रायलटी इस प्रकार देने का यह दृष्टिकोण हमारे भारतवर्ष में विद्या के प्रचार के लिये कभी नहीं हुआ । मुझे याद है स्मरण है और आप लोगों को भी मालूम होगा जिन्होंने कि भारतीय साहित्य को पढ़ा होगा और देखा होगा कि महाकवि भारवि का यह एक श्लोक "सहसा विदधीत न क्रियाम्" ।। एक लाख रुपय में गिरवी होने के लिये पहुंचा । ऐसी परिस्थिति में जब कि अपने मस्तिष्क को केवल जगत के कल्याण के लिये उपयोग किया ।

"निजनिर्मितकारिकावली मति
संक्षिप्तचिरन्तनोवितमि : ।
विशदीकरवाणि कौतुकान्ननीराजी
वदयावंशवद : ।।"

पंडित विश्वनाथ ने एक शिष्य के ऊपर दया कर के पुस्तक लिख डाली और उसी पुस्तक पर स्वयम् कमेन्ट्री लिख डाली । न कहीं वह पुस्तक बिकने जा रही थी, न कोई रायल्टी मिलने वाली थी, न प्रेस की ही सुविधा थी । ऐसी चीज जिस का पवित्र भावना से प्रचार किया गया हो, आज उस पर ह्यमन इन्टलेक्ट का प्रास्टिट्यूशन (मानवीय बुद्धि के साथ व्यभिचार) किया जाय और उन से कहा जाये कि तुम को अपनी खोपड़ी की उपज इस प्रकार बेचनी होगी, यह दृष्टिकोण हम को परिवर्तित करना होगा । मैं आप से निवेदन करता हूं कि अगर आप ने भारत को स्वतंत्रता दिलवाई है, और भारतवर्ष आप का धन्यवाद करता है तो आप भारतीयता को भी स्वतंत्रता दिलवाइये । यह बात मैं भारत के नाम से कहता हूं । बाहर से आने वाले जो विदेशी यात्री यहां पर हैं वह भारत के वास्तविक रूप को देख नहीं पाते हैं । जरा उन को वह स्थान भी दिखाते जहां आप के भूखे और नंगे लोग रहते हैं । आप उन को केवल वह स्थान दिखलाते हैं जहां गुलछर्रे उड़ते हैं और पार्टियां होती हैं । आप उन को नहीं बताते कि भारतीय कैसे जीवित रहते हैं । इसलिय मैं हाउस के समस्त बन्धुओं से निवेदन करता हूं कि हम इस भारत में भारतीयता को स्वातंत्र्य दिलाने का प्रयत्न करें । इस समय भारतीय मस्तिष्क जो है वह स्वयम् पराधीन हो रहा है । भारतीयता को अपनी सांस लेने का भी अधिकार प्रतीत नहीं होता । हमारे डैफिनिशन सेक्शन में क्या है ?

"पत्र" का अभिप्राय एक पुस्तक को छोड़ कर और एक समाचार पत्र समेत किसी दस्तावेज से है । यह क्या परिस्थिति है ? अगर इस समय किसी के घर में विवाह हो और वह कहीं निमंत्रण छपवा बैठता है, या किसी प्रकार का कोई समारोह हो, आध्यात्मिक समारोह हो, किसी के स्वार्थ के बढ़ावे

का प्रश्न नहीं है, तो उसके निमंत्रण पत्र को भी फाऊल करना होगा, पहुंचाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो ऐसा न करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। यह केवल भारत के समाचार जगत की स्वत्रंता हीं बल्कि तमाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर रुकावट है, और वह भी उस समय जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। क्या सच-मुच हमेशा के लिये भारत में १४४ लगाई जा रही है? इस के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? जैसे जैसे भारत आगे चला जा रहा है, उस का रोग बढ़ता चला जाता है।

कहते हैं कि यदि किसी कारणवश न्यूज-पेपर को अपना स्थान परिवर्तित करना पड़े तो उस को नया डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। उचित तो यह है कि यदि उस ने स्थान परिवर्तन किया तो उस की सूचना जो आवश्यक आथारिटी हो, उस को पहुंचा दे। लेकिन उस का पिछला डिक्लेरेशन कैंसेल्ड समझा जाये और उस को नया डिक्ले-रेशन फाइल करना पड़ें, यह एक विचित्र बात है जो समझ में नहीं आती है।

इसी प्रकार से अभी आप ने कहा था प्रेस रजिस्ट्रार के सम्बन्ध में। प्रेस रजि-स्ट्रार की ड्यूटीज और पावर्स में मैं नें देखा है कि उस को अधिकार है अपनी पूरी पावर्स डलिगेट करने का। उस में कहा गया है :

कि वह किन्हीं भी दस्तावजों आदि को देख सकेगा और उसके मकानादि में प्रविष्ट हो सकेगा तथा प्रश्न आदि पूछ सकेगा।

मैं निवेदन करता हूं कि वह कोई पेपर वहां से उठा कर ला सकता है, किसी प्रकार का प्रश्न कर सकता है और किसी के घर में घुस सकता है, ऐसी परिस्थिति में न केवल प्रेस रजिस्ट्रार को बल्कि "उसके द्वारा भेजे गये किसी व्यक्ति" को यह अधिकार देना कि वह घर में प्रवेश कर सके कहां तक उचित है? क्या आप समझते हैं कि ऐसी परि-स्थिति में कोई न्यूजपेपर आगे उन्नति कर सकेगा, आगे चल सकेगा, विशेष कर जब आप का दृष्टिकोण अपने से विरोधी पक्ष के समाचार पत्रों को दबाने का है? सत्यता का इसी प्रकार गला घोटा जा सकता है जब आप उस के मार्ग में रुकावटें रक्खें। मुझे स्मरण है, हमारे एक से अधिक दैनिक पत्र अभी भी चल रहेहैं, और पहले भी चलते थे, जब मैं स्वयम् एक जगह विज्ञापन के लिये गया तो उन्होंने कहा कि हमें बतलाइये कि आप का कितना सर्कुलेशन है। मैंने अपने साथ के पत्रों का सर्कुलेशन वहां देखा। मुझे देख कर अचम्भा हुआ कि चौगुने और आठगुने से भी अधिक लिखा हुआ था। मैं ने स्पष्ट कहा कि मुझे आप का विज्ञापन नहीं चाहिय, मैं झूठ कहने के लिये तैयार नहीं हूं। आडिटर्स की आडिट रिपोर्टस भी मैंने देखी। मैंने आडिट करवाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं इस प्रकार आडिट नहीं करवाना चाहता जिस में मुझको झूठ बोलना पड़े और जिस में आडिटर झूठ बोलने के लिये तैयार हो। आडिट रिपोर्ट (लेखा परीक्षा प्रतिवेदन) लेने के लिये आपको उसे कुछ रुपये देने होंगे। ऐसी परिस्थिति हो गई। आप कितने ही हजार और लाख न्यूजपेपर चलायें, लेकिन स्मरण रखिये कि जो वस्तु प्रारम्भ में ही असत्यतापूर्ण है, जिस के अन्दर प्रारम्भ में ही पाप छिपा हुआ है, वह न व्यक्ति का कल्याण करेगी और न समाज का ही कल्याण करेगी। अगर आप "सत्यमेव जयते", "सत्यमेव जयते" की घोषणा मात्र ही कीजिये और "सत्यमेव जयते" के वेश में "असत्यं सत्यमेव जयते" का पालन करें तो आप झूठ को ही सत्य के नाम से चला सकते हैं और असत्य को ही सत्य के नाम से जीवित रख सकते हैं। फिर भी मैं आप से कहता हूं कि आप के व्यक्तिगत व दलगत स्वार्थ दो चार दिन ही रह सकेंगे

[श्री नंद लाल शर्मा]

किन्तु भारतीय जनता आप के उपकार को सदा के लिये स्मरण रक्खेगी ।

मैं ने कई बार पहले भी कहा है और आज भी कहता हूं और पूरी सद्भावना से कहता हूं कि हम भारतीय इतने शान्ति-प्रिय हैं कि रावण ने कितना ही अपना अत्याचार बढ़ाया, हम ने उस के विरुद्ध शान्ति से प्रार्थनायें कीं, सब कुछ किया । परन्तु जब उसे मारा तो साढ़े नौ लाख वर्ष बीत गये, प्रति वर्ष मारते हैं, लेकिन उस का पीछा नहीं छोड़ते । हम किसी के भी पीछे पड़ जायें तो उस का पीछा नहीं छोड़ते, यह बिल्कुल ठीक है । हम व्यभिचार का प्रचार करने वाले को व्यभिचार के लिये बंड दे कर सदा के लिये विश्व के सामने रक्खेंगे कि इस पापी को दंड दिया गया । किसी पाप करने वाले को बचा लेना इस विचार से कि उस का कल्याण हो, इस में बचान वाला भी दोष का भागी और जिस ने भी पाप किया उस के साथ भी अन्याय हुआ क्योंकि वह पाप के लिये और भी आगे बढ़ेगा ।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा आप जिस अभीष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं उस अभीष्ट की सिद्धि तो हो ही नहीं सकती, केवल व्यक्तिगत स्वातंत्र और जो देश के कल्याण में साधक होने वाली बस्तु है उसी का ह्रास होगा । समाचार जगत और दृष्टिकोण के बनाने वालों, दृष्टिकोण का प्रसार करने वालों के मार्ग में जो रुकावटें आ जाने वाली है, उस का फल यह होगा कि भविष्य में जितनी भी विद्वता, जितनी आध्यात्मिकता और जितनी धार्मिक भावना का प्रसार हो सकता था वह सब रुक जायेगा । एक ओर तो आप चिल्लाते जा रहे हैं कि जनता की घूसखोरी नहीं समाप्त हुई, चोरबाजारी नहीं समाप्त हो पाई, दूसरी ओर आप चिल्लाते हैं कि धार्मिक शिक्षा बन्द करो, ईश्वर का कोई सम्बन्ध यहीं है राजनैतिक सत्ता से । अगर आप इन प्रचारों को बन्द नहीं करेंगे तो हजार प्रयत्न करने पर भी बेईमानी नहीं जायेगी । आखिर वह जायेगी कैसे जब ईश्वर का डर ही नहीं, जब हमको अपने सत्कर्म और दुष्कर्म का फल भोगना ही नहीं है । ऐसी दशा में एक इन्स्पेक्टर पुलिस जिस को एक लाख रुपया एक समय में मिल सकता है, और जो लुट गया है वह एक कौड़ी भी न दे सके, यदि उस इंस्पेक्टर को ईश्वर का कोई डर नहीं है, धर्म का प्रचार ज्यादा नहीं है, तब उस से यह आशा नहीं की जा सकती वह रुपया न ले । ऐसी परिस्थिति में यह आशा आप नहीं कर सकते कि पाप संसार से मिट जायेगा ।

इस लिये अपने ऊपर कृपा कर के, देश पर कृपा कर के और भारतीय जनता पर कृपा करके आप अपने दृष्टिकोण को बदल दें जब आप का दृष्टिकोण बदलेगा, उस समय आप का जो भी कानून बनेगा वह आप के कल्याण का होगा और अगर आप इसी दृष्टिकोण को बढ़ायेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : आज हम जिस विधेयक पर विचार कर रहे हैं वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और हम चाहत हैं कि इसमें दो बातों की व्यवस्था की जाये । एक तो यह कि ऐसे सार्वजनिक प्रैस का विकास किया जाय जो लोकतंत्र को प्रोत्साहन दे सके और दूसरी यह कि वह उन मजदूरों के साथ न्याय कर सके जो उससे संबंधित हैं । इस बात के और दूसरे पहलू भी हैं । मेरे मित्र श्री टी० एन० सिंह ने हमारे समाचार-पत्र-संगठनों में एकाधिकारियों की बढ़ती हुई श्रंखला के सम्बन्ध में जो चिन्ता प्रकट की है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं । प्रैस-आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करते समय हम बड़े भली प्रकार देख चुके हैं कि जनमत कुछ बड़े पूंजीपतियों और संस्थानों द्वारा किस प्रकार

अहितकर रूप से ढाला जा रहा है। जहां तक इस एकाधिपत्य को समाप्त करने का प्रश्न है, हम श्री टी०एन० सिंह से पूरी तरह सहमत हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि सन १९५२ के विधेयक की अपेक्षा अधिक उत्तम होते हुए भी, विधेयक में पंजीयन के लिये अपेक्षित कुछ आवश्यक बातें छोड़ दी गई हैं। विशेष रूप से हानि और लाभ के लेखापरीक्षा हिसाब और सन्तुलन-पत्रों के संभरित किये जाने का भी प्रश्न है। हम यह जानते हैं कि यह हिसाब हमेशा सही ही नहीं होता है परन्तु यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे, उन पर कुछ तो अंकुश रह सकता है और हमारा विचार है कि इस प्रकार का अंकुश रखे बिना इस एकाधिपत्य को तोड़ना और उससे ठीक ढंग से काम कराना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो सकेगा।

साथ ही उन कर्मचारियों का भी प्रश्न है जिनके संबंध में प्रैस-आयोग ने सिफारिश की है। इस संबंध में सरकार यह कह सकती है कि इनके अधिकारों, वेतन आदि की रक्षा के लिए दूसरा विधेयक लाया जा रहा है, लेकिन इसे इतने दिनों तक लटकाये रखने की अपेक्षा यदि इस पर सदन में विचार होता तो अधिक अच्छा होता। जो भी हो, इन कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत विवरण प्राप्त करना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि इनका प्रश्न मुद्रणालय तक पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक में सम्मिलित होना चाहिये। हम सरकार से इस प्रश्न का संतोष-प्रद उत्तर चाहते हैं कि प्रेस आयोग की संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशों को क्यों छोड़ दिया गया है।

मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव का, कि समाचार-अभिकरणों को भी इस विधेयक के अधिकार-क्षेत्र में लाया जाना चाहिए, समर्थन करती हूं। अगर हम स्वस्थ प्रैस और लोकतंत्रात्मक प्रैस का विकास चाहते हैं तो हमें समाचार-अभिकरणों की कड़ी निगरानी करनी पड़ेगी और समाचार-पत्रों द्वारा पूर्ण सूचना एवं आंकड़े देने संबंधी सभी उपबन्ध इन पर भी लागू करने होंगे।

भारत में प्रैस की वास्तविक स्थिति को देखने का भी प्रश्न है। यहां एक ओर तो बड़े एकाधिकारी हैं और दूसरी ओर विरोधी दलों के नये सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों के लिए संघर्ष करने वाले छोटे छोटे समूह हैं, उनका साहित्य, उनका प्रचार और उनके समाचार-पत्र हैं। एक प्रकार से ये 'नास्तिमानों' के पत्र हैं। उन्हें देश के समस्त पूंजीपतियों से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन पत्रों की चाहे वे राजनीतिक हों या सांस्कृतिक, सहायता की जाये और इन्हें प्रोत्साहन दिया जाये और उनके मार्ग में अधिक बाधायें न आने दी जायें। सरकार यह कह सकती है कि यह उपबन्ध उन पर नहीं लागू किया जायेगा। परन्तु यह सरकारी शासन यंत्र के ही द्वारा लागू किये जाते हैं और हमें बारबार कठिनाइयों का सामना करन पड़ता है, यहां तक कि हम प्रतिज्ञान-पत्र तका स्वीकृत नहीं करा पाते हैं। प्रतिज्ञान-पत्र समाचार-पत्र के प्रकाशन की तिथि के ६ सप्ताह पूर्व प्रस्तुत करना पड़ता है, अन्यथा वह व्यर्थ हो जाता है। पत्रों के लिए पूंजी एकत्र करना भी अत्यन्त कठिन होता है और अनेक बार ऐसा भी होता है कि प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करने के ६ सप्ताह बाद पत्र का प्रकाशन संभव ही नहीं होता है। इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता कि जिस व्यक्ति का प्रतिज्ञान-पत्र स्वीकृत हो चुका हो और जो इसके ६ सप्ताह के भीतर पत्र प्रकाशित न कर सके तो उसका प्रतिज्ञान-पत्र रद्द कर दिया जाय। हम में से जो बंगाल से आये हैं वे जानते हैं कि जब एक पत्र का प्रकाशन बन्द हो जाता है तो क्या होता है। एक रात को **फारवर्ड** का प्रकाशन बन्द हुआ तो अगली सुबह **लिबर्टी,** निकल आया और दूसरे दिन **न्यूफारवर्ड** प्रकाशित हो गया। हम जानते हैं कि प्रतिज्ञान-पत्र होने के बाद एक के बाद

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

एक जैसे पत्र चलते रहते थे । मेरी समझ म नहीं आता कि प्रतिज्ञान-पत्रों के व्ययगत हो जाने के उपबन्ध से समाचार-पत्र-संगठनों में एकाधिकार किस प्रकार समाप्त हो जायेगा और मजदूरों के हितों की रक्षा हो सकेगी ।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर—चक्रलेखन क प्रश्न पर आती हूं । अमरीका में चक्रलेखन जो नये यंत्र बनाये गये हैं, उनके संबंध में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन यह बात मैं निश्चयपूर्वक कह सकती हूं कि प्रत्येक छोटा-बड़ा राजनीतिक, व्यावसायिक अथवा सामाजिक संगठन जिस चक्रलेखन यंत्र का प्रयोग करता है वह दूसरे ही ढंग से काम में लाया जाता है—क्योंकि वह सस्ता होता है और उन पर हम सहज ही में प्रतिलिपियां निकाल सकते हैं तथा वह आसानी से मिल भी जाता है । अगर आप कई कई हजार प्रतियों की बिक्री वालो बड़े समाचार पत्रों और इन छोटे-छोटे चक्रलेखन यंत्रों पर एक ही मापदण्ड लागू करेंगे तो, मेरे विचार से, आप विभिन्न संगठनों के विकास में ही नहीं वरन उनके प्रचार-कार्य और यहाँ तक कि उनके दैनिक कार्य क्रम में भी बाधक सिद्ध होंगे । इस लिए मैं इस बात पर आग्रह करुँगी कि इन चक्रलेखन-यंत्रों के यंत्रीपन की बात इसमें सम्मिलित न की जाय क्योंकि में समझती हूं कि वास्तव में जनमत को ढालने वाले बड़े एकाधिकारी और व्यावसायिक संस्थान अपने प्रचार कार्य में इन यंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे ।

चक्रलेखन के प्रश्न को समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहती हूं कि 'समाचार-पत्र शब्द की परिभाषा इतनी व्यापक बना दी गयी है कि इसमें पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के पत्रादि आ जाते हैं । इस संबंध में मैं फिर यही कहूंगी कि यह बात अनेक संगठनों और संस्थाओं के साधारण कार्य कलाप में बाधक सिद्ध होंगी ।

यह प्रश्न भी है कि १९वीं धारा के अंतर्गत जो विवरण मांगा गया है उसे देने में क्या कुछ बड़े प्रैसों ने कुछ आपत्ति की है ? यहां मैं श्री सिंह की इस बात से सहमत हूं कि यह सूचना देना उनके लिए आवश्यक है क्यों कि मैं यह अनुभव कर रही हूं कि जब कि समवाद-विधेयक के अनुसार बड़ी-बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं को कहीं अधिक सूचनायें देने के लिए कहा जा सकता है तो इन्हें भी यह सूचना देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए । मेरा विश्वास है कि खुले रूप में तथ्यों का विवरण प्रस्तुत कर के जनमत तैयार करना आवश्यक है और केवल इसी प्रकार हम एक स्वस्थ प्रैस की स्थापना कर सकते हैं ।

मुझे यह अनुभव हो रहा है कि इस विधेयक में कुछ आवश्यक बातें हैं और मैं मंत्री महोदय से फिर जोर दे कर कहना चाहती हूं कि वह बड़े-बड़े एकाधिकारी और व्यावसायिक समाचार-पत्रों और छोटे-छोटे राजनीतिक, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक संगठनों के समाचार-पत्रों में भेद करें । इन छोटे पत्रों को अनेक वित्तीय- कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यदि इस विधेयक की प्रत्येक धारा उनके ऊपर लागू की गयी तो वे बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़) : मुझे प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक से संतोष नहीं हुआ है । मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एकीकृत अधिनियम होना चाहिये जिसके द्वारा प्रश्न से सम्बन्धित सभी विषयों का विधियमन हो सके ।

समाचार-पत्रों का पंजीयन केवल इसी उद्देश्य से किया जाता है कि समाचार-पत्र का प्रकाशक, पोस्ट मास्टर जनरल की अनुमति ले कर समस्त भारत में अपने समाचार-पत्र की प्रति एक पैसे के टिकट के द्वारा भेज सके । मैं चाहता हूं कि पोस्ट मास्टर जनरल की अनुमति की व्यवस्था हटा करके ऐसा

क्यों नहीं कर दिया जाता कि प्रत्येक पंजीबद्ध समाचार-पत्र को बिना अनुमति के ही एक पैसे के टिकट द्वारा भेजने का अधिकार मिल जाय ।

डा० लंका सन्दरम् : परन्तु अब यह नियम है कि जब तक ५० ग्राहक न होंगे, यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं भी इस नियम को जानता हूं । परन्तु कठिनाई यह है कि पोस्ट मास्टर जनरल ५० अथवा २०० ग्राहक होने पर भी अनुमति नहीं देते । इस प्रकार के कई मुकदमे भी उच्च न्यायालयों में प्रस्तुत हैं । अप्रैल, १९३७ में भारत से अलग होने पर बर्मा ने यही व्यवस्था की थी कि पंजीबद्ध समाचार-पत्र एक पैसे के डाक टिकट द्वारा ही भेजे जा सकें । इसलिये हमें भी इसी प्रकार का उपबन्ध रखना चाहिये ।

मैं उन समाचार पत्रों, जो कि केवल दूसरों का अपमान करने के लिए प्रकाशित होते हैं, के लिय बनाये गये उपबन्ध से पूर्णतया सहमत हूं ।

मैं इस उपबन्ध से असहमत हूं कि यह प्रतिज्ञान वहीं के एक दंडाधिकारी के समक्ष किया जायेगा । मेरे विचार से यह प्रतिज्ञान किसी भी शपथ आयुक्त के सम्मुख होनी चाहिये । क्योंकि दंडाधिकारी कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं इसलिये वह प्रतिज्ञान से पूर्व समस्त प्रकार की जांच करेंगे जैसे कि आप उस स्थान पर रहते हैं अथवा नहीं तथा पुलिस का प्रतिवेदन मंगावेंगे जिससे कई अड़चनें होंगी । इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रतिज्ञान किसी भी शपथ आयुक्त के समक्ष होना चाहिये ।

खण्ड ६ क नियम (२क) में यह उपबंध किया गया है कि प्रतिज्ञान-पत्र में अमुक-अमुक विवरण का होना जरूरी है । मैं समझ नहीं सका कि समाचार पत्र के नाम, भाषा आदि के अतिरिक्त अन्य क्या बातें हो सकती हैं । मेरे विचार से इस नियम के द्वारा हम प्रैस की उस थोड़ी स्वतंत्रता को भी छीन लेना चाहते हैं जो कि उसको मिली हुई हैं ।

इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि समाचार-पत्र के सावधिक अंकों की निर्धारित संख्या में से आधे अंक भी प्रकाशित न हों तो पुराना प्रतिज्ञान-पत्र समाप्त हो जायगा । जब यह उपबन्ध है तो फिर यह एक अड़चन क्यों उपस्थित की गई है कि स्थान तथा कार्यालय परिवर्तिन करते समय दुबारा प्रनिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करना होगा । मेरे विचार से यह अनावश्यक है क्योंकि किराये के मकान को मकान मालिक खाली करा सकता है । यदि मेरा यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाये कि दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिज्ञान नहीं होना चाहिये तथा शपथ आयुक्त को इसका अधिकार होना चाहिये, तो स्थान बदलने की दिशा में नया प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।

खण्ड ७ में प्रेस अधिनियम की धारा ६ का संशोधन किया गया है जिसके अनुसार एक दंडाधिकारी समाचार-पत्र निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक उसको यह संतोष नहीं हो जायेगा कि उस नाम का कोई समाचार पत्र तो प्रकाशित नहीं हो रहा है । मेरा विचार है कि हमें इस प्रकार का अधिकार न देकर प्रत्युत समाचार-पत्र प्रकाशित करने वाले व्यक्ति पर ही इसका उत्तरदायित्व डाल देना चाहिये कि वह ऐसा प्रतिज्ञान पत्र हस्ताक्षरित करें कि राज्य में इस नाम का कोई अन्य समाचार पत्र नहीं है । दंडाधिकारी जांच के बहाने उसके प्रकाशन को लम्बित कर सकता है । चुनाव के दिनों में विभिन्न राजनैतिक दलों को इससे अपने प्रचार में कठिनाई हो सकती है ।

धारा १९० के द्वारा भी प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गईहै । मेरे विचार से दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिज्ञान ही पर्याप्त है । इसलिये मेरा विचार है कि हमें इन उपबन्धों के द्वारा प्रेस

[श्री य० एम० त्रिवेदी]

की स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिये । अन्यथा मैं इस विधेयक से सहमत हूं ।

डा० केसकर : इसके पूर्व कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों पर विचार प्रकट करूं, मैं देखता हूं कि सर्वाधिक सदस्य विधेयक में वर्णित साधारण सिद्धान्तों से सहमत है । मैं फिर कहता हूं कि विधेयक का उद्देश्य प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करना है और यह केवल पहले पूर्ण किये गये कर्त्तव्यों को बढ़ाना और सुनिश्चित करना है । विभिन्न राज्यों में उनकी पूर्ति विभिन्न तथा असंबद्ध ढंग से होती थी, और प्रेस आयोग ने सुझाव दिया है कि कर्त्तव्यपूर्ति और अधिक नियमित ढंग से, विधिपूर्वक तथा एक केन्द्रीय आधार पर होनी चाहिये । विधेयक में मुख्यतः यही प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ।

इसके पूर्व कि मैं खंडों की की गई आलोचना का उत्तर दूं, मैं आरम्भ में ही एक भ्रम का, जिसकी पुनरावृत्ति अनेक माननीय सदस्यों ने की है, स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । इसका संबंध चक्रलिखित (साइक्लोस्टाइल किये हुए) तथा शिला मुद्रित पत्रों से है कि विधेयक खंड ४ में, मुख्य अधिनियम की धारा १ में, "पुस्तक" की परिभाषा से "अथवा शिलामुद्रित" शब्दों को निकाला जाये । अनेक सदस्यों ने इसे गलत समझा है ।

सर्वप्रथम, यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिये कि प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, संशोधित रूप में भी, खेल प्रकाशित पुस्तकों पर लागू होगा —अर्थात् उन पुस्तकों पर जो कि सार्वजनिक विक्रय तथा सार्वजनिक परिचालन के लिए प्रकाशित की जाती हैं । यह ऐसी किसी भी वस्तु पर लागू नहीं होता जो निजी परिचालन के लिए प्रकाशित होती हैं चाहे वह पर्ची हो या पुस्तिका या दल का परिपत्र; यह उन पर लागू नहीं होता । अतः यदि आप निजी परिचालन के लिए बड़ा ग्रंथ भी प्रकाशित करते हैं तो भी यह उस पर लागू नहीं होता ।

डा० लंका सुन्दरम् : उस पर कोई मूल्य नहीं होना चाहिए ।

डा० केसकर : जी हां । इसका सार्वजनिक रूप से विक्रय नहीं होना चाहिये । यदि यह निजी रूप से परिचालित की जाती है तो यह लागू नहीं होगा । यह केवल उस पर्ची अथवा पुस्तिका पर मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम मुद्रित किये जाने के प्रयोजन के लिये लागू होगा । जहां तक पर्ची अथवा पुस्तिका के प्रकाशन का संबंध है, दायित्व केवल यह मुद्रित करने का है कि यह किसने मुद्रित की है और कौन प्रकाशन कर रहा है । और कोई दायित्व नहीं है; आंकड़े संकलित करने या उस पुस्तक के बारे में और विवरण देने का कोई प्रश्न नहीं है । वह ऐसी पर्चियों, आदि के मुद्रकों पर नहीं अपितु समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं पर पड़ता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : प्रत्येक साइक्लोस्टायल मशीन के लिए भी प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

डा० केसकर : इसके लिए प्रतिज्ञान-पत्र की आवश्यकता नहीं है । यदि आप क्रमशून्य ढंग से 'साइक्लोस्टायल' करते हैं तो प्रतिज्ञान की आवश्यकता नहीं है । परन्तु यदि आप इस मशीन का या 'लिथो' मशीन को नियमित रूप से मुद्रणालय के रूप में प्रयोग करते हैं, तो स्वभावतः आपको प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा । परन्तु माननीय सदस्यों को इस बात का कोई भय नहीं होना चाहिए कि दल की पर्चियां ,जो मुद्रित होती हैं या 'साइक्लोस्टायल' होती हैं या शिला-मुद्रित होती हैं, इसके अधीन होंगी । यदि आप प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम को, संशोधन सहित, ध्यानपूर्वक पढ़ें तो भय की कोई आवश्यकता नहीं है । यह प्रेस आयोग की स्पष्ट सिफारिश पर, जिसने अपने प्रतिवेदन के १०३३वें पैरा में इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया है, जोड़ा गया है । उन्होंने कहा है :—

"यदि कोई शंका हो तो उसका निवारण 'समाचार पत्र' की परिभाषा

के उपरान्त निम्न परिभाषा जोड़ कर किया जा सकेगा, अर्थात्

"पत्र में, पुस्तक के अतिरिक्त, प्रत्येक मुद्रित लेख सम्मिलित है, तथा मुद्रण में साइक्लोस्टायल करना और शिला-मुद्रण सम्मिलित है ।"

इसे जोड़ने में स्वयं हमें कोई अधिक रुचि नहीं है । इसे जोड़ने पर सहमत होने के पूर्व हमने इस पर समस्त दृष्टियों से विचार विमर्श और विचार किया था । मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि हम नियमों में कुछ बातों का, जैसे निमन्त्रण तथा कुछ अन्य बातों का, अपवाद करना चाहते हैं ताकि वे इन खंडों अथवा उप-खंडों के क्षेत्र में न आयें । अतः, मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों और मुख्यकर विरोधी दलों को इस बात का कोई भय न होगा कि दल के प्रचार के लिए किया गया कोई कार्य—यदि कोई पर्चियां मुद्रित तथा प्रकाशित होती हैं—विपरीत रूप प्रभावित होगा । यदि उनका प्रकाशन करके विक्रय किया जाता है, तो अन्त में यह लिखना चाहिए : किसने इसे मुद्रित तथा प्रकाशित किया है । मैं नहीं समझता कि इसमें उन्हें कोई आपत्ति है । कुछ भी हो वे अनामक रचनाओं का क्रय नहीं करते है । मैं समझता हूं कि वे इसे मानने को सर्वथा तैयार हैं । वे ही इसका मुद्रण और प्रकाशन करते हैं और मैं नहीं समझता कि प्रस्तावित खंड अथवा संशोधन में कोई बात गलत अथवा अनुचित है । प्रेस आयोग ने स्वयं इस मामले के समस्त पहलुओं पर विचार किया है और इस प्रश्न के बारे में एक स्पष्ट सिफारिश की है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या नियम सभा में प्रस्तुत किये जायेंगे ?

डा० केसकर : मैं ने एक संशोधन की सूचना दी है कि नियम इस सभा के समक्ष रखे जायेंगे . . . .

श्री राघवैया (ओंगोल) : . . . . और उन पर विचार विमर्श भी होगा तथा संशोधन भी ।

डा० केसकर : अधिनियम क विभिन्न उपबन्धों के बारे में अनेक प्रश्न किये गये हैं तथा अनेक माननीय सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है कि यद्यपि विधेयक अमहत्त्वपूर्ण माना जाता है, फिर भी यह बहुत महत्त्वपूर्ण है । जब मैं कहता हूं कि यह अमहत्त्वपूर्ण है, तो मैं कहता हूं कि यह प्रक्रियात्मक बात है । हो सकता है कि परिणाम इस दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हों कि प्रेस तथा पत्रिका संबंधी सारे आंकड़ों व तथ्यों का समन्वय निश्चय ही एक महत्त्वपूर्ण बात होगी क्योंकि ये आंकड़े और यह सांख्यकी प्रामाणिक रूप में पहिली बार उपलब्ध होगी। परन्तु, अन्यथा मैं नहीं समझता कि यह कोई आमूल अथवा क्रान्तिकारी बात करेगा । कोई नई बात नहीं है । कुछ कार्य पहिले से ही किया जा रहा है यद्यपि अक्रमिक रूप में हो रहा है । उस व्यवस्था में हमने जो दोष पाये हैं उनका इस विधेयक से निराकरण हो गया है । बस यही बात है; इससे अधिक और कुछ नहीं है ।

डा० लंका सुन्दरम् ने एक दो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाये थे, उन्हीं प्रश्नों को कुछ अन्य सदस्यों ने भी दुहराया है । हमें पहिले समाचार एजेन्सियों का प्रश्न लेना चाहिये । इस अधिनियम को समाचार एजेन्सियों पर लागू करना संभव नहीं है । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सरकार समाचार एजेन्सियों के तथ्य तथा आंकड़ों का संग्रह नहीं करना चाहती है । किन्तु यह विशेष अधिनियम इन पर लागू नहीं हो सकता है । उन्हें इस परिभाषा के अन्तर्गत लाना संभव नहीं है । यह कार्य हम औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक में करना चाहते हैं । उसमें सरकार को यह प्राधिकार ह कि वह सारे उद्योगों को केन्द्रीय सरकार के अधिकार के अन्दर ले आये तब हम इसे समाचार एजेन्सियों में भी उसी प्रकार लागू कर देंगे

[डा० केसकर]

जिस प्रकार कि अब हम इसे पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों पर लागू कर रहे हैं। लेकिन इस समय वैधानिक रूप से मेरे लिये इसे ले लेना संभव न होगा। हम इसे शीघ्रातिशीघ्र करना चाहते हैं। इसलिये उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये कि समाचार एजेंसियों को जानबूझ कर अलग नहीं रखा गया है।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या वे समाचार सिन्डिकेटों को भी समाचार एजेंसियों के साथ सम्मिलित करेंगे ?

डा० केसकर : मेरे विचार से वे भी समाचार एजेन्सियों की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं।

डा० लंका सुन्दरम् : माननीय मंत्री जी वह विधान कब तक लायेंगे ?

डा० केसकर : सभा के सम्मुख यह बहुत शीघ्र ही लाया जायेगा।

उन्होंने जो दूसरा प्रश्न उठाया था वह आंकड़ों से संबंध रखने वाली कई महत्त्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में था जो कि इसमें सम्मिलित नहीं की गई हैं। उन्होंने परीक्षित लेखे, कर्मचारियों की संख्या, बिक्री का विवरण, विज्ञापन की आय इत्यादि के आँकड़ों की ओर निर्देश किया है। उन्होंने कई अन्य बातों का भी उल्लेख किया है। यदि वह विधेयक को ध्यानपूर्वक देखें तो उन्हें पता चलेगा कि इन सभी विवरणों को इसमें सम्मिलित करना सम्भव नहीं है किन्तु प्रतिज्ञान से सम्बन्धित सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार ले लिया गया है। उदाहरणार्थ, उन्हें अधिकार देने वाले नियम में यह लिखा मिलेगा :—

> "वह विवरण विदित होंगे जो कि किसी समाचारपत्र के प्रकाशक को, इस पंजीयक को भेजे जाने वाले वार्षिक विवरण में देने होंगे।"

जो बातें आज कही गयी हैं वे बहुत लाभदायक हैं तथा मैं उन पर अवश्य विचार करूंगा। मुझे उनका अध्ययन करने का समय नहीं मिला। उन्हें इस बात का विश्वास रखना चाहिये कि जो कि विवरण तथा तथ्य आवश्यक होंगे वे नियमों में रख दिये जायेंगे तथा उन्हें समाचार पत्रों से प्राप्त किया जा सकेगा।

उन्हें यह भी ज्ञात होगा कि पंजीयन के समय 'कोई भी विवरण जो विदित किया जाये' प्राप्त किया जा सकता है। यदि तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ बातें लाभदायक समझी जायेंगी तो हम उन्हें यहां रख सकते हैं। उन्होंने परीक्षित लेखे के प्रस्तुत किये जाने का जिक्र किया है। किन्तु मैं इसके प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में संदिग्ध हूं। मान लीजिये उससे उसके लेखे को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कहा जाता है उसका तात्पर्य परीक्षित लेखे से है। जहां तक वित्तीय विवरण का सम्बन्ध है माननीय मित्र को ज्ञात होगा कि इस समय केन्द्रीय सरकार को इसे मांगने तथा किसी भी उद्योग के किसी अन्य विवरण को मांगने का अधिकार नहीं है। इसके लिये हमें अधिकार लेना पड़ता है तभी हम ऐसा कर सकते हैं। हम अवश्य ऐसा करेंगे मैं उनसे इस बात में सहमत हूं कि प्रेस परिषद को ऐसे तथ्य चाहिये अन्यथा प्रभावशाली रूप से कार्य करना सम्भव न हो सकेगा। यह स्पष्ट है कि इस का महत्त्व असंदिग्ध है। सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि समचार पत्रों के उचित रीति से कार्य करने के लिये उनके यथार्थ तथ्य तथा आंकड़े प्राप्त करना आवश्यक है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं, समाचार-पत्र जनमत की अभिव्यक्ति के साधन हैं तथा वे प्रत्येक विषय तथा वस्तु का पता लगाने का दावा करते हैं तथा साथ ही उन्हें भी इस बात के लिये तत्पर रहना चाहिये कि उनके कार्य की भी खोज की जा सके भले ही उनके मत की खोज न की जाये। उन्हें इसे एक उचित प्रस्थापना समझना चाहिये।

बहुत से सदस्यों ने एक व्यापक विधेयक के सभा में न लाये जाने पर सवाल उठाया है। मेरा निवेदन है कि प्रेस आयोग की सभी सिफारिशों से सम्बन्धित एक व्यापक विधेयक इतना विशाल तथा जटिल होगा कि वह उतना ही समय ले सकता है जितना कि समवाय विधेयक ने लिया था। क्योंकि विषय विभिन्न प्रकार के हैं अतः मेरे विचार मे ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा और न ही इससे कार्य में शीघ्रता होगी। मेरी सम्मति में विषयों को पृथक-पृथक लेने पर तथा विभिन्न वर्गों को लेने पर शीघ्रता से कार्य होगा। जहां तक कुछ महत्वपूर्ण बातों का सम्बन्ध है, मैं सभा को बतला दूं कि श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा-शर्तों वाला विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है, जहां कि वह एक सप्ताह के अन्दर ही विचारार्थ ले लिया जायेगा। जहां तक पृष्ठों के अनुसार मूल्य का सम्बन्ध है सभा के सम्मुख विधान शीघ्र ही आ रहा है। प्रेस परिषद् की भी यही स्थिति है। इसलिये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि व्यापक विधेयक के न होने पर इन मामलों से निपटन में ढील हो रही है अथवा हम शीघ्रता करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।

जहां तक पत्र पत्रिकाओं का सम्बन्ध है माननीय सदस्य यह जानते हैं कुछ भाषाओं के सभी समाचार पत्र शिलामुद्रण के द्वारा प्रकाशित होते हैं। उदाहरणार्थ, उर्दू पत्र सारे शिलामुद्रण के द्वारा प्रकाशित होते हैं। इस लिये समाचारपत्र तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन में यह महत्वपूर्ण बात है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी ने यह शिकायत की है कि समाचार-पत्रों को डाक-सम्बन्धी रियायतें नहीं दी जा रही हैं और इस मामल को किसी न किसी बहाने स विलम्बित किया जा रहा है। सम्भवतः माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि जहां तक डाक सम्बन्धी रियायतों का सम्बन्ध है, किसी भी 'समाचार-पत्र के लिये केवल वैधानिक रूप से पंजीबद्ध होना तथा ऐसा घोषित करना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे तो कई अन्य शर्तों को भी पूर्ण करना होत है, जिनमें से एक यह है कि वह पत्र प्रमुख रूप से समाचारों को ही प्रकाशित करता है न कि कहानियों, उपन्यासों अथवा पहली प्रतियोगिताओं को। उदाहरणार्थ, किसी भी समाचार पत्र को डाक सम्बन्धी रियायत देने से पूर्व यह देखना आवश्यक है कि उसमें कम से कम ४५ प्रतिशत समाचार हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। इसीलिये कई बार निर्णय करने में देर लग जाती है। आपको ज्ञात है कि प्रेस आयोग ने यह सिफारिश दी थी कि समाचारों की यह प्रतिशतता और भी बढ़ा दी जाये।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : क्या एक यह शर्त भी है कि उस पत्र की प्रतियां कम से कम एक विशेष संख्या तक डाक द्वारा अवश्य भेजी जायें ?

डा० केसकर : जी हां, एक यह शर्त भी है। अतः डाक प्राधिकारियों की किसी विशेष पत्रिका को रियायत न देने के लिये अनुचित आलोचना करने से पूर्व इस बात को सदा ध्यान में रखा जाये।

एक यह शिकायत भी की गई है कि दण्ड बहुत अधिक निर्धारित किया गया है। श्री डी० सी० शर्मा ने इस भारी दण्ड का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है और यह भविष्यवाणी की है कि इस से प्रेस को क्षति पहुंचेगी। मैं उनकी आशंकाओं से सहमत नहीं हूं। अधिकतम दण्ड के उपबन्ध होने का यह अर्थ नहीं कि उतना दण्ड अवश्य ही दिया जाये। हो सकता है कि केवल एक रुपया जुर्माना किया जाये। यह तो अपराध के रूप पर निर्भर करता है और मुझे विश्वास है कि दण्ड देने वाले प्राधिकारी इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। जब तक हम कोई दण्ड लागू न करेंगे, तब तक हम प्रामाणिक तथ्य तथा आंकड़े प्राप्त करन की आशा नहीं कर सकते। यदि कोई दण्ड

[डा० केसकर]

न लगाया गया तो तथ्यों को पूर्ण रूपेण उपेक्षित किया जाता रहेगा, और हम इस दिशा में राई भर भी प्रगति न कर सकेंगे। दण्ड लगाये बिना हम वांछित उद्देश्य न प्राप्त कर सकेंगे। निस्सन्देह यह सत्य है कि कुछ एक पत्र, और विशेषतः व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र के पत्र ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ऐसे तथ्य तथा आंकड़े दिये जायें जिन्हें वे जनता के सामने रखना अपने लिये हितकर नहीं समझते। इसीलिये हम चाहते हैं कि ये तथ्य और आंकड़े जनता के सामने रखे जायें और जनता उनके स्रोतों अथवा उद्देश्यों को जाने जो उन्हें किसी पत्र या पत्रिका को किसी विशेष प्रकार से प्रकाशित करने के लिये प्रेरित करते हैं। वे अपनी राय जनता के सम्मुख स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त करें, मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे विश्वास है कि सदस्यगण मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि यह एक महान् कल्याणकारी उपबन्ध है और इसके बिना तो विधेयक अक्रियाकारी सिद्ध होगा।

श्री टी० एन० सिंह ने यह सुझाव दिया था कि समाचार पत्रों को इस बात के लिये बाध्य किया जाये, कि वे जनता को बतायें कि उनकी कुल बिक्री कितनी है। मैं समझता हूं कि वे अपनी संख्या प्रकाशित करते हैं; वह संख्या सत्य है अथवा झूठ—इसका निर्णय करना कठिन है। हो सकता है, कि कुछ पत्रों के बारे में यह संख्या सत्य हो, और कुछ के बारे में गलत हो।

डा० लका सुन्दरम् : क्या आप किसी भी पत्र की संख्या की जांच कर सकते हैं ? क्या आप किसी भी उपबन्ध के अधीन ऐसा कर सकते हैं ?

डा० केसकर : नहीं, इस समय तो नहीं। विधेयक के पारित होने के उपरान्त हम ऐसा कर सकेंगे। यदि ऐसा समझा गया कि कोई संख्या गलत है तो उस समय उसकी जांच करने का अधिकार निश्चय ही हमारे पास होगा। पंजीयक (रजिस्ट्रार) के पास उसकी जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी विधि में यह बात विस्तार-पूर्वक लिखना बड़ा कठिन है कि कोई उपबन्ध किस प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा। ऐसे मामलों में तो हमें निरन्तर संशोधन करने ही पड़ेंगे।

समाचार-पत्र उद्योग के वित्तीय विवरणों तथा आंकड़ों पर केवल उसी समय सुचारु रूप से नियंत्रण रखा जा सकेगा, जब कि केन्द्रीय सरकार उद्योगों पर नियंत्रण रखने का अधिकार प्राप्त कर लेगी, और जैसा मैं ने कहा है यह बात विचाराधीन है और शीघ्र ही सभा के सम्मुख रखी जायेगी। मुझे आशा है कि यह हो जाने के बाद इस दिशा में अधिक नियंत्रण रखा जा सकेगा। माननीय सदस्य इस बात का विश्वास रखें कि यह अवश्य होगा।

जहां तक रखे गये संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि वे इतने महत्वपूर्ण हैं। जहां तक अन्य संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं उन पर उस समय बोलूंगा जब कि वे प्रस्तुत किये जायेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रतिज्ञान-पत्र के सम्बन्ध में मैं ने जो प्रश्न किया था माननीय मंत्री ने उस पर कुछ नहीं कहा है। अब जो संशोधन प्रस्थापित किए जा रहे हैं उन से प्रतिज्ञान-पत्र में और भी कठोरता आ जाएगी। हमें यह बात समझ में नहीं आती कि उन्हें पुरःस्थापित क्यों किया जा रहा है ?

डा० केसकर : मेरी समझ में यह नहीं आया कि प्रतिज्ञान-पत्र में कठोरता कहां आती है। क्या माननीय सदस्य का संकेत इस उपबन्ध की ओर है कि निवास-स्थान अथवा नगर में ज्यों ही कोई परिवर्तन हो त्यों ही एक नया प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ?

श्रीमती रेंणु चक्रवर्ती : जी नहीं । उपबन्ध यह है कि यदि समाचार-पत्र आदि छः सप्ताह के भीतर और कुछ मामलों में तीन महीने के भीतर प्रकाशित न हों तो तुरंत ही अपने आप वह प्रतिज्ञान-पत्र व्ययगत हो जाएगा । यह आवश्यक क्यों है ?

डा० केसकर : यह उपबन्ध बहुत ही अधिक युक्तियुक्त है । संभवतः माननीय सदस्या के ध्यान में एक या दो विशेष मामले हैं। हमारा आम तजुर्बा यह है कि बहुत से पत्र बल्कि व्यक्ति प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत कर देते हैं और वह पत्र कभी भी प्रकाशित नहीं करते या तीन महीनों में एक बार पत्र निकालते हैं । कई बार वह एक ही अंक छापते हैं और फिर महीनों तक और अंक नहीं निकालते । ऐसे कई एक हास्यास्पद मामले हुए हैं और ऐसी एक या दो बातों की श्री यू० एम० त्रिवेदी ने चर्चा की थी । मेरे विचार में यह ऐसा उपबन्ध है जिसका बहुत ही स्वागत किया जाना चाहिए मेरा विचार है कि इसमें कठोरता नाम को भी नहीं है । यदि कोई पत्र प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करने के बाद तीन महीने के भीतर पत्र प्रकाशित नहीं करता तो मैं नहीं समझता कि उसके प्रतिज्ञान-पत्र देने में कोई औचित्य है । माननीय सदस्य ने कहा था कि ऐसे कुछ व्यक्ति जो आवश्यक वित्तीय साधन न जुटा सकें उन के लिए यह प्रतिबन्ध बहुत ही कठोर होगा तो ऐसे व्यक्ति जो एक नया पत्र निकालना चाहते हों, जब उन्हें यह विश्वास हो जाए कि उनके पास वित्त है वह तब प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । जब आपको यही विश्वास नहीं कि आप पत्र निकाल सकते हैं तब प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही क्या है ? मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्रतिज्ञान-पत्र कठोर किस प्रकार है । मैं माननीय सदस्य से यह समझना चाहूंगा कि उसके विचार में इसमें कठोरता कहां है ?

श्री के० के० बसु : वर्तमान विधि-प्रणाली में जो प्रशासनीय कठिनाई अनुभव की गई है और जिसके कारण यह प्रतिबन्ध आवश्यक है, वह क्या है ? इसे स्पष्ट करना चाहिए ।

डा० केसकर : इसके दो पहलू हैं । पहला तो उस व्यक्ति के बारे में है जो प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करता है और पत्र प्रकाशित नहीं करता । इस स्थिति में वह एक गलत और झूठा प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत करता है। दूसरा पहलू यह है कि ऐसे बहुत से पत्र हैं जो यह दावा करते हैं कि वह दैनिक अथवा साप्ताहिक होंगे । वह जनता से चन्दा ले चुके हैं । लेकिन उन्होंने अपना पत्र नहीं निकाला है । ऐसे पत्र जो सप्ताह में केवल एक बार प्रकाशित किए गए हैं उनके दैनिक पत्र होने का दावा किया गया है । इस दृष्टिकोण से मेरे विचार में जब आप प्रतिज्ञान पत्र प्रस्तुत करते हैं और कुछ दिनों तक पत्र निकालते हैं और बाद में उसे प्रकाशित नहीं करते तो यह जनता को धोखा देना हैं । मेरे विचार में यह प्रतिबन्ध इतना स्पष्ट और इतना औचित्य है कि मैं नहीं समझता कि यह किसी प्रकार भी एक कठोर प्रतिबन्ध है । मान लीजिये यदि कोई माननीय सदस्य, वह पुरुष हो या महिला, एक पत्र निकालना चाहे तो वह प्रतिज्ञान-पत्र दे सकता है । प्रतिज्ञान-पत्र देने से आसान बात और कोई दूसरी नहीं है । मुझे मालूम नहीं कि वह किस प्रकार एक प्रतिज्ञान-पत्र देने, एक और प्रतिज्ञान-पत्र देने, से रोके जा सकते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि प्रतिज्ञान-पत्र दिए जाने के बाद पत्र प्रकाशित नहीं होता तो मुझे इसमें कोई कठिनाई नजर नहीं आती । एक और प्रतिज्ञान-पत्र की क्या आवश्यकता है ? यदि पत्र छपता है तो ठीक है । लेकिन यदि कोई व्यक्ति पत्र नहीं निकाल सकता तब भी ठीक है, वह नहीं छपता है ।

डा० केसकर : यह एक सीधा सादा प्रतिज्ञान-पत्र है । यह निरर्थक प्रकार का नहीं है। आप प्रतिज्ञान-पत्र को यह कह कर अनिश्चित समय तक लम्बित नहीं रख सकते कि मैं पत्र

[डा० कसकर]

निकालने जा रहा हूं और फिर भी उसे न निकालें । मेरे विचार में प्रतिज्ञान-पत्र को अनिश्चित समय के लिए लम्बित रखना एक व्यावहारिक प्रस्थापना नहीं है । परन्तु इस से किसी व्यक्ति पर जितनी बार भी वह चाहे एक प्रतिज्ञान-पत्र देकर पत्र निकालने के लिए कोई रुकावट नहीं होती ह । यह कार्य-वाही इतनी सरल है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है । वास्तव में उन में से सैंकड़ों लम्बित हैं और पत्र निकाले नहीं गए हैं । इसलिए इससे माननीया सदस्या के लिए किस प्रकार कठिनाई उत्पन्न होती है, यह मुझे मालूम नहीं । मैं यह जानना चाहूंगा कि एक नए प्रतिज्ञान-पत्र से किस प्रकार कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं ?

सभापति महोदय : कई प्रश्न पूछे गए हैं और उनका उत्तर दे दिया गया है और उन पर वाद-विवाद हुआ है यद्यपि यह प्रश्न काल नहीं ह । अभी बहुत से संशोधन विचारार्थ शेष हैं । संशोधन रखे जा रहे हैं और अभी तीसरा वाचन भी होगा । इसलिए मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नागरिकता विधेयक

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं भारतीय नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं ।

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन संशोधन विधेयक—जारी

खंड २ से १५

सभापति महोदय : खंड २ से १५ के लिए मुझे कोई संशोधन नहीं मिला है । मैं खंड २ से १५ को सदन के सम्मुख मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : हमें इन खंडों पर कुछ कहना है । क्या आपका आदेश यह है कि इन पर इकट्ठे ही विचार किया जाएगा या हम अलग-अलग खंडों पर भी विचार कर सकते हैं ?

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष खंड के सम्बन्ध में कोई विशेष बात कहनी हो तो मैं उन्हें इसकी अनुमति दे दूंगा ।

श्री साधन गुप्त : मैं खंड ३ और ६ पर कुछ कहना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : हां ।

श्री साधन गुप्त : जहां तक खंड ३ का सम्बन्ध है, मुझे परिभाषाओं के बारे में—विशेष रूप से अन्तिम दो परिभाषाओं के बारे में—कुछ आशंकाएं हैं । 'पत्र' (पेपर) की परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि 'पत्र' (पेपर) की परिभाषा यहां क्यों रखी गई है ।

दूसरी बात मुद्रण के बारे में है । उस परिभाषा से तो और भी अधिक आशंकाएं उठती हैं । यह कहा जाता है कि आजकल बहुत बड़ी संख्या में 'साइक्लोस्टायल' करने वाली मशीनों का उपयोग किया जा रहा है । मेरा कहना यह है कि 'साइक्लोस्टायल करने वाली मशीनों का उपयोग गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है । उदाहरणार्थ, बहुत से कार्मिक संघ बुलेटिन निकालते हैं—उनमें से कुछ सावधिक बुलेटिन निकालते हैं—और इन बुलेटिनों में समाचार आदि रहते हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि यदि

'साइक्लोस्टायल' करने वाली मशीनों का दुरुपयोग किया जाये तब तो हम ऐसा कोई उपबन्ध कर सकते हैं। परन्तु जब तक ऐसी कोई कार्यवाही न हो तब तक हमें गैर-सरकारी संस्थाओं के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

खंड ६ के बारे में मेरा ख्याल यह है कि पुराने प्रतिज्ञान-पत्रों के रद्द होने और नये प्रतिज्ञान-पत्रों के दायर किये जाने से सम्बन्धित उपबन्ध समाचार-पत्रों के स्वस्थ विकास में बाधक सिद्ध होगा। हमारे जैसे देश में यह उपबन्ध रखना कि वित्त की व्यवस्था अधिक से अधिक ६ सप्ताह के अन्दर करनी होगी, ठीक नहीं होगा और इससे एक असम्भव स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

इसी आधार पर यह उपबन्ध भी उचित नहीं होगा कि तीन मास की कालावधि में प्रमुख संख्या में अंक निकालने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि वित्तीय संकट के कारण किसी पत्र के यथेष्ट संख्या में अंक न निकल सकें। इसलिये समाचार पत्रों के स्वस्थ विकास के हित में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री ने कहा कि दूसरा प्रतिज्ञान-पत्र दायर करने में कठिनाई ही क्या है। मैं नहीं जानता कि देश के इस भाग में हालत क्या है, परन्तु जहां तक मेरी तरफ के इलाके का सम्बन्ध है मैं जानता हूं कि वहां प्रतिज्ञान-पत्र देना कोई इतना सरल कार्य नहीं है। एक वकील होने के नाते मुझे ज्ञात है कि बहुत से मामलों में जब समाचार पत्रों ने प्रतिज्ञान-पत्र देना चाहा तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा जांच की जाने का आदेश दिया। महीनों बाद प्रतिज्ञान-पत्र दिया गया। तो जब इस कार्य में ही महीनों लग गये और ६ सप्ताह की कालावधि के भीतर ही वित्त की व्यवस्था न हुई तो उसे दूसरा पत्र निकालने के लिये फिर महीनों तक इंतजार करना होगा। आप कह सकते हैं कि इस दशा में उच्च न्यायालय से परमादेश लिया जा सकता है। परन्तु इसमें भी महीनों लग सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों की जाये जिससे कठिनाई हो ?

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि इन संशोधनों के लिये लगभग १ घंटा रखा जाये। ये सब संशोधन सामान्यतया खंड १६ से १८ तक के सम्बन्ध में हैं। खंड २ से १५ तक के सम्बन्ध में केई संशोधन नहीं है, यद्यपि उन पर अब चर्चा हो रही है। मैं किसी माननीय सदस्य को भाषण देने से रोक नहीं रहा हूं, परन्तु उन्हें यह ध्यान रखना चाहिये कि इन खंडों पर वे सामान्य चर्चा के रूप में बोल रहे हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे यह प्रयत्न करें कि कुछ समय उन संशोधनों पर चर्चा करने के लिये रखा जाये जो बाद में खंड १६ से १८ तक के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जायें। खड २ से १५ तक के विषय में उन्हें जो कुछ कहना है वे शीघ्रता से कह डालें।

श्री राघवैया : आप के सुझाव के अनुसार मैं केवल खड ४ पर ही बोलूंगा। परिभाषाओं के अनुसार "विहित" शब्द का अर्थ है केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित। सरकार ने इस का संशोधन प्रस्तुत किया है कि सब नियम बनाए जाने के उपरान्त संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखे जाएगे। नियमों का बनाना एक महत्वपूर्ण काम है। अतः सभा को उन नियमों की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए जो सरकार विधानों के लागू करने के लिए बनाती है। नियमों के बनाने में सरकार जैसा चाहे कर सकती है।

सभापति महोदय : क्या मैं माननीय सदस्य की बात में बाधा डाल सकता हूं ? खण्ड १५ तक कोई संशोधन नहीं है। मंत्री और श्री कामथ ने खण्ड १६ में संशोधन प्रस्तुत किये हैं। इस बात पर उस समय विचार किया जाएगा जब इन संशोधनों पर चर्चा होगी। यदि माननीय सदस्य खण्ड २ से १५ तक कुछ कहना चाहें, तो कहें।

श्री राघवैया : मैं खण्ड ४ के इसी संशोधन पर बोलूंगा ।

सभापति महोदय : अर्थात् खण्ड १८ पर ।

राघवैया : नहीं, मैं इसी प्रश्न पर कुछ सामान्य बातें कहूंगा ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य किस विषय पर बोलना चाहते हैं ? खण्ड १८ में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और इन नियमों को दोनों सदनों के सामने रखने के सुझाव भी हैं । श्री कामत का सुझाव है कि सदन उन पर विचार करे और रूपभेद करे आदि । माननीय सदस्य उस समय पर ही बोलें, जब हम खण्ड १८ पर विचार करेंगे ।

श्री राघवैया : मैं खण्ड ४ की परिभाषाओं पर बोलूंगा । "पत्र", "मुद्रण" और "विहित" आदि की परिभाषाएं सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार दी हैं ।

मुद्रण की परिभाषा साइक्लोस्टायल करना और शिला मुद्रण दी गई हैं । इस पर पर्याप्त कहा जा चुका है । साइक्लोस्टायल हुए लेखों पर प्रतिबन्ध लगाने के विषय पर सब सहमत हैं । अपने उत्तर में मंत्री जी ने भी यही कहा है कि कुछ दलों द्वारा निकाले गये साइक्लोस्टायल किए हुए पत्रों पर वह प्रतिबन्ध लागू नहीं है, जो समाचारपत्रों तथा अन्य प्रकाशनों पर लागू है । मंत्री जी का उत्तर यद्यपि सराहनीय है परन्तु उन्होंने कहा है कि ऐसे लेखों का समावेश किया जाएगा और जब नियम बनाए जाएंगे तो इस बात को ध्यान में रखा जाएगा । मैं मंत्री जी से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इन नियमों पर किसी भी सदन द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और विचार करते समय इन पर कोई संशोधन नहीं होंगे । इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे पत्रों का विधान में ही उल्लेख होना चाहिय ।

मैं चाहता हूं कि "पत्र" की परिभाषा भी अपने आप स्पष्ट होनी चाहिए । जो परिभाषा दी गई है वह अस्पष्ट है और सरकार नियम बनाते समय जो चाहे ला सकती है । अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री उस भावना को ध्यान में रखेंगे जिसमें मैं ने इन परिभाषाओं पर आलोचना की है और उन को संशोधित करने की चेष्टा करेंगे ।

डा० केसकर : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान प्रैस आयोग के प्रतिवेदन के ३९४, ३९५ और ३९६ पृष्ठों की ओर दिलाता हूं । इन पृष्ठों में आयोग ने न केवल इन परिभाषाओं का सुझाव देने के ही कारण दिए हैं, बल्कि इस बात के भी कारण दिए हैं कि ऐसा करना उन्हें क्यों आवश्यक प्रतीत हुआ । उन्होंने प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ ३९६ पर उदाहरण भी दिये हैं और इस बात का उल्लेख किया है कि उन पत्रों के संबंध में प्रतिज्ञान-पत्र निरर्थक हो जाने चाहिएं जिनके बारे में सम्बन्धित व्यक्ति प्रतिज्ञान-पत्र तो प्रस्तुत कर देते हैं, परन्तु उन्हें प्रकाशित नहीं करते, उन समाचार पत्रों के सम्बन्ध में सही आंकड़े देना कठिन हो जाता है, और राज्य सरकारों के सही आंकड़े देने में असफल रहने का एक कारण यह भी है कि बहुत से समाचार पत्र अपना प्रतिज्ञान-पत्र तो प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन कोई भी प्रति प्रकाशित नहीं करते । राज्य सरकारों के लिए उन सब पत्रों का ठीक ठीक पता रखना बड़ा कठिन सिद्ध हुआ है जो प्रकाशित होते हैं या जिन्होंने प्रतिज्ञान-पत्र प्रस्तुत कर दिया है और कोई प्रति प्रकाशित नहीं की या जिन्होंने प्रतिज्ञानपत्र प्रस्तुत कर दिया है, एक प्रति निकाली है और फिर कोई अंक नहीं प्रकाशित किया ।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक बात की ओर और दिलाना चाहता हूं । जैसा कि आयोग ने कहा है कि प्रैस और पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम, १८६७ के अनुसार 'पत्र' वही परिभाषा है जिस पर यह आपत्ति की गई

है; और इस पर आज भी अभियोग चलाया जा सकता है । परन्तु ऐसा हुआ नहीं है। जो सुझाव आज हम रख रहे हैं, उस पर आपत्ति प्रकट करने और सही और अपेक्षतया ठीक परिभाषा देने की चेष्टा करने के बजाए माननीय सदस्य हमारे ऊपर यह लांछन लगा रहे हैं कि हम अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषा देने जा रहे हैं । यह परिभाषा प्रैस आयोग ने पूरे पूरे कारणों के आधार पर दी है । यथार्थतः मैं ने कहा था कि अस्पष्टता को दूर करने के लिए हमारा सुझाव आमन्त्रण पत्रों, कार्डों आदि कुछ श्रेणियों को मुक्त करने के लिये नियम बनाने का है । यह अभी तक नहीं किया गया है यद्यपि वह व्यापक परिभाषा प्रैस और पुस्तकों के पंजीयन अधिनियम में विद्यमान है ।

अतः मुझे उस बात का समर्थन करने की आवश्यकता नहीं जो मैंने करने का विचार किया है ।

श्री ए० एम० थामस् : आक्षेप इसलिए किया गया था कि 'पत्र' शब्द विधेयक में नहीं है ।

डा० केसकर : यह वहां पर है । यह शब्द माननीय सदस्य को प्रैस और पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम में मिलेगा । परन्तु अब सुझाव दिया गया है कि इस का अर्थ कोई 'दस्तावेज' है । यह केवल 'पत्र' ही नहीं है । यहां पर इसकी अधिक अच्छी परिभाषा दी गई है । अतः, ऐसा नहीं है कि 'पत्र' शब्द मूल अधिनियम में नहीं है । 'पत्र' शब्द वहां है, परन्तु यहां इस की अधिक अच्छी परिभाषा दी गई है और यह परिभाषा प्रैस आयोग ने दी है । परन्तु हम प्रस आयोग से भी अधिक ठीक बात रखना चाहते हैं ताकि इस परिभाषा में कुछ न्यायोचित बातें न आ सकेंगी ।

मैं फिर जोर देना चाहता हूं कि यह परिभाषा केवल उन पत्रों पर लागू होती है जो जनता में परिचालन के लिए प्रकाशित किए जाते हैं । यह उन पत्रों पर लागू नहीं होती जो दलों और निजी व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत परिचालन के लिए बांटे जाते हैं । मेरे विचार में उन व्यक्तियों से, जो पत्रों को बेचना और जनता में बांटना चाहते हैं, पत्रों पर, केवल मुद्रक और प्रकाशक का नाम देने के लिए कहना न्यायोचित ही है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह उन पर प्रतिबन्ध कैसे हो जाता है । मेरे विचार में यह बिलकुल प्रतिबन्ध नही है । यथार्थ म कुछ देशों में यदि कभी आप कोई पर्चियां (हैंड बिल) छाप तो उस के नीचे मुद्रक और प्रकाशक का नाम देना पड़ता है । अतः, मेरे विचार में इस में कोई गलती नहीं है यथार्थ में यह उचित है, और किसी को यह आक्षेप नहीं उठाना चाहिये कि यह उन पर प्रतिबन्ध है ।

दूसरी बात जो मेरे माननीय मित्र ने उठायी है, वह केवल दूसरे माननीय सदस्यों की बात ही को दोहराया है । यदि किसी ढंग से माननीय सदस्य की शंकाओं का समाधान हो जाए तो मैं इस पर विचार करुंगा । परन्तु जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम ने इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और हमने न केवल उन चीजों को ही अपेक्षतया अच्छा बनाया है जो इस समय विद्यमान हैं, बल्कि प्रेस आयोग के सुझाव पर भी सुधार किया है। उदाहरणतः, प्रस आयोग ने १९५३ के आंकड़ा संग्रह अधिनियम में से उद्धरण दिया है । यदि माननीय सदस्य इस अधिनियम को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि वह अधिनियम हमारे इन सुझावों की अपेक्षा अधिक कठोर है । हमने बहुत अधिक उदार होने की चेष्टा की है । यथार्थ में, मैं माननीय सदस्यों को अपनी कठिनाईयां बताने के लिये कहता हूं ताकि हम उनका समाधान कर सकें । निश्चय हम उन कठिनाइयों पर विचार करेंगे और उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे और उन नियमों द्वारा जो हम बनाएंगे ,इस परिभाषा को और अधिक लचीला और व्यवहार योग्य बनाएंगे ।

सभापति महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य किसी विशेष खण्ड को भिन्न रूप स न रखना चाहते हों, तो मैं इन सब खण्डों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से १५ तक विधयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ स १५ विधयक में जोड़ दिय गये

खण्ड १६—(नये भाग ५क का रखा जाना आदि)

डा० लंका सुन्दरम् : संशोधनों की सूची संख्या २ मुझे, मंत्री जी और आपको दी गई है । मैं सदन की अनमति चाहता हूं कि वह मुझे पढ़कर सुनाने की अनुज्ञा दें ।

सभापति महोदय : मेरे विचार में वह पहले ही परिचालित कर दी गयी है ।

डा० लंका सुन्दरम : सब माननीय सदस्यों को नहीं । मैं उन संशोधनों पर भाषण नहीं दूंगा, परन्तु मैं केवल अभिलेख के उद्देश्य से पढ़ना चाहता हूं ।

डा० लंका सुन्दरम द्वारा खंड १६ पर अपने संशोधन संख्या ७, ८, ९, १०, ११ और १२ प्रस्तुत किये गये ।

डा० लंका सुन्दरम : मझे केवल दो छोटी छोटी बात ही कहनी हैं । क्योंकि अभी इन संशोधनों को परिचालित नहीं किया गया था क्योंकि मंत्री महोदय ने कृपा कर . . .

सभापति महोदय : मेरे ख्याल से संशोधन संख्या ११ और १२ तो प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे

डा० लंका सुन्दरम् : यह प्रश्न तो मंत्री महोदय के संशोधन संख्या १ और २ के प्रस्तुत होने के बाद उत्पन्न होता है ।

सभापति महोदय : तब सभी संशोधन प्रस्तुत किये जाये और खण्ड १६ से संबंधित सभी संशोधनों पर विचार किया जाये ।

डा० लंका सुन्दरम् : मेरे नाम में दो संशोधन खण्ड १८ के लिए हैं, मैं उन्हें बाद में प्रस्तुत करूंगा । मैं उन संशोधनों के संबंध म कुछ बातें कहना चाहता हूं जिन्हें मैं प्रस्तुत कर चुका हूं ।

श्री जयपाल सिंह : (रांची-पश्चिमी-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : मुझे बाधा देते हुए खेद है, परन्तु जब इन संशोधनों के प्रस्तुत कर्त्ता यह कह चुके हैं कि अब तक इन संशोधनों को परिचालित नहीं किया गया है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह हमसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : इस सदन की परम्परा रही है कि संशोधनों के लिए पूर्व सूचना आवश्यक नहीं मानी जाती रही ह । पहले के विधेयक पर विचार स्थगित कर दिये जाने के कारण ही आज इस विधेयक पर विचार किया जा रहा है, इसी म माननीय सदस्यों को इस संशोधन की प्रतिलिपियां नहीं मिल सकी हैं ।

श्री ए० एम० थामस : मंत्री महोदय यह आश्वासन दे चुके हैं कि वह एक समुचित विधान में इन सुझावों को सम्मिलित कर लेंगे ।

सभापति महोदय : यह तो दूसरी बात है । जहां तक पूर्व-सूचना के प्रश्न को हटा देने का प्रश्न है, मंत्री महोदय ने अब तक उस पर कोई आपत्ति नहीं की है, और इसीलिए मैंने उन सभी संशोधनों पर से पूर्व-सूचना का प्रतिबन्ध हटा दिया है जिनकी सूचना आज ही दी गयी है । इस कारण माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : इसके सम्बन्ध में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने इन संशोधनों का पूर्वानुमान कर लिया था और बहस का उत्तर देते समय ही इन पर सामान्य रूप से कुछ विचार प्रगट किये थे । मैं इसी बात से सन्तुष्ट हूं कि शीघ्र

ही सदन के सामने एक या दो विधान लाये जायेंगे और इन संशोधनों में दी गयी बातों को लागू कर दिया जायेगा ।

डा० केसकर : बिल्कुल ठीक ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह प्रस्ताव कर सकती हूं कि प्रत्येक खंड पर अलग-अलग मतदान किया जाये ।

सभापति महोदय : उन पर अलग-अलग ही विचार किया जा रहा है । इस समय खण्ड १६ विचाराधीन है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उन्होंने संशोधन तो खण्ड १६ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये हैं पर अब भाषण खण्ड १९ के सम्बन्ध में दे रहे हैं ।

सभापति महोदय : वह खण्ड १६ के सम्बन्ध में ही बोल रहे हैं । संशोधन संख्या ७ से १२ प्रस्तुत हुए ।

श्री श्रीनारायण दास द्वारा खण्ड १६ पर अपने संशोधन संख्या १५, १६, १७, १८ और १९ प्रस्तुत किये गये ।

सभापति महोदय : ये सब संशोधन सभा के सामने हैं ।

डा० केसकर : मैंने अपने भाषण में इसका कारण बता दिया था कि इन संशोधनों को अभी स्वीकार करना क्यों सम्भव नहीं हैं । जहां तक समाचार अभिकरणों का सम्बन्ध है, हम नहीं समझते कि उन्हें इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाना सम्भव होगा । जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम शीघ्र ही एक विधान प्रस्तुत करेंगे जो केन्द्रीय सरकार को अधिकार प्रदान करेगा, और यदि यह अधिकार प्राप्त कर लिया गया तो निश्चय ही हम उस दिशा में अग्रसर होंगे जिसकी ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है । बात हमारे ध्यान में है और इसकी अवहेलना नहीं की जायगी । इसी कारण से मैं श्री एस० एन० दास के संशोधन से भी सहमत नहीं हो सका हूं ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय नाम में भी कुछ संशोधन हैं ।

डा० केसकर : मेरे नाम में जो संशोधन संख्या १ और २ हैं उन्हें मने सभा पटल पर रख दिया है अपने भाषण म मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे क्यों आवश्यक हैं और इस समय मैं उसमें कुछ और जोड़ना आवश्यक नहीं समझता ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : जिन माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किये थ वह संशोधन सरकार द्वारा स्वीकृत न किय जाने पर भी संतुष्ट हैं । परन्तु जहां तक इस सभा का प्रश्न है, हम उन पर मत देने के लिए स्वतन्त्र हैं । इसलिए हमें अनमति दी जाय कि.....

सभापति महोदय : कभी कभी ऐसा होता है कि सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं, परन्तु सभा उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देती । अगर माननीय सदस्य अपना संशोधन वापस लेना चाहें तो मैं इसके लिए सभा की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से संशोधन को सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा ।

श्री राघवाचारी : मेरा निवेदन केवल यही था कि विलम्ब तो हो गया है, परन्तु इन संशोधनों को सदस्यों में परिचालित किया जाये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को यह आपत्ति पहले ही करनी चाहिए थी, अब काफ़ी देर हो चुकी हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं अपने संशोधन वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपने संशोधन वापस लेना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में मैं सदन की राय जानना चाहता हूं ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं !

सभापति महोदय : क्योंकि अनेक माननीय सदस्य

[सभापति महोदय]

इसके विरुद्ध है इसलिए मैं अब इस पर सदन का मत लूंगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

श्री के० के० बसु : यदि घंटी बजा दी जाय तो हम अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे।

सभापति महोदय : अच्छी बात है, घंटी बजा दी जाये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सरदार हकम सिंह : मैं सभापति के विनिर्णय देने के अधिकार पर कोई सन्देह नहीं करता परन्तु आपका विनिर्णय चाहता हूं साधारणतया यहां यह प्रथा रही है कि केवल उन्हीं संशोधनों पर से पूर्व सूचना का प्रतिबन्ध हटाया जाता है जिन्हें सरकार स्वीकार करने वाली होती है। सब बार भी प्रतिबन्ध हटाया गया और प्रायः सबकी धारणा थी कि सरकार इन संशोधनों को स्वीकार करने के पक्ष में है। संशोधन प्रस्तुत किये गये थे परन्तु सदस्यों में परिचालित नहीं किये गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय लम्बा भाषण आवश्यक नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे माननीय मित्र ने आपको यह नहीं बताया कि यह संशोधन वापस लेने की अनुमति न मिलने पर प्रस्ताव सदन के सामने मतदान के लिये प्रस्तुत भी किया गया था। अब मत विभाजन की घंटी भी बज चुकी है और यह बातें कहने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है।

डा० केसकर : संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा चुकी है, चाहे उन पर मतदान हो या न हो, परन्तु मेरा केवल यही निवेदन है कि इस समय प्रस्तुत संशोधन केन्द्रीय सरकार और संसद् के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं। इसीलिए हम उन्हें स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, यह सब बातें अब अर्थहीन हैं। अब प्रत्येक सदस्य यह कहने के लिए स्वतंत्र है कि संशोधनों को वापस लेने की अनुमति दी जाय अथवा नहीं। माननीय सदस्य यह कह चुके हैं और इसीलिए मत विभाजन की घंटी बजा दी गयी है। अब तक जो कुछ हो चुका है, उसकी दृष्टि से अब सदन ही निर्णय दे सकता है। मैं प्रश्न अर्थात उन संशोधनों को जिनको डा० लंका सुन्दरम वापस लेना चाहते हैं पुनः प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७, ८, ९, १०, ११ और १२ मतदान के लिये रखे गये।

सभा में मत विभाजन हुआ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्री कामत : इससे पूर्व कि आप इस मत विभाजन का परिणाम घोषित करें, क्यों मैं आपका ध्यान नियम संख्या ३८५(४)(६) की ओर आकृष्ट कर सकता हूँ?

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री कामत : जहां तक विरोधी पक्ष के सदस्यों को ज्ञात है, मंत्री महोदय ने हां वाले कक्ष में विरोधीपक्ष के साथ मतदान किया है। यदि कोई सदस्य भूल से गलत कक्ष में जाकर मतदान कर आता है तो इस नियम के अनुसार परिणाम की घोषणा किये जाने से पहले आपको सूचना देकर वह अपनी भूल सुधार सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस ओर उन्होंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री महोदय ने ही नहीं, एक अन्य माननीय सदस्य ने भी यही भूल की है ? उन्हें यह भ्रम था कि मतदान संशोधनों पर नहीं वरन उन्हें वापस लेने की अनुमति दी जाने के प्रश्न पर हो रहा था। उन्होंने इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया और

मैंने उन्हें भूल सुधारने की अनुमति भी दे दी है।

श्री जयपाल सिंह : मेरे विचार से, जब भी मत-विभाजन हो, आप यह कहने की कृपा करें कि 'मतदान का परिणाम यह है; परन्तु यदि कोई सदस्य मंत्री महोदय भी, अपना मत बदलना चाहे तो उसे ऐसा करने की अनुमति है।"

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि सदस्यों को अपनी भूल सुधारने अथवा मत परिवर्तन करने का अधिकार देने का भार अध्यक्ष अपने ऊपर ले सकता है जो कुछ उनके मन में था वह उन्होंने लिख दिया और वही अन्तिम बात है। केवल भूल से अथवा भ्रमवश किये गये कार्य को ही सुधारा जा सकता है।

मत-विभाजन का परिणाम है: पक्ष में ६४: विपक्ष में २४२।

संशोधन अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एस० एन० दास के संशोधन को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनारायण दास : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत हो चुका हो तब एक यही तरीका रह जाता है कि उसे वापस ले लिया जाये।

श्री श्रीनारायण दास : अपने संशोधनों को वापस लेने के लिये मैं सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

डा० केसकर : मैं खंड १६ के सम्बन्ध में अपने संशोधन संख्या १ और २ को प्रस्तुत करता हूं क्योंकि इस समय खण्ड १६ पर ही विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जरा स्थिति को स्पष्ट रूप में समझ लूं। मंत्री महोदय केवल संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं न ?

डा० केसकर : मैं खण्ड १६ के सम्बन्ध सूचि संख्या १ के संशोधन संख्या १ और २ को प्रस्तुत कर रहा हूं।

डा० लंका सुन्दरम : हम केवल खण्ड १६ पर विचार कर रहे हैं। केवल यही संशोधन उससे संगत है।

डा० केसकर : मैं प्रस्ताव करता हूं।

(१) पृष्ठ ७, पंक्ति ६,

"any person" (कोई व्यक्ति) के स्थान पर "any Gazetted officer" (कोई गजटेड पदाधिकारी) रखा जाये।

(२) पृष्ठ ८, पंक्ति ३३ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :

"19L. **Penalty for contravention of section 19D or section 19E etc.**— If the publisher of any newspaper—

(a) refuses or neglects to comply with the provisions of section 19D or section 19E; or

(b) furnishes or causes to be furnished to the Press Registrar any annual statement, returns, statistics or other information which he has reasons to believe to be false; or

(c) publishes in the newspaper in pursuance of clause (b) of section 19D any particulars relating to the newspaper which he has reasons to believe to be false, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

19M. **Penalty for improper disclosure of information.**—If any person engaged in connection

[डा० केसकर]

with the collection of information under this Act wilfully discloses any information or the contents of any return given or furnished under this Act otherwise than in the execution of his duties under this Act or for the purposes of the prosecution of an offence under this Act or under the Indian Penal Code, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both."

["**१९ ठ. धारा १९घ या धारा १९ङ के उल्लंघन के लिये दंड आदि**––यदि किसी समाचार पत्र का प्रकाशक––

(क) धारा १९घ या धारा १९ङ के उपबन्धों का पालन करना अस्वीकृत करता है या उसमें असावधानी करता है; या

(ख) प्रेस पंजीयक के पास कोई ऐसा वार्षिक विवरण, ब्यौरे, आंकड़े या अन्य सूचना भेजता है, जिसके असत्य होने का विश्वास करने के लिये उसके पास कारण है; या

(ग) धारा १९घ के खंड (ख) के अनुसरण में समाचार-पत्र में कोई ऐसी बात प्रकाशित करता है, जिसके असत्य होने का विश्वास करने के लिये उसके पास कारण है;

तो वह अर्थदंड से दंडनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा।

१९ङ सूचना के अनुचित प्रकटीकरण के लिये दंड– यदि इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना का संग्रह करने में संलग्न कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत दी गयी या भेजी गयी कोई सूचना या किसी ब्यौरे की विषय वस्तु, इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्त्तव्यों का पालन करने या इस अधिनियम के अंतर्गत या भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत एक अपराध के अभियोजन के प्रयोजन को छोड़ कर, इच्छापूर्वक प्रकट कर देता है, तो वह कारावास से, जिसकी समयावधि छः मास तक हो सकेगी, या अर्थदंड से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।"]

श्री राघवाचारी : मैं केवल एक ही प्रश्न उठाना चाहता हूं। जिस समय अनेक सदस्यों ने डा० लंका सुन्दरम के संशोधनों के वापस लिये जाने का विरोध किया था, उस समय सदन के सामने यह प्रश्न रखा जाना चाहिये था कि क्या इनको वापस लेने की अनुमति दी जाय। मैं इसी सम्बन्ध में आपका विनिर्णय चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : वह उस प्रश्न का उल्लेख कर रहे हैं जो अब समाप्त भी हो चका है। इस लिए अब उस पर विनिर्णय देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : जहां तक डा० लंका सुन्दरम के पहले संशोधन का सम्बन्ध है, उस समय आवाजें स्पष्ट थीं इसीलिए उस समय पीठासीन पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उस पर मत लिया था। किन्तु श्री एस० एन० दास के संशोधनों के समय केवल 'हां' की ही आवाज़ सुनी गयी थी। इसीलिये हमने उसे 'हां' ही माना।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से 'नहीं' की तो कोई आवाज हमने सुनी ही नहीं थी। इसीलिए मने कहा था कि सदन द्वारा अनुमति दी गयी। इसका भी कोई विरोध नहीं किया गया था।

मैं संशोधन संख्या १ और २ को मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति ६,

"any person" (कोई व्यक्ति)

स्थान पर "any gazetted officer"

(कोई गजटेड पदाधिकारी) रखा जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७,

पंक्ति ३३ के बाद रखा जाये :

"19L. **Penalty for contravention of section 19D or section 19E etc.**—If the publisher of any newspaper—

(a) refuses or neglects to comply with the provisions of section 19D or section 19E; or

(b) furnishes or causes to be furnished to the Press Registrar any annual statement, returns, statistics or other information which he has reason to believe to be false; or

(c) publishes in the newspaper in pursuance of clause (b) of section 19D any particulars relating to the newspaper which he has reason to believe to be false, he shall be punishable with fine which may extend to five hundered rupees.

19M. **Penalty for improper disclosure of information.**—If any person engaged in connection with the collection of information under this Act wilfully discloses any information or the contents of any return given or furnished under this Act otherwise than in the execution of his duties under this Act or for the purposes of the prosecution of an offence under this Act or under the Indian Penal Code, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both."

[**१९ठ. धारा १९घ या धारा १९ङ के उल्लंघन के लिये दंड आदि**—यदि किसी समाचार पत्र का प्रकाशक—

(क) धारा १९घ या धारा १९ङ के उपबन्धों का पालन करना अस्वीकृत करता है या उसमें असावधानी करता है ; या

(ख) प्रेस पंजीयक के पास कोई ऐसा वार्षिक विवरण, ब्यौरे, आंकड़े या अन्य सूचना भेजता है, जिसके असत्य होने का विश्वास करने के लिये उसके पास कारण है; या

(ग) धारा १९घ के खंड (ख) के अनुसरण में समाचार-पत्र में कोई ऐसी बात काशित करता है, जिसके असत्य होने का विश्वास करने के लिय उसके पास कारण हैं;

तो वह अर्थदंड से दंडनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा ।

१९ङ. सूचना के अनुचित प्रकटीकरण के लिये दंड—यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का संग्रह करने में संलग्न कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत दी गई या भेजी गयी कोई सूचना या किसी ब्यौरे की विषय-वस्तु इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करने या इस अधिनियम के अंतर्गत या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध के अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, इच्छापूर्वक प्रकट कर देता है, तो वह कारावास भें जिसकी समयावधि छः मास तक हो सकेगी, या अर्थदंड से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा,या दोनों से, दंडनीय होगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है–

"कि खंड १६,संशोधित रूप में,विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १६ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १७, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १८--(नई धारा २०क, का रखा जाना आदि)

डा० केसकर : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ ८,

(१) पंक्ति १, "२०क" के बाद "(१)" रखा जाये ।

(२) पंक्ति १६ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :

(ee) prescribing the form and manner in which an annual statement under clause (a) of section 19D, or any returns, statistics or other information under section 19E, may be furnished to the Press Registrar,"

[(ङङ) वह प्रपत्र और रीति विहित करना, जिसमें धारा १९घ के खंड (क) के अन्तर्गत एक वार्षिक विवरण, या धारा १९ङ के अंतर्गत कोई अन्य सूचना प्रेस पंजीयक को भेजी जा सकती है।]

और

(३) पंक्ति २४ के बाद जोड दिया जाये:

"(2) All rules made under this section shall, as soon as practicable after they are made, be laid before both Houses of Parliament."

(२) इस धारा के अंतर्गत बनाय गये सभी नियम, उनके बनाये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखे जायेंगे ।

श्री कामत : मेरा संशोधन संख्या ५, उस संशोधन के दूसरे भाग को संशोधित करता है ।

अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

श्री कामत द्वारा खंड १८ पर अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत किया गया ।

श्री कामत : माननीय मंत्री का संशोधन यद्यपि सुधार करता है, परन्तु पर्याप्त सुधार नहीं करता । हम सरकार को नियम बनाने की विस्तृत शक्ति नहीं दे सकत । वे सभा के सामने रखे जाने चाहिये । नागरिकता विधेयक में भी संयुक्त समिति ने एक ऐसा संशोधन रखा था और गृह मंत्री जी ने उसे मान लिया था । आशा है, सभा और सरकार मेरा संशोधन मान लेंगी और सारी बात संसद को सौंपने में संकोच न करेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : अधीनस्थ विधान समिति का सभापति होने के कारण इस समिति के पांचवें प्रतिवेदन की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं । हमने अपने प्रतिवेदन में सदन से कहा है कि प्रक्रिया में एकरूपता लाये जाने की आवश्यकता है, विधियों में जिन विभिन्न व्यवस्थाओं के कारण जो कुछ संदिग्ध बातें आ गई हैं उनके कारण यह आवश्यकता और भी बढ़ गयी है । जब तक कि विधि में इसके लिए विशेष व्यवस्था न रखी जाय अथवा विशेष नियम न बनाया जाय तो समिति का सम्पूर्ण उद्देश्य ही व्यर्थ हो जायगा ।

नियम बनाने के लिये माननीय मंत्री को पर्याप्त समय और सरकार को पर्याप्त अधिकार मिल जाते हैं । यदि वे समझते हैं कि यह इतना आवश्यक है ३० दिन तक नियम सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किये जा सकते हैं, तो वे उनके प्रकाशन के बाद इस स्पष्टीकरण के साथ उन को सदन के सामने रख सकते हैं कि किन विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ा, ताकि इस सम्बन्ध में सदन अपनी राय दे सके ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा । माननीय सदस्य अधिसूचना का उल्लेख कर रहे हैं जब कि संशोधन का सम्बन्ध नियमों से है ।

श्री एन० सी० चटर्जी: इन धाराओं के अन्तर्गत जारी की जाने वाली प्रत्येक अधि-

सूचना की प्रतिलिपिया विचार के लिये संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जायें । मैं समझता हूं कि सभी नियमों के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की जायगी—और यही सामान्य तरीका है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात मुझे अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है । मेरे विचार से स विधेयक में कुछ धाराओं के अन्त त कुछ अधिसूचनायें जारी करने की व्यवस्था रखी गयी है । इनको इन धाराओं के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों से भिन्न माना जायगा । यदि ऐसा है, तो यह बात अधिसूचनाओं पर ही लागू होगी, नियमों पर नहीं । इसीलिए मेरा सुझाव है कि नियमों का उल्लेख अलग से करना पड़ेगा ।

डा० केसकर : सरकार ने अधीनस्थ विधान समिति के उस सुझाव को अभी तक स्वीकार नहीं किया है जिसकी ओर श्री चटर्जी ने संकेत किया है । वह अब भी विचाराधीन है और मैं नहीं जानता कि वह कब और कैसे स्वीकार किया जायेगा । इस समय यह मेरे पर्यालोकन में नहीं है और जब तक यह स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक उनके सुझाव को स्वीकार करना मेरे लिए सम्भव नहीं है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मुझे खेद है कि मेरी बात गलत समझी गयी है । मैंने यह कभी नहीं कहा कि सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है । मैंने यह कहा था कि यह पाटस्कर समिति का एक सुझाव है । वह एक स सम्मत सिफारिश थी और इस सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी । यह सि ारिश इसलिए की गयी थी ताकि संसदीय सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता काल्पनिक न रहे वरन् और भी प्रतावशाली बन सके ।

डा० केसकर : मैं स्वीकार न कर सकन क वास्तविक कारण बता रहा था। मैं यह नहीं कहता कि श्री चटर्जी का सुझाव उचित या अच्छा नहीं था । जब तक कि सरकार उस सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तब तक मैं उसे स ीकार नहीं कर सकता हूं । समवाय विधि का निर्देश किया गया है जिसमें इसको स्वीकार किया गया था, क्योंकि वह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक था और हो सकता है कि ऐसे संशोधनों या नियमों को प्रख्यापित किया जाये जिनका कि पूंजी, विनियोग आदि पर व्यापक प्रभाव पड़े और इसी कारण इसे स्वीकार किया गया है । जहां तक स प्रकार के ोटे विधानों का सम्बन्ध है, जब तक सरकार सामान्य सिफारिश को स ीकार न कर ले तब तक मैं उसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम इस विधेयक को महत्वपूर्ण इसलिए समझते हैं कि हमने यह आशंका प्रकट की है कि इन नियमों का विरोधी समाचार–पत्रों और प्रचार संगठन पर बुरा प्रभाव पड़ता है । अत: मेरा यह विचार है कि इन नियमों को सभा में प्रस्तुत किया जाये और उन्हें स ीकार किया जाय । दूसरी बात यह कि यह एक उत्तम प्र ि या है । बहुत से अ नियमों के सम्बन्ध में सरकार ने नियम बनाने का वचन दिया है । कई अधिनि म के सम्बन्ध में नियम अभी तक नहीं बने हैं । इस कारण नियम बनाये जाने पर ज़ोर देना आवश्यक है जिससे कि सभा में उन पर अविलम्ब ।वचार किया जा सके ।

डा० केसकर : मैं श्री चटर्जी द्वारा की गई सि ारिश विशेष का तिवाद नहीं कर रहा था । मैं ो यह कह रहा था कि इस महत्वपूर्ण सिफारिश पर सरकार को विचार करना है । सरकार को उसकी जानकारी दे ी गई है किन्तु अभी वह स्वीकृत नहीं हुई है । अत: गुणावगुण के आधार पर हमें निर्णय करना है । मैं समझता हूं कि यह ब ा छोटा सा विधान है जिसके लिय जो भी छोटा-बड़ा नियम बनाया जायेगा उसे संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और विधि बनने से पूर्व उस पर चर्चा होगी । अत: मैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं । बाद में

[डा० केसकर]

यदि सरकार सामान्य सिफारिश को स्वीकार करती है, तो इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है ।

श्री टी० एन० सिंह : इस मामले में मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि जब कि हमारी पार्लियामेंटरी कमेटी (संसदीय समिति) ने कोई सिफारिश की हो तो वाजिब यह है कि उसको बहुत दूर तक बहस में न लाया जाये । साथ-साथ गवर्नमेंट (सरकार) खुद कह रही है और मिनिस्टर साहब (मंत्री जी) कह रहे हैं कि इस पर विचार किया जायेगा और उस को बाद में लाकर उस पर सब्सटेंशियल अमेंडमेंट मूव (सारवान संशोधन प्रस्तुत) किया जायेगा । ऐसी हालत में उस पर अभी हां या ना करवा लेना ठीक नहीं होगा ।

मेरा कुछ पार्लियामेंटरी कमेटियों (संसदीय समितियों) से ताल्लुक रहा है और मेरे सामने बहुत सी ऐसी बातें आयी हैं । मैं यह मानता हूं कि जो उसल रखा गया है उससे सभी को इत्तिफाक होगा, सभी उसको मानते हैं । मैं भी यह ठीक समझता हूं कि जितने सबसिडियरी रूल्स बनें, जितना सबार्डिनेट लजिस्लेशन (अधीनस्थ विधान) हो उस पर हाउस में विचार हो और वोट लिया जाय । लेकिन इसको अभी इस्स्यू (समस्या) बना कर हाउस (सभा) के सामने लाया जायगा और इस पर राय ली जायगी तो इससे कमेटी की सिफारिश को ही नष्ट कर दिया जायगा । इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो प्रस्ताव रखा गया है अगर उसको वापस ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

डा० केसकर : मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट (सरकार) इस बारे में कोई राय देना चाहे सोच कर, राय लेना चाहे तो फिर इस मामले में जो कुछ तबदीली करनी चाहिए, की जाय । मैं इसके लिए तैयार हूं लेकिन फिलहाल मैं इसको एकदम स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि श्री कामत का जो आखिरी अमेंडमेंट (संशोधन) है और जिसके माने यह होंगे कि जम्मू और काश्मीर पर भी यह कानून अपने आप लागू हो जाये, ऐसा आजकल के कांस्टीटयूशन (संविधान) के मुताबिक हम कर नहीं सकते हैं और इसलिए ऐसा करना अवैधानिक है । बस इतना ही मुझे इसके बारे में कहना है ।

श्री एन० सी० चटर्जी: मैं नियम बनाने वाली शक्तियों के आधीन वित्त मंत्री द्वारा रखे गये खण्ड ३२४ का उल्लेख करता हूँ कि जारी की जाने वाली प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रतिलिपि संसद की दोनों सभाओं में रखी जायेगी और उनके निर्णय के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायगी । यह प्रस्तापना स्वीकार की जा चुकी है और विधेयक में संशोधन किया जा चुका है । अतः यह कोई नई बात नहीं है ।

डा० केसकर: समवाय विधेयक के संबंध में क्या हो रहा है, इसकी मुझे उतनी जानकारी नहीं है जितनी कि श्री चटर्जी को है । समवाय विधेयक के संबंध में यह प्रस्तापना स्वीकार नहीं की गई है क्योंकि सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में एक सामान्य सिद्धान्त स्वीकार किया गया है । समवाय विधेयक के लिये यह प्रस्तापना विशेष रूप से स्वीकार की गई है । जहां तक सामान्य सिद्धान्त का सम्बन्ध है, वह विचाराधीन है । यदि श्री चटर्जी का कहना यह है कि यह कार्यवाही समिति की सिफारिशों के कारण की गई है तो उनका ऐसा कहना गलत है ।

अध्यक्ष महोदय : अब इस विषय में अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है । माननीय मंत्री का कहना यह है कि चूंकि सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है, इस कारण इस प्रकार के छोटे विधेयक में इसको नहीं रखा जा सकता है ।

समवाय विधेयक के महत्वपूर्ण होने के कारण ही सरकार ने उस उपबन्ध विशेष को स्वीकार किया था । संसदीय समिति द्वारा

सिफारिश किये जाने की ही बात नहीं है वरन् प्रत्यायोजित विधान में इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि सरकार को जो अधिकार दिया गया है उस पर वह क्या कार्यवाही कर रही है, इस पर चर्चा की जाये चूंकि सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, इस कारण मैं नहीं कह सकता कि इसका क्या बनेगा। मैं भी इस पर विचार करूंगा और सरकार कोई निर्णय करने के लिये सामान्य सिद्धान्त पर विचार करने में शीघ्रता करेगी।

श्री कामत : मुझे माननीय मंत्री से यह आश्वासन मिलना चाहिये कि ज्योंही इसका अन्तिम निर्णय होगा वह इस सिद्धान्त को इस विधेयक पर भी लागू करेंगे।

डा० केसकर : मैं इसके लिये तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय मंत्री कह चुके हैं कि जब तक सरकार इसके सभी पहलुओं की जांच नहीं कर लेती तब तक माननीय मंत्री के लिये इसे स्वीकार करना सम्भव नहीं है। माननीय मंत्री का यही विचार है। अतः श्री कामत अब अपने संशोधन पर आग्रह न करें।

श्री कामत : मैं तो माननीय मंत्री से आश्वासन चाहूंगा।

डा० केसकर : यदि सामान्य सिद्धान्त स्वीकार हो जाता है तो उसमें उसी के अनुसार परिवर्तन कर दिये जायेंगे।

श्री कामत : क्या सरकार नियम बनाये जाने से पूर्व अपना मत निर्धारित कर लेगी ?

डा० केसकर : हां।

संशोधन सदन की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्री महोदय के संशोधन को सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ८,

(१) पंक्ति १, "२० A" ["२० क"] के पश्चात् ("I") ["१"] रखा जाये

(२) पंक्ति १६ के पश्चात् यह रखा जाये :

"(cc) prescribing the form and manner in which an annual statement under clause (a) of section 19D or any returns, statistics or other information under section 19E may be furnished to the Press Registrar;"

"(डड) वह प्रपत्र और रीति विहित, करना, जिसमें धारा १९घ के खण्ड (क) के अन्तर्गत वार्षिक विवरण, या धारा १९ ङ के अन्तर्गत कोई अन्य सूचना प्रेस पंजीयक को भेजी जाये]"

और

(३) पंक्ति २४ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये;

"(2) All rules made under this section shall, as soon as practicable after they are made, be laid before both Houses of Parliament."

["(२) इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र, संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखे जायें।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १९—(नई धारा २२ का रखा जाना)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड १९ को लेते हैं।

श्री कामत : क्या मैं अब आपकी अनुमति से संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत कर सकता हूं जो पृष्ठ ८ में शब्द "अतिरिक्त" के स्थान पर "समेत" शब्द रखने के सम्बन्ध में है । यह खण्ड इस प्रकार हो जायेगा :

"यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत पर जम्मू तथा काश्मीर समेत लागू होता है ।"

मैं संविधान के अनुच्छेद ३७० की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं जो इस प्रकार है :

"(१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी—

(क) अनुच्छेद २३८ के उपबन्ध जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू न होंगे ;

(ख) उक्त राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति—

(१) संघ-सूची और समवर्ती सूची में के जिन विषयों को राज्य की सरकार से परामर्श करके राष्ट्रपति उन विषयों का तत्स्थायी विषय घोषित कर दे जो भारत डोमीनियन में उस राज्य के प्रवेश को शासित करने वाली प्रवेश-लिखित में उल्लिखित ऐसे विषय हैं जिन के बारे में डोमीनियन विधान-मंडल विधि बना सकता है उन विषयों तक; तथा

(२) उक्त सूचियों में के जिन अन्य विषयों को उस राज्य की सरकार की सहमति से राष्ट्रपति आदेश द्वारा उल्लिखित करे उन विषयों तक सीमित होगी ।"

माननीय मंत्री ने, जहां तक मुझे स्मरण है, इस ओर ध्यान आकर्षित किया है और यह कहा है कि 'मुझे विश्वास है कि यह शक्ति परस्तात् अथवा इस अधिनियम के क्षेत्र के बाहर और संसद् की शक्ति के परे है ।' मैं जानना चाहूंगा कि क्या जम्मू और काश्मीर की सरकार से इस सम्बन्ध में कुछ वार्ता की जा रही है ? यदि ऐसा किया जा रहा है, और सरकार तैयार हो तो राष्ट्रपति को उस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है । मैं नहीं समझता कि जम्मू और काश्मीर के बारे में, जो दिन प्रतिदिन हमारे निकट आता जा रहा है ऐसा क्यों नहीं किया जाता है । मुझे आशा है कि शीघ्र ही वह भारत का एक अंग बन जायेगा । एक समय था जबकि संसद् द्वारा पारित अधिनियम जम्मू और काश्मीर में नहीं लागू किये जाते थे । अब समय कुछ बदल रहा है और कुछ अधिनियमों में जम्मू और काश्मीर को सम्मिलित कर लिया गया है । उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अब जम्मू और काश्मीर आ गया है । माननीय मंत्री ने बताया कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बल्कि दैनिक कार्य हैं । जम्मू और काश्मीर को इस पर आपत्ति नहीं होगी । इस कारण राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने संविधान के जिस अनुच्छेद का उल्लेख किया है उसके अनुसार जम्मू और काश्मीर राज्य की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है । अतः यदि हम पहले से ही कोई चीज़ इस सभा में पारित कर लेते हैं और उक्त राज्य बाद में उस पर सहमत नहीं होता है तो वह प्रभावरहित हो जायेगी । यह बात नहीं है कि राज्य सरकार तैयार न हो किन्तु इस सभा के स्थान पर राज्य को इसका निर्णय करना चाहिये ।

श्री कामत : सरकार जम्मू और काश्मीर राज्य की सरकार से परामर्श क्यों नहीं लेती ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है । अब सभा की कार्यवाही समाप्त होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

[सोमवार २१ नवम्बर, १९५५]

स्तम्भ

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५६४३-४४

दसवें सत्र के दौरान में संसद के सदनों द्वारा पारित निम्न लिखित विधेयकों पर, २६ सितम्बर, १९५५ के पिछले प्रतिवेदन के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई

१. दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . .

२. सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५५

३. दरगाह ख्वाजा साहिब विधेयक, १९५२ .

४. पर क्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक, १९५५

५. विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९५५ .

६. मद्य सारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक, १९५५

७. अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५५ . .

८. औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक, १९५५

९. पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक, १९५५ .

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५६४४-४७

१. रबड़ के टायर ट्यूबों के उचित मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क का आयोग प्रतिवेदन (१९५५) . .

२. वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या सी० आई० २४ (१८) ५५, दिनांक ३ अक्टूबर, १९५५

३. प्रशुल्क आयोग अधिनियम १९५१ की धारा १६(२) के परन्तुक के अन्तर्गत एक विवरण जिसमें बताया गया है कि उपरोक्त (१) और २ में उल्लिखित पत्र विहित समय में सभा पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके

४. अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा ६ के अन्तगत एस० आर० ओ० संख्या में १६७३-क, १६७३-ख, १६६२ —आवश्यक पण्य चीनी, १८६३—आवश्यक पण्य गत्रा।

५. दसवें सत्र की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दो अध्यादेश

१. दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) अध्यादेश, १९५५ (१९५५ का संख्या ५)

२. बीमा (संशोधन) अध्यादेश १९५५ (१९५५ का संख्या ६)

६. समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ के अन्तर्गत धारा ५३ ख (४) के अन्तर्गत सीमा शुल्क अधिसूचनायें संख्या १५१ और १५२.

७. दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये आयोजित विश्व स्वास्थ्य संघ के प्रादेशिक सम्मेलन के आठवें सत्र में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन

सभा पटल पर रखे गये संयुक्त समितियों के प्रतिवेदन ५६४७

१. अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . .

२. नदी बोर्ड विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन .

संयुक्त समितियों के प्रतिवेदनों को उपस्थापित करने के लिये समय में वृद्धि ५६४८

१. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने की अवधि १५ दिसम्बर, १९५५ तक बढ़ा दी गई

२. नागरिकता विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने की अवधि २९ नवम्बर, १९५५ तक के लिये बढ़ा दी गई .

विधेयक पुरःस्थापित ५६४८

१. संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक

२. संविधान (छटा संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ५६४८-५७२७

नागरिकता विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . .

राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधन ५६४९-५३

राज्य सभा द्वारा समवाय विधेयक पर किये गये संशोधनों पर विचार किया गया—

विचार असमाप्त विधेयक पर विचार ५६५४-५७४६

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक पर विचार किया गया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत खंड २ से १८ स्वीकृत।

खंड १९ पर चर्चा असमाप्त।

GIPND—L(NS)—390 L.S.D.—23-7-57—190